लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

Preservation Unit
1-9-92
Fumigated
On 30-7-85
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 52 में अंक 41 से 49 तक हैं
Vol. LII contains Nos. 41 to 49]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/ CONTENTS

अंक 44, शुक्रवार, 2 मई, 1975/12 वैशाख, 1897 (शाक)

No. 44, *Friday, May 2, 1975/Vaishakha 12, 1897 (Saka)*

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 855, 858, 862, 866, 868, 870 और 873	Starred Questions Nos. 855, 858, 862, 866, 868, 870 and 873	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions** .	
तारांकित प्रश्न संख्या 854, 856, 857, 859 से 861, 863 से 865, 867, 869, 871 और 872	Starred Questions Nos. 854, 856, 857, 859 to 861, 863 to 865, 867, 871 and 872 .	16—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 8278 से 8314, 8316 से 8366, 8390 से 8412, 8414 से 8440, 8442 से 8464, 8467 से 8469 और 8471 से 8477	Unstarred Questions Nos. 8278 to 8314, 8316 to 8366, 8390 to 8412, 8414 to 8440, 8442 to 8464, 8467 to 8469 and 8471 to 8477 . . .	24—148
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	149—50
नियम समिति—	Rule Committee—	
छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Sixth and Seventh Reports and Minutes	150
राज्य सभा से संदेश	Messages from Raiva Sabha	150
सभा की कार्यवाही	Business of the House	150—53
वित्त विधेयक, 1975—	Finance Bill, 1975—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	154—69
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani.	154
श्री डी॰ के॰ पंडा	Shri D. K. Panda	154—56
श्री सेझियान	ri Sezhiyan .	156—58

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra .	158—59
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh .	159—63
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh . .	163—64
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal .	164—6
श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल	Shri Shrikrishna Agarwal .	166—67
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra .	167—68
श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी	Shri Swami Brahmanandji .	168—69
विधेयक पुरः स्थापित किये गये—	*Bills introduced—*	
(एक) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (धारा 46 का संशोधन)	(i) Advocates (Amendment) Bill (*Amendment of section* 46)	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय का	by Dr. Laxminarain Pandeya	169
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 326क का अन्तःस्थापन)	(ii) Constitution (Amendment) Bill (*Insertion of new article* 326*A*)	
श्री सी० के० चन्द्रप्पन का	By Shri C. K. Chandrappan	169
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची का संशोधन)	(iii) Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of Eight Schedule*)	
श्री सी० के० चन्द्रप्पन का	by Shri C. K. Chandrappan	170
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा 13 और 15 का संशोधन)	Hindu Marriage (Amendment) Bill— (*Amendment of Sections* 13 *and* 15)	
श्री मधु लिमये का—वापस ले लिया गया	by Shri Madhu Limaye—*Withdrawn*	171
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve .	171
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	171
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan .	171—72
श्री मूल चन्द डागा	Shri Mool Chand Daga	172
श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal .	172
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade .	172
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi .	173
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam .	173

विषय	SUBJECT	
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi .	173—74
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	174
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक–	Delhi Rent Control (Amendment) Bill—	
(धारा 2 का संशोधन) श्री शशि भूषण का— वापस ले लिया गया	(*Amendment of section 2*) by Shri Shashi Bhushan—*Withdrawn*.	175—78
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan . .	175—76
श्री ग्रार० वी० बड़े	Shri R. V. Bade .	176
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey	176
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve .	176—77
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri Ram Sahai Pandey .	177
श्री मूल चन्द डागा	Shri Mool Chand Daga .	177
श्री दलबीर सिंह	Shri Dalbir Singh .	177—78
संबिधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill—	
(ग्रनुच्छेद 80 का संशोधन तथा चतुर्थ ग्रनुसूची का लोप)— श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी का	(*Amendment of Article 80 and ommission of Fourth Schedule*) by Shri Dinesh Chandra Goswami	178—79
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	178—79
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee—	
55वां प्रतिवेदन	Fifty-fifth Report .	179

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 2 मई 1975/12 वैशाख, 1897 (शक)

Friday, May 2, 1975/Vaisakha 12, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER, *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

"काटन एक्सपोर्ट टु एवर्ट ग्लट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

*855. **श्री वसन्त साठे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1975 के "इकानामिक टाइम्स" में "काटन एक्सपोर्ट टु एवर्ट ग्लट" (रुई की भरमार को टालने के लिये रुई का निर्यात) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार ने सम्बन्धित समाचार को देखा है ।

(ख) लम्बे रेशे वाली रुई के कुछ सीमित निर्यात की अनुमति देने का निश्चय किया गया है। जिसे भारतीय रुई निगम के माध्यम से ही किया जायेगा ।

श्री वसन्त साठे : महोदय, सरकार की नीति आग लगने पर कुआं खोदने की है । देश में उत्पादित लम्बे रेशे की कपास , आश्यकता से लगभग 14 लाख गांठें अधिक हैं । आज लम्बे रेशे की कपास का मूल्य आन्ध्र और अन्य भागों में कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से भी कम हो गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मिल मालिक निर्यात किये जाने के विरुद्ध हैं, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की क्या नीति है ? क्या आप रुई निगम के माध्यम से ये 4 लाख फालतू गांठें खरीद रहे हैं अथवा क्या आप उन्हें इसका निर्यात करने की और विदेशी मुद्रा कमाने की अनुमति दे रहे हैं ? आपके इस कथन का क्या अर्थ है कि केवल सीमित मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : महोदय, मिल मालिकों के विरोध का प्रश्न इससे सम्बन्धित हो सकता है परन्तु हम उनके कहने के अनुसार नहीं चलेंगे। इस सम्बन्ध में यद्यपि उद्योग के कुछ वर्गों ने विरोध किया है, तथापि सरकार ने उनके सुझाव को नहीं माना है और लम्बे रेशे की कपास की कुछ मात्रा का निर्यात करने का निर्णय किया है। यह मात्रा बताना हमारे वाणिज्यिक हित में नहीं होगा। इसका मूल्य वसूली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मूल्य के वांछित स्तर को ध्यान में रख कर हम जो कुछ कर सकते हैं, निर्यात और उत्पादकों की सहायता करने के लिए, वह करेंगे।

श्री वन्सत साठे : मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि माननीय मंत्री किसके वाणिज्यिक हितों की बात कर रहे हैं जबकि मूल्य सहायक मूल्यों से भी नीचे गिर गये हैं। पंजाबी की कहावत है--

"Father does not give for eating, mother does not allow begging."

आप न तो उत्पादक से खरीद रहे हैं और न ही उन्हें निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं। क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि इन 4 लाख फालतू गांठों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अनुमान यह था कि फालतू 4 लाख या 6 लाख है। ताजा स्थिति यह है कि लम्बे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़कर 17 से 18 लाख हो गया है। इससे विचित्र स्थिति पदा हो गई है। मध्यम और छोटे रेशे वाली कपास की कमी है और उसका मूल्य ऊंचा है। तथ्य यह है कि लम्बे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन 4—6 लाख गांठों से कहीं अधिक है। ताजा अनुमान के अनुसार यह 8 से 9 लाख गांठे हैं। मेरे विचार में अधिक से अधिक कच्चे माल का निर्यात करके ऊंचा मूल्य देना ठीक नहीं है। जहां तक वाणिज्यिक हित में मात्रा का न बताने का सम्बन्ध है, मैंने उत्पादकों के हित को भी ध्यान में रखा है क्योंकि देश की मूल्य वसूली और उत्पादकों, जिन्हें निर्यात की अनुमति दी जायेगी, को मूल्य वसूली कम हो जायेगा।

Dr. Laxmi Narain Pandeya: The hon. Minister has admitted that there has been more production of long-staple cotton resulting in piling up of huge stocks. But the Cotton Corporation has no funds. Hence no purchases are being made from the farmers with whom huge stocks have got accumulated. The farmers are in difficulty as there is no purchaser in the market and the Cotton Corporation is also not purchasing it. You have said about export in limited quantity. I would like to know by what time the stocks accumulated with the farmers whether they belong to Vidarbha in Maharashtra or Nimar in Madhya Pradesh will be purchased by the Cotton Corporation or any other agency so that they may not suffer any sort of loss?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : महोदय, जहां पर लम्बे रेशे वाली और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली कपास पैदा होती है वहां से रुई निगम पहले से कपास खरीद रहा है। हमारा विचार उत्पादकों से सीधे खरीद करने का है। परन्तु जैसे कि हमने कहा है कि सीमित ऋण उपलब्धता के कारण रुई निगम भारी मात्रा में खरीद नहीं कर सकता। यथासम्भव खरीद की जा रही है। पहले हमारा विचार आधा मूल्य बांडों में और आधा नकद देने का था। परन्तु उत्पादकों को यह कठिन लगा। अतः इनकी इच्छानुसार हमने पूरा मूल्य नकद देने का निर्णय किया। कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : महोदय, माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि वह वाणिज्यिक हित में यह नहीं बता सकते कि कितनी मात्रा का निर्यात किया जा रहा है। हमने गत कुछ वर्षों में 100 करोड़

रुपये की विदेशी मुद्रा फिजूल खर्च की है। हमारे पास देश में लम्बे रेशे की कपास पैदा करने की क्षमता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप लम्बे रेशे की कपास के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : महोदय, लम्बे रेशे की कपास का आयात नहीं किया जा रहा है। इसका निर्यात किया जा रहा है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं आपको बता रहा हूं कि आपने गत कुछ वर्षों में 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बर्बाद की है। क्या यह सच नहीं है ? यह अच्छा है कि अब आप निर्यात कर रहे हैं। परन्तु पहले आप लम्बे रेशे की कपास का आयात करते रहे थे।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि पहले हम सूडान और मिश्र से लम्बे रेशे की कपास का आयात करते थे जब हम घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कपास पैदा नहीं कर पाते थे। अतः यह कहना कि हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन बर्बाद किया है, मेरे विचार में उस स्थिति में ठीक नहीं है जो उस समय थी।

Shri Shrikrishan Agrawal: The questions being asked here reveal that we have surplus cotton, but is it not a fact that cotton worth Rs. 20 crores is being imported from Pakistan?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : महोदय, मेरे विचार में यहां कुछ गलतफहमी है। शायद मैं अपने आपको स्पष्ट नहीं कर पाया हूं। पाकिस्तान से आयात की जा रही कपास मध्यम किस्म की है जिसकी देश में 10 लाख गांठों की कमी है। हम केवल 2 लाख गांठें आयात कर रहे हैं। हम लम्बे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली कपास के निर्यात की बात कर रहे हैं।

Shri Ram Singh Bhai: The hon. Minister has stated that price of long staple cotton and medium cotton is the same We are in short supply of medium variety. Will the hon. Minister go into the question of meeting this shortage by mixing long staple cotton and short staple cotton so that cloth quality could also be improved?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस तकनीकी पहलू पर विचार किया जा रहा है।

अहमदाबाद स्थित असैनिक हवाई अड्डे पर टर्मिनल बिल्डिंग

*858. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद तथा गुजरात में विमान यातायात के बढ़ जाने के कारण अहमदाबाद स्थित असैनिक हवाई अड्डे की वतमान टर्मिनल बिल्डिग को आजकल अपेक्षित न्यूनतम स्तर तक सुन्दर ढंग से सेवा योग्य बनाने के उद्देश्य से नवीकृत विस्तरित तथा आधुनिकीकृत किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त विकास कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा इस पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(घ) क्या उक्त टर्मिनल बिल्डिंग के आस पास के क्षेत्र को भी विकसित किया जा रहा है ; और यदि हां, तो किस रूप में तथा कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) . टर्मिनल भवन का पहले ही विस्तार तथा नवीकरण किया जा चुका है । यात्री सुविधाओं के क्षेत्रों को 4031 वर्ग फुट से बढ़ा कर 13655 वर्ग फुट कर दिया गया है । सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्लीयर किए गए यात्रियों के लिए एक पृथक क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए और छोटे-मोटे परिवर्तन करने का कार्य प्रगति पर है । सम्पूर्ण स्कीम पर 6.5 लाख रुपए का खर्च होने की आशा है ।

(घ) जी, हां । इसमें कुछ क्षेत्रों का धूलि-रोधन (डस्ट प्रूफिंग), उद्यानों का सुधार आदि सम्मिलित है । इन कार्यों को शीघ्रता से प्रारम्भ करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं अहमदाबाद हवाई अड्डे के वर्तमान टर्मिनल भवन के विकास के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की प्रशंसा करता हूं । क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि ऐसा अहमदाबाद हवाई अड्डे को अपेक्षित न्यूनतम स्तर तक लाने के उद्देश्य से किया गया है जिसके बारे में मैंने विशेष रूप से प्रश्न में पूछा है ? वहां पर सामान का शीघ्र निपटारा, कन्वेयर बेल्ट बनाना, वातानुकूल सुविधाएं, क्योंकि अहमदाबाद में सर्दी के महीनों को छोड़कर प्रायः सारा साल गर्मी पड़ती है, तथा कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जायें । इन सभी मामलों में क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि वर्तमान भवन अपेक्षित न्यूनतम स्तर का है ?

उन्होंने मेरे प्रश्न के भाग (ग) का पूरा उत्तर नहीं दिया है, 'उक्त विकास कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?' उन्होंने कुल लागत बताई है परन्तु काम पूरा होने की तारीख नहीं बताई ।

श्री राजबहादुर : मैंने बताया है कि टर्मिनल भवन का विस्तार और नवीकरण पहले ही किया जा चुका है । आगमन कन्कोर्स, प्रस्थान कन्कोर्स और सामान डिलीवरी का विस्तार पूरा हो चुका है । वहां पर प्रस्थान होल्डिंग भी है जो पहले नहीं थी ; 224 वर्ग फुट के आरक्षित लौंज की भी व्यवस्था की गई है ; रेस्टोरेंट का भी विस्तार किया गया है । वी० आई० पी० रूम में और लौंज के बढ़ाये गये भाग में अतिरिक्त फर्नीचर उपलब्ध करने की मंजूरी दे दी गई है ।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि हमने अपने वित्तीय संसाधनों की सीमाओं के भीतर यथासम्भव काम किया है । मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि वह स्वयं हवाई अड्डे के स्तर में सुधार करने के तरीके तथा उपाय सुझाने में सहयोग दे रहे हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : भाग (घ) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि काय को शीघ्र करने के लिये निदेश जारी किये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फुव्वारों सहित उद्यानों का विकास करने, टर्मिनल भवन के निकट एक वृत्ताकार एक-तरफा मार्ग का निर्माण करने, भूमि को समतल करने, पार्किंग सुविधाएं प्रदान करने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है क्योंकि छठी योजना में नए भवन के बनने से पूर्व हम इन सब बातों में सुधार चाहते हैं ।

श्री राजबहादुर : मेरा उत्तर स्वीकारात्मक है । मैंने कहा है कि इसमें कुछ क्षेत्रों का धूलि-रोधन (डस्ट प्रूफिंग), उद्योनों का सुधार आदि शामिल है । मैं फुव्वारों के बारे में नहीं जानता । शायद माननीय सदस्य को इस बात का पता है कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में तथा लगातार पानी की आवश्यकता है । जो अहमदाबाद नगरपालिका शायद उपलब्ध कर सके । फुव्वारे वहां नहीं हैं परन्तु अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : पार्किंग सुविधाओं, एक-तरफा-मार्ग आदि का क्या हुआ ?

श्री राजबहादुर : किये गये सुधारों में पार्किंग सुविधाएं भी शामिल हैं ।

सामान्य बीमा निगम द्वारा अनिवार्य फसल बीमा

\+

*862. **श्री हरी सिंह :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम ने देश में अनिवार्य रूप से फसल बीमा आरम्भ करने में अपनी अनिच्छा प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं । ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने स्वेच्छया चुने हुए क्षेत्रों में चुनी हुई फसलों पर प्रायोगिक फसल बीमा योजना लागू करने के लिए विविध बीमा निगम को कहा है । इसलिए, देश में अनिवार्य फसल बीमा को चालू करने में विविध बीमा निगम की अनिच्छा का प्रश्न नहीं उठता है ।

Shri Hari Singh: The hon. Minister has stated in the answer that the Government of India has asked the L.I.C. to take our pilot Crop Insurance Scheme in its own hands. I would like to know from the hon. Minister the area covered by this scheme and name of the districts in which it has been introduced and also the name of crops covered under the scheme. I would also like to know the results of the implementation of the scheme and the benefit accrued by the farmers as well as by the Government.

Shrimati Sushila Rohtagi: First of all, the work was started in the year 1972 in Gujarat where L.I.C. was doing the work of G.I.C. in this connection eight pilot schemes were introduced which are following:—

1. Cotton—44-Kharif, 1974 in Gujarat.
2. Cotton—MCU 5—Karif, 1974 in Tamil Nadu.
3. Cotton—H4—Kharif, 1974 in Maharashtra.
4. Groundnut—Kharif, 1974 in Andhra Pradesh.
5. Ground nut—Kharif, 1974 in Gujrat.

6. Cotton—M.C.U 5—Winter, 1974-75 in Tamil Nadu.
7. Groundnut—Winter, 1974-75 in Andhra Pradesh.
8. Wheat (Kalyan-Sona)—Winter, 1974-75 in Maharashtra.

Subsequently, a scheme has been evolved in Uttar Pradesh and scheme is going to be introduced in National for sugar-cane.

So far as the area and benefit is concerned, I have got the annexure with me and if the hon. Member requires. I can send the detail to him. In 1974 we earned rupees two and a half lakhs as premium and we spent 25 lakhs rupees in the form of disposal of claims.

Shri Hari Singh: In this context, I would like to ask one more question. Area covered for wheat and sugar-cane is negligible. Maximum number of farmers depend upon these two crops. I would like to know from the Government as to when this scheme will be introduced in rest of the States which produce wheat and sugar-cane and the name of the districts to be covered under this scheme?

Shrimati Sushila Rohtagi: It is a comprehensive question. The Government's eort is to cover maximum area so as to benefit maximum number of persons. But as you know, different situations prevail in agriculture. The pilot project has been made keeping in view the capacity of the farmers and the inputs used by them. The Board has constituted a committee to review this scheme and the report will be submitted in the instant month. The report will be considered and we shall see what action is to be taken in the matter.

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदया ने उत्तर में बताया है कि कपास, गेहूं ग्रौर कुछ सीमा तक गन्ने ग्रादि उत्पादन की कुछ वस्तुग्रों पर फसल बीमा योजना सीमित स्तर पर शुरू की जा रही है। क्या चाय जैसी वाणिज्यिक फसल पर ग्रनिवार्य बीमा योजना लागू करना सम्भव नहीं है जबकि इस समय ऐसी योजना विद्यमान है ग्रौर क्या सरकार के लिए यह वांछनीय है कि वह विशेषकर देश के उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर यह योजना लागू करे जहां गेहूं तथा गेहूं से इतर फसलें उगायी जाती हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न का ग्रन्तिम भाग नहीं समझ पाई, लेकिन जहां तक ग्रनिवार्य बीमे का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया जा चुका है। इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है ग्रथवा नहीं, इस प्रश्न पर विशेषज्ञ समिति ने विचार किया था। उनका मत था कि देश की विशालता को देखते हुए एक बड़े तंत्र की ग्रावश्यकता होगी ग्रौर साथ ही इस पर व्यय भी बहुत ग्रधिक होगा। ग्रतः इसे ग्रनिवार्य बनाने पर निर्णय करने से पूर्व यह योजना प्रायोगिक ग्राधार पर शुरू की जा रही है ग्रौर इसके परिणामों से पता चलेगा कि क्या इसे ग्रनिवार्य बनाया जा सकता है ग्रथवा नहीं ।

क्या माननीय सदस्य प्रश्न का ग्राखिरी भाग दोहराऐंगे ?

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या सरकार देश के ग्रन्य भागों ग्रौर विशेषकर उन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों पर ग्रनिवार्य बीमा योजना लागू करने पर विचार करेगी, जहां गेहूं से इतर धान, पटसन ग्रादि फसलें की खेती होती है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वहां उर्वरक निगम, कृषि उद्योग निगम जैसी अन्य स्थानीय तंत्र हैं जो स्थानीय क्षेत्रों में इस योजना को लागू कर सकें।

Dr. Laxminarayan Pandeya: In an answer to supplementary question the hon. Minister has stated that the Government has spent 25 lakh rupees and earned two and a half lakh rupees as a premium. I would like to know from the hon. Minister whether the Government want to apply the compulsory Deposit Scheme on commercial basis or they are agreed to the scheme in principle so that farmers may be benefitted.

Shrimati Sushila Rohtagi: Had the Government not agreed in principal, they would not have started this with profit motives. We have to keep in mind both the aspects because money kept with L.I.C. is public money. Therefore, it is not easy to draw conclusion. But it has been done in principle and it will be taken up by possible means.

Shri Bibhuti Mishra: I am Member of this House for the last 24 years. I have all along been hearing about crop insurance. I would like to know whether Government have specific plan as to which money crop will be covered in such and such year and the food stuffs will be covered in such and such year. May I know whether Government will make some phased programme to cover the money crops like tobbacco, paddy, jute, wheat etc. so that the farmers may grow prosperous and their difficulties could be alleviated. Mr. Subramaniam had told such when he was in the Ministry of Food.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मणयम) : फसल बीमा के प्रश्न पर चर्चा की गई है और छानबीन की गई है तथा कई समितियां भी नियुक्त की गई हैं और अब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सका है कि देश में विभिन्न फसल क्षेत्रों एवं खेती की विभिन्न प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए यह योजना लागू करना सम्भव नहीं है। सीमित क्षेत्र में भी ऐसा सम्भव नहीं है। वस्तुत: प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत 22,000 क्षेत्रफल के प्रीमियम के लिए 2 लाख रुपये एवं 20,000 क्षेत्रफल के प्रीमियम के लिए 3 लाख रुपये का दावा किया गया। अतः जब तक सरकार इन सब कामों के लिए राज सहायता नहीं देती और इसके लिए हमें संसाधन भी जुटाने होंगे तब तक इस योजना को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। लेकिन फिर भी किसी प्रणाली को क्षेत्र विशेष में लागू करने के उद्देश्य से प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं और आशा है कि शीघ्र ही हम ऐसी प्रणाली बना सकेंगे जिसके अन्तर्गत माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कुछ वस्तुओं को शामिल किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी दिलीप सिंह—अनुपस्थित। श्री इन्द्रजीत गुप्त—अनुपस्थित।

श्री बसन्त साठे : नियम 48 (3) में कहा गया है :—

"यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाये या जिस सदस्य के नाम में प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष किसी सदस्य की प्रार्थना पर निदेश दे सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाय" मेरा अनुरोध है कि आप इस नियम के अन्तर्गत मंत्री महोदय से प्रश्न पूछें।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं इस अनुरोध का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद कहा जाएगा कि मैं अनुपूरक प्रश्न भी पूछूं।

श्री बसंन्त साठे : यह काम हम स्वय कर लेंगे। आप केवल मंत्री महोदय को निदेश दें कि वह प्रश्न का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मुझे अपने अधिकार का पता नहीं चल जाता तब तक मैं इसका प्रयोग नहीं करुंगा।

श्री बसन्त साठे : क्या आपको अपने अधिकार पता नहीं ?

श्री वयालार रवि : कई सदस्य अनुपस्थित हैं। इससे प्रश्न-काल जल्दी समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न तभी पूछ सकता हूं जब मैं सदस्य का स्थान ग्रहण कर लूं।

नियंत्रित मूल्य के कपड़े के स्टाक का जमा होना

+

***866. श्री एम० कतामुतु :**
श्री मान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित मूल्य के कपड़े की कुछ किस्मों का स्टाक जमा हो गया है जबकि कुछ किस्मों के कपड़ों की सप्लाई कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार के कपड़ों के उत्पादन में इस असंतुलन को दूर करने के लिये उपाय सुझाने हेतु कोई जांच करवाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) भूरे लट्ठे के स्टाक जमा होने तथा धोतियों और साड़ियों की कम सप्लाई के बारे में हाल के महीनों में शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) : 1 अक्तूवर, 1974 से वस्त्रायुक्त की अनुमति के बिना भूरे लट्ठे के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी, 1975 से मिलों को यह निदेश दिया कि वे नियन्त्रित कपड़े के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत भाग धोतियों और साड़ियों के रूप में करें।

श्री एम० कतामुतु : मंत्री महोदय ने बताया कि धोतियों और साड़ियों की सप्लाई कम है लेकिन सरकार ने मिलों को निदेश दिया है कि वे नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन का 20 प्रतिशत धोतियों एवं साड़ियों के रुप में करें। मैं जानना चाहता हूं कि धोतियों और साड़ियों की अनुमानित मांग कितनी है और क्या 20 प्रतिशत निर्धारण धोतियों और साड़ियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार धोतियों और साड़ियों की मांग कपड़े की कुल मांग का 20 प्रतिशत है। हम संगठित मील क्षेत्र को पूरी मात्रा का उत्पादन करने के लिए नहीं कह

सकते क्योंकि इससे हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए मिल क्षेत्र को अधिक उत्पादन करने के लिए कहना संगत नहीं होगा।

श्री मोहन धारिया : क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलें ही स्टेण्डर्ड कपड़े का उत्पादन करें तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलें इस दायित्व से मुक्त रहें।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच नहीं है।

Shri Narsingh Narain Pandey: The other day I told in the House that the cloth produced by Kanpur mills is sold in collusion with the officers of Consumer Co-operative Society. May I know whether enquiry has been made and if so, the results thereof?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस समय जांच प्रतिवेदन मेरे पास नहीं है अतः सदस्य को जानकारी देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए।

Shri Ram Kanwar: I would like to know from the hon. Minister whether accumulation of stocks of long cloth will result in decline of price of cloth so that the poor may make maximum use of it.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: लट्ठे के स्टाक जमा होने का एक कारण यह भी है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ऋण कठिनाइयों के कारण कपड़ा उठा नहीं पा रही। समस्या के इस पहलू पर विचार किया जा रहा है। जहां तक समस्या के दूसरे पहलू अर्थात्, घटिया कपड़े के स्टाक को न उठाने का सम्बध है, इस पर भी विचार किया जा रहा है और इस वर्ष पहली मार्च से नए नमूने के लट्ठे का उत्पादन किया जा रहा है और आशा है कि अच्छी किस्म के लट्ठे के बाजार में आते ही स्थिति सुधर जाएगी।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि मिलों एवं हथकरघा क्षेत्र को 20 प्रतिशत स्टेण्डर्ड कपड़ा उत्पादन करने का दायित्व पूरा करने के लिए कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनता की मांग को पूरा करने के लिए यह निर्धारण पर्याप्त होगा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : स्टेण्डर्ड कपड़ा योजना के अन्तर्गत देश की समूची मांग को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है। यह योजना देश के निर्धन वर्ग के लिए बनाई गई है और अधिकांशतः इसी वर्ग को इस योजना में शामिल किया गया है। मैं मानता हूं कि सभी निर्धन वर्गों को इससे लाभ नहीं हुआ है। हमारा विचार इस योजना में और विस्तार करने का है। गत वर्ष हमने 40 करोड़ वर्ग मीटर से 80 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन किया और हम इसमें और वृद्धि करने पर विचार कर रहे हैं।

Shri M. C. Daga: Keeping in view the demand of cloth in the country whether Government wants to give incentive to handloom and powerloom sector? Secondly, what is the consumption, production and demand of cloth in the country?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मिल क्षेत्र द्वारा स्टेण्डर्ड कपड़े के उत्पादन के अतिरिक्त हथकरघा क्षेत्र भी इस कपड़े का उत्पादन करता है। जहां तक राहत का प्रश्न है, कल वित्त मंत्री ने विद्युत्करघा

क्षेत्र को राहत देने की बात की थी। हम हथकरघा क्षेत्र को स्टाक समाप्त करने में सहायता देकर तथा कुछ छूट देकर भी राहत देने पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही निर्णय किए जाने की आशा है।

Shri Ram Singh Bhai: Is it a fact that mills producing fine, superfine and high-quality cloth do not fulfil their obligation of producing standard cloth and get this cloth produced from National Textile Mills because if they do not produce their quota of standard cloth, they have to pay fine of Rs. 2.50 per square metre. But the money goes to the federation. Mills run by Corporation are not capable of producing good cloth. Is it also one of the reason for getting inferior quality of cloth?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : एक कारण यह है कि एक मीटर स्टेण्डर्ड कपड़े के उत्पादन के पीछे कारखाने को, चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर-सरकारी, 1 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर नुक्सान होता है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ मिलें मशीनों के लिहाज से बेहतर हैं और इसीलिए वह स्टेण्डर्ड कपड़े का काफी भाग पैदा करती हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं गैर-सरकारी क्षेत्र भी काफी मात्रा में स्टेण्डर्ड कपड़े का उत्पादन कर रहा है।

Import of Commodities from Bangladesh

*868. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state the names of commodities imported by our Government from Bangladesh during 1972-73 and 1973-74 and the amount of foreign exchange spent thereon?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 1972–73 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, मार्च 1972 में किये गये सीमित भुगतान प्रबन्ध के अनुसार होता था। जुलाई 1973 में इस करार के स्थान पर संतुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबन्ध कर दिया गया था जिसकी अवधि 31 दिसम्बर 1974 तक थी। दोनों प्रबंधों में दोनों देशों के बीच रुपये में व्यापार की व्यवस्था थी। 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान बंगलादेश से कुल मिलाकर आयात की गई प्रमुख वस्तुएं निम्नोक्त प्रकार थीं :—

	मूल्य (हजार रु०)	
	1972–73	1973–74
1. कच्चा पटसन (विमलि पटसन तथा मेस्टा को छोड़कर)	10455	121047
2. कागज (जिसमें अखबारी कागज भी शामिल है) तथा गत्ता	6580	25838
3. मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं	7325	20639
4. सीरा, अखाद्य	1103	40
5. अन्य वस्तुएं	9162	1290
कुल आयात	34625	168854

Shri Lalji Bhai: The trade agreement was valid upto 31st December, 1974. Was there any proposal to extend the date and if not the reason therefor and if there was such proposal and the term was extended then whether it provides to import the items which were used to be imported under the previous agreement and if it provides for the import of different items, what are those?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : व्यापार करार की अवधि दिसम्बर, 1974 तक थी । तब इसकी समीक्षा की गई और जिन मदों के आयात के लिए ठेका दिसम्बर तक था उसको फरवरी तक बढ़ा दिया है। इसके बाद निर्बाध विदेशी मुद्रा व्यापार करना शुरु कर दिया गया और रुपयों में व्यापार करने की प्रणाली बन्द कर दी गई । अब बंगला देश के साथ निर्बाध विदेशी मुद्रा व्यापार चल रहा है। उस समय जिन वस्तुओं को छोड़ दिया गया था ताकि उनका आयात अथवा निर्यात जारी रहे वे वस्तुएं हैं—कोयला, पटसन, तम्बाकू, समाचार-पत्र तथा ताजे फल ।

Shri Lalji Bhai: What is the price fixed for the new items and what will be the price of new items in the extended period?

Shri Vishwanath Pratap Singh: Prices have not been increased during extended period and for the import-export purposes prices will remain same during extended period.

श्री प्रियरंजन दास मुशी : मछली आयात की मुख्य वस्तु है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बंगला सरकार ने मछली सप्लाई करने के बारे में यह आपत्ति उठाई है अथवा अनिच्छा प्रकट की है कि जो कुछ भी वे निर्यात करते हैं अथवा जो कुछ भी हम उनसे आयात करते हैं वह इसलिए हमारे पास सही समय पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि हमारे पास आयात के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं । दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि बंगला देश से आयात की गई मछली की खपत केवल बंगाल में होती है अथवा सम्पूर्ण देश में ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बंगला देश सरकार ने मछली की सप्लाई के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा था कि उन्हें बर्फ में पैक करने आदि परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां हो रही हैं । जहां तक मछली की खपत का सम्बन्ध है मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि मछली अन्य राज्यों को जाती है अथवा नहीं । मेरे विचार में मछली की अधिकांश खपत पश्चिमी बंगाल कर रहा है ।

Speech by Chairman S.B.I. Bombay Regarding Assets of Commercial Banks

*370. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government attention has been drawn to the speech delivered by the Chairman of the State Bank of India in Bombay on 31st March, 1975 in which he is reported to have stressed the need for increasing assets of the commercial banks which he considered essential for them without which working of the banks is likely to be affected adversely; and

(b) If so, the steps taken by Government in the matter?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां ।

(ख) भाषण में उल्लिखित संदर्भ का सम्बन्ध बैंकों की पूंजी निधि अर्थात् जमा दायित्वों की तुलना में पूंजी और सुरक्षित कोष की पर्याप्तता के प्रश्न से है । रकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रश्न पर छठे दशक के प्रारम्भ में, और तत्पश्चात् 1969 में 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के स.य से, विचार कर रहे हैं, रिजर्व बैंक पिछले कुछ वर्षों से, उनकी सामान्य और आवश्यक व्यवस्थाओं तथा लाभों में से सुरक्षित कोष में विनियोग की गति में तीव्रता लाने के लिए बैंकों पर दबाव डाल रहा है ।

Dr. Laxminarayan Pandeya: The hon. Minister has stated that Reserve Bank have been impressing on the banks the need for stepping up their usual and necessary provisions and appropriations to reserves from out of the profits. I would like to know the extent of increase in the reserve capital of the banks in the wake of this step and if there has been no increase, the reason therefor?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : प्रकाशित लेखों के अनुसार स्टेट बैंक के मामले में यह प्रतिशतता वर्ष 1955 में 6 से कम होकर वर्ष 1973 में 1 से थोड़ी ऊपर हो गई थी । अब यह प्रतिशतता बढ़कर 1.6 हो गई है क्योंकि पूंजी उतनी रहते हुए भी जमा राशि में वृद्धि हुई है । अतः इस प्रश्न पर बैंकिंग आयोग द्वारा विचार किया गया था और उन्हें जमा राशि के संदर्भ में पूंजी के बारे में कुछ सिफारिशें भी की हैं । लेकिन जहां पूंजी की राशि कम हो, वहां जमाकर्ता को जोखिम उठाना पड़ता था लेकिन सौभाग्य हमने जमा बीमा निगम, ऋण गारन्टी संगठन तथा ऋण गारण्टी निगम आदी संगठन बनाए हैं जो बैंकों आदि के फेल होने के कारण हुए नुक्सान की गारन्टी देती है और इस कारण जोखिम कुछ हद तक कम हो गया है । लेकिन मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि सुरक्षित पूंजी के मामले में जमाकर्ताओं की सुरक्षा समय आने पर बढ़ जाए ।

Dr. Laxminarayan Pandeya: He has stated that security for the depositors in regard to reserve capital is essential. I would like to know whether there has not been decline in the bank deposits and if so, what steps have been taken to ensure increase in bank deposits?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह बात नहीं कि जमाराशि में कमी हुई है । जमा राशि में तो वृद्धि हुई है लेकिन इसकी दर में कुछ कमी अवश्य हुई है । ऐसा वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण हुआ है और आर्थिक स्थिति सुधरने पर जमाराशि में भी वृद्धि होगी ।

श्री वयालार रवि : हाल में स्टेट बैंक के चेयरमैन ने स्वामित्व को समाप्त करने एवं जनता को शेयर बेचने के बारे में एक वक्तव्य दिया था । क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है अथवा चेयरमैन को ऐसा वक्तव्य देने का प्राधिकार दिया था ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : चेयरमन को प्राधिकार देने का प्रश्न नहीं है । चेयरमैन विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखते हुए अंशधारियों को भाषण देता है और यदि वह कोई ऐसी बात कहता है जिसमें सरकार को कार्यवाही करनी होती है तो यह बात सरकार के ध्यान में लाई जाती है और उस आधार पर हम निर्णय करते हैं ।

श्री वयालार रवि : चाहे वह नीति सम्बन्धी मामला हो ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जी, हां। नीति सम्बन्धी मामलों पर भी निर्णय किया जाता है।

वर्ष 1975-76 में राज्य व्यापार निगम का कुल व्यापार

श्री श्रीकिशन मोदी :

†878. **श्री डा० डी० देसाई :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 में राज्य व्यापार निगम ने एक हजार करोड़ रु० का कुल व्यापार करने का लक्ष्य रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोध्याय : (क तथा (ख) : जी हां। 1000 करोड़ रु० के कुल प्रस्तावित व्यापार में से 731 करोड़ रु० का निर्यात होगा, 265 करोड़ रु० का आयात होगा तथा 4 करोड़ रु० का आन्तरिक व्यापार होगा।

Shri Shrikishan Modi: I want to know from the Hon. Minister the worth of essential and non-essential commodities to be exported separately. He has given the figure that the export will account for Rs. 731 crores.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्रीमान, चीनी, सीमेंट तथा चमड़ा जैसी कई बस्तुएं हैं जिनका निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, लगभग 350 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी का निर्यात किया जाएगा। जहां तक चमड़े का सम्बन्ध है, लगभग 150 करोड़ रुपये के मूल्य के चमड़े का निर्यात किया जायगा। इस तरह कई अन्य आंकड़े हैं जो मुख्यत: गत वर्ष के निर्यात के सम्बन्ध में हैं।

Shri Shrikishan Modi: I want to know from the Hon. Minister the value of essential and non-essential commodities to be exported separately.

श्री मूल चन्द डागा : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि चावल आवश्यक वस्तु समझी जाती है तो इसका निर्यात किया जाता है। जिस किस्म के चावल का निर्यात किया जाता है वह बहुत उत्तम किस्म का चावल है और वह बहुत ही सीमित मात्रा में निर्यात किया जाता है। बाकी अधिकांश वस्तुएं गैर-आवश्यक हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मंत्री महोदय उत्तर देने में टाल-मटोल कर रहे हैं। वह (माननीय सदस्य) राशि के बारे में पूछ रहे हैं।

He has not replied to the Question asked by Shri Shrikishan Modi.

Shri Shrikishan Modi: If the Hon. Minister has no figures at present, he can keep it pending and later on he can give us the figures.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारे पास विस्तृत आंकड़े नहीं । किन्तु यदि वह जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगा ।

Shri Narsingh Narain Pandey: You have just now replied to a question regarding sugar that it is not in public interest to tell about the per tonne rate of sugar. I want to know from the Hon. Minister that who will be responsible for the loss to be incurred on account of 45 per cent fall in the price of sugar in international market. For the last four months a good quantity of sugar for export purpose is lying at Shipyards or in sugar mills. I want to know whether the Hon. Minister will look into it and take proper action in this regard so that our export may increase?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याव : श्रीमान हम संविद मूल्य पर चीनी तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात करते हैं । यह स्वाभाविक है कि चूंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं इसलिए हमें कुछ मात्रा पत्तन नगरों में तैयार रखते हैं । ह कहना सही नहीं है कि हम किसी भी वस्तु का निर्यात ठीक समय पर नहीं कर पाये हैं और इस प्रक्रिया में हमें हानि हुई है । इस तरह की कोई हानि नहीं हुई है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैं विशेष प्रकार का प्रश्न पूछ रहा हूं । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 4 महीनों के अंदर चीनी के मूल्य में 45 प्रतिशत गिरावट आई है और क्या हम वांछित मात्रा में चीनी का निर्यात नहीं कर पाये और क्या निर्यात की जाने वाली चीनी चीनी मिलों के गोदामों में पड़ी हुई है ।

Mr. Speaker: Please sit down. Hon. Minister will reply.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने पहले ही कह दिया है कि हम प्रत्येक महीने चीनी की निर्धारित मात्रा का निर्यात कर रहे हैं । अतः निर्यात में किसी तरह का विलम्ब नहीं हुआ है । किन्तु हम एक ही महीने में वांछित मात्रा का निर्यात नहीं कर सकते । हमें यह तीन चार महीनों तक निर्यात करनी होती है और इसमें हमें कोई हानि नहीं हुई है ।

Shri Narsingh Narain Pandey: I am asking about the fall in price. I am not asking about the time.

अध्यक्ष महोदय : पांडे जी कृपया बैठिए । इसमें कोई अंतर नहीं है । वे इसका निर्यात नियमित रूप से कर रहे हैं ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैंने पहले ही ऐक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। चार महीनों के अंदर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य में 45 प्रतिशत गिरावट आई है। कुछ दिन पहले कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री शहनवाज खां ने कहा कि शिपयार्ड में लाने-ले जाने की सुविधाओं की कमी के कारण चीनी का निर्यात नहीं किया जा सका। उन्होंने यही उत्तर दिया था। वाणिज्य मंत्री ऐसा कैसे कहते हैं कि वह चीनी का निर्यात नियमित ढंग से कर रहे हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पता नहीं मेरे साथी ने क्या कहा। मैंने रिकार्डज नहीं देख हैं। मैं ये तथ्य तथा जानकारी अपनी जानकारी के आधार पर दे रहा हूं। पोत भरण यथा-पूर्व ही हो रहा है। जब भी उपलब्ध मात्रा निर्यात के लिए उपलब्ध होती है, हम उसका निर्यात कर देते हैं। किन्तु सारी मात्रा एक बार उपलब्ध नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न सीधा है कि क्या निर्यात के लिए कुछ चीनी पत्तनों पर पड़ी हुई है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हो सकता है निर्यात में कुछ दिनों का विलम्ब हो गया हो किन्तु निर्यात में कोई भारी रुकावट पैदा नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यही उपयुक्त उत्तर है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम द्वारा कुटीर उद्योगों के किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया, उनका मूल्य क्या है और उन वस्तुओं के क्या नाम हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य हथकरघा तथा हस्त-शिल्प निर्यात निगम के उत्पादों की बात कर रहे हैं। हम कुटीर उद्योगों में निर्मित वस्तुओं, जैसे जूते, तथा चमड़े की अन्य वस्तुओं तथा गलीचों का निर्यात करते हैं। किन्तु अभी मेरे पास इनके बारे में विस्तृत आंकड़े नहीं हैं। किन्तु मैं उन्हें यह बता सकता हूं कि जूते, गलीचे, चमड़े की निर्मित वस्तुएं, चमड़े के बैग आदि मुख्य वस्तुएं हैं। जरी कार्य का भी निर्यात किया जाता है। हम इन्हीं वस्तुओं का निर्यात करते हैं।

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि चालू वर्ष में अनुमानित कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात होगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस बारे में जानकारी देना हमारे हित में नहीं होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चन्दन की लकड़ी के तेल का निर्यात

*854. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के बाजारों में भारत की चन्दन की लकड़ी का तेल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). जी हां। विगत तीन वर्षों के दौरान चन्दन की लकड़ी के तेल के कुल निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :

	मूल्य लाख रुपयों में
1972–73	278
1973–74	351
1974–75 (अप्रैल–नवम्बर)	549

स्टेट बैंक आफ इंडिया की तिरुवनमियूर शाखा में डकैती

*856. श्री नवलकिशोर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अप्रैल, 1975 को तिरुवनमियूर उपनगर में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा को चार नकाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों ने लूटा था और वे नकदी लेकर भाग गये थे;

(ख) वे कितनी राशि ले गये तथा इस घटना का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :(क) से (ग). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि चार नकाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों ने 5 अप्रैल, 1975 को इस बैंक की तीरुवनमियूर शाखा में डाका डाला। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार नकदी और सोने के जेवरों वाला कमरा खोलने के अपने प्रयासों में असफल होने के पश्चात् वे सशस्त्र व्यक्ति नकदी-काउन्टरों पर तत्काल उपलब्ध 36,599 रुपये की नकद राशि लेकर भाग गये। बैंक ने स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है जो इस मामले की जांच कर रही है।

क्योंकि डकैती सहित सभी अपराधों का कानून और व्यवस्था से सम्बन्ध है और यह विषय राज्य सरकारों के लिये सुरक्षित है, अतः मुख्य रूप से यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि इस प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम के लिये कदम उठाये।

सभी बैंक डकैती से बचाव के लिये अक्सर अपना-अपना सुरक्षा-प्रबन्ध और सावधानियां रखते हैं और प्राप्त अनुभव के आधार पर इस सुरक्षा-प्रबन्धों तथा सावधानियों की, सावधिक-समीक्षा करते हैं ताकि इन प्रबन्धों को और प्रभावी बनाया जा सके।

बैंक कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

*857. **श्री० के० एस० मधुकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों को दिये जाने वाले वर्ष 1974 के बोनस की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) बोनस किसी एक बैंक द्वारा किए जाने वाले उन विनियोगों में से एक है, जिनका विनियोजन बैंक के प्रबंधकों द्वारा अशोध्य एवम् संदिग्ध ऋणों के वास्ते प्रावधान या अन्य सामान्य अथवा दूसरे अपेक्षित प्रावधान निश्चित करने के बाद, सकल लाभ में से किया जाता है। साधारणतः सरकार विभिन्न शीर्षकों के अधीन विनियोजन के सामान्य प्रश्न और बोनस के भुगतान के बारे में अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण के विषय में सरकार देश के बैंकों के साथ हर साल इस दृष्टि से विचार-विमर्श करती है कि इस बारे में कोई एक बैंक अन्य बैंकों से बहुत भिन्न न हो जाय। कुछ बैंक अधिकारियों को बोनस के भुगतान की अधिकतम सीमा निश्चित कर चुके हैं। अतएव, अधिकारियों को बोनस देने की अधिकतम सीमा का सामान्य प्रश्न भी इन बैठकों में परिचर्चित विषयों में से एक होता है।

प्रत्येक बैंक अपने वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा (आडिट) पूरी हो जाने के बाद 'वर्ष 1974 के लिए बोनस का भुगतान करने के बारे में' अपने-अपने बैंकों की यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग समझौता-वार्तायें करेगा। एक बैंक के अलावा सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों का 1974 की लेखा परीक्षा (आडिट) अभी पूरी नहीं हुई है।

जीवन बीमा निगम के पास मृत्यु सम्बन्धी दावे

*859. **श्री जाम्बुवन्त धोते :**

श्री राम हेडाऊ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के पास मृत्यु संबंधी अनेक दावे काफी लम्बे समय से अनिर्णित पड़े हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में आज तक कितने दावे किये गये और कितने दावों का निर्णय किया गया;

(ग) उनके निपटान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन अनिर्णित मामलों के शीघ्र निपटान के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 31 मार्च, 1974 की स्थिति के अनुसार मृत्यु संबधी बकाया पड़े दावों की संख्या 33222 थी । आज की स्थिति के अनुसार इसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं है परन्तु 28 फरवरी, 1975 को स्थिति के अनुसार अनुमानित आंकड़े लगभग 32000 है :

(ख) अवधि	मृत्यु संबंधी उन दावों की संख्या जिन की सूचना दी गयी ।	मृत्यु संबंधी उन दावों की संख्या जिनका निपटान किया गया ।
1-4-72 से 31-3-73 तक	55371	54335
1-4-73 से 31-3-74 तक	57779	50485
1-4-74 से 28-2-75 तक (अनन्तिम)	54184	55111

(ग) दावों के निपटान में निम्नलिखित कारणों से देरी होती है :--

(i) दावेदारों से दावा फार्मों/निस्सारण फार्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

(ii) दावेदारों से हकदारी प्रमाण की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

(iii) आयु प्रमाण की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

(iv) दावों के बारे में जांच पड़ताल पूरी की जानी होती है ।

(v) कार्यालयों द्वारा डाक्टरों, अस्पतालों आदि से की गयी पूछताछ के उत्तरों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

(घ) अभी हाल ही में जीवन बीमा निगम ने बकाया पड़े दावों की संख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) हकदारी के प्रमाण पेश नहीं करने की छूट देने के संबंध में कार्यभारी अधिकारी की शक्तियों को 10,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० तक के मामलों में कर दिया गया है ।

(ii) दावों के निपटान के संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों की कार्यवाहियों पर सतत नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय कार्यालय में एक कक्ष की स्थापना की गयी है ।

(iii) अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान से इस संबंध में अध्ययन करके इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है कि दावों के निपटान में तेजी कैसे लायी जा सकती है ।

(iv) 1 जनवरी, 1975 से "अपने पालिसीधारियों को सन्तोष दिलाओ" अभियान चलाया गया है और दावेदारों के लिए व्यक्तिपरक सेवा का विस्तार किया गया है ।

चीनी का निर्यात

***860. श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) किन-किन देशों को चीनी की कितनी-कितनी मात्रा, प्रति टन किस दर पर निर्यात की गई; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1972, 1973 तथा 1974-75 में क्रमशः 0.99 लाख में० टन, 2.49 लाख मे० टन तथा 6.97 लाख मे० टन चीनी की कुल मात्रा का निर्यात हुआ ।

(ख) क्योंकि अधिकांश बिक्रियां एफ० ओ० बी० आधार पर हुई थीं, अतः गन्तव्य स्थानों का विवरण देना कठिन है ।

प्रति मे० टन दर का बताया जाना जनहित में नहीं होगा ।

(ग) विगत तीन वर्षों में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रू० में)
1972-73	12.52
1973-74	42.21
1974-75	343.06

भारत पर्यटन विकास निगम में नए पद बनाना व उनका भरा जाना

*861. **श्री सरजू पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के आर्थिक संकट को देखते हुए सीधी भरती पर लगे पूर्ण प्रतिबन्ध संबंधी सरकारी निदेशों के बावजूद भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विभिन्न नए पद बनाए जा रहे हैं और भरे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अनुदेशों के जारी होने के पश्चात कौन-कौन से नए पद बनाये गए और भरे गए हैं; और

(ग) क्या खुले आम सीधी भरती करने से पूर्व मंत्रिमंडल की अनुमति प्राप्त की गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं । भारत पर्यटन विकास निगम में पदों के सृजन तथा भरने का कार्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विनियमित होता है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

बालयोगेश्वर द्वारा सीमा शुल्क विनियमों का उल्लंघन

*863. **चौधरी दलीप सिंह :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्री प्रेम पाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर के विरुद्ध सीमा शुल्क के मामले को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो मामले को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है; और

(ग) मामले को अन्तिम रूप देने में सरकार को क्या कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) पकड़े गये माल से सम्बन्धित मामले का निर्णय अक्तूबर, 1973 में हो चुका था । पकड़े गये माल को पूर्णत: जब्त कर लिया गया था । माल की जब्ती के आदेश के विरुद्ध अपील की गई है । अवैध आयात से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही के निमित्त जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अधीन कार्यवाही अनिर्णीत है ।

धारा 112 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसका उत्तर भी मिल गया था। यह मामला रूबरु सुनवाई एवं गवाहों की जांच पूरी करने के लिये पड़ा है। कुछ सुनवाईयां हो चुकीं हैं और पार्टी के वकील की प्रार्थना पर मामला स्थगित है। इस मामले में पुनः सुनवाई के लिये तारीख शीघ्र नियत की जा रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे निजी सचिव

*864. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने निजी सचिवों के पद के कुछ अधिकारियों की सेवायें अन्य विभागों/मंत्रालयों से गत तीन वर्षों में प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में जाने से पूर्व वे अधिकारी 220 से 530 रु० के संशोधन पूर्व के वेतनमान में कार्य कर रहे थे;

(ग) क्या इन अधिकारियों को 700 से 1250 रु० मास के वेतनमान में स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है और उन का वेतन 1100 रुपए प्रति मास पर निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं और उन्हें इस कार्यालय में खपाने व अन्य अनुषंगी लाभ देने के साथ-साथ इतने ऊंचे वेतन देने का औचित्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों (1972–73 से 1974–75) के दौरान अन्य विभागों/मंत्रालयों से निजी सचिव के पद के लिए किसी अधिकारी की सेवाएं उधार नहीं ली हैं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार के पालामऊ जिले के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण दिया जाना

*865. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बिहार के पालामऊ जिले कें बैंकों को किसानों को कृषि विकास के लिए ऋण देने के बारे में निदेश जारी करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सरकार लगातार यह आग्रह करती रही है कि वे कृषक क्षेत्र और विशेष रूप से छोटे किसानों को दिये जाने वाले ऋणों की मात्रा को बढ़ायें। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि का वित्त पोषण किये जाने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्गदर्शक सिद्धान्त भी जारी किए हैं। व्यक्तियों को अथवा विशिष्ट श्रेणी के ऋणकर्त्ताओं को ऋण देने के लिए बैंकों की विशिष्ट शाखाओं को सीधे

आदेश जारी करने की सरकार में प्रथा नहीं है । इस प्रकार के मामलों मे विल ब्रैंक प्रबन्धकों द्वारा ही कार्रवाई की जाती है ।

रूई को ओटने तथा दबाने वाले कारखानों में रूई पर उत्पाद शुल्क

*867. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के केन्द्रीय बजट में रूई को ओटने तथा दबाने वाले कारखानों में रूई पर प्रस्तावित एक प्रतिशत यथामूल्य लेवी के कारण इन कारखानों के लिए अनेक समस्यायें पैदा हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन मदों पर शुल्क लगाने के प्रश्न पर पुर्नविचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत एक प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगने के बाद, कपास ओटने वाली फैक्टरियों को पहले पहल इस शुल्क के अन्तर्गत लाया जाना था । परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ में ओटी हुई कपास पर शुल्क लेने की वैधता के बारे में संदेह उठाए गए थे, और उत्पादन शुल्क औपचारिकताओं का पालन करने में ओटाई एककों को होने वाली विभिन्न कठिनाइयों को बताया गया था ।

(ख) तथा (ग) सरकार ने मामले पर पुनः विचार करने के बाद अब यह फसला किया है कि ओटी हुई कपास पर उपर्युक्त एक प्रतिशत शुल्क नहीं लगेगा और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को तदनुसार हिदायतें जारी कर दी गई हैं ।

पश्चिम यूरोपीय देशों में चमड़े के सामान के निर्माताओं के साथ सहयोग

*869. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में चमड़े के सामान के निर्माताओं ने, चमड़े का सामान बनाने के लिये भारतीय पार्टियों के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ सहयोग हुआ है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम जर्मन की फर्मों के साथ सहयोग की दो प्रस्थापनाए हाल ही में अनुमोदित की गई हैं । ब्रिटेन की एक फर्म के साथ सहयोग की एक प्रस्थापना विचाराधीन है ।

मैसर्स मगनलाल छगनलाल, बम्बई की कर सम्बन्धी देयताएं

*871. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसस मगनलाल छगनलाल, बम्बई की ओर 31 मार्च, 1972, 1973 और 1974 को आयकर, धन-कर, उपहार कर तथा अन्य करों की कुल कितनी राशियां बकाया थीं ;

(ख) उपरोक्त तीन वित्तीय वर्षों में उन्होंने विभिन्न करों के रूप में कुल कितनी राशियां अदा कीं;

(ग) क्या करों के बकाया की अदायगी न करने के लिये इस बीच उनके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(घ) इन तीनों वर्षों में करों की बकाया राशियों की वसूली के लिये क्या विभिन्न उपाय किये गये और उनमें क्या सफलता प्राप्त हुई तथा आगे क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) बम्बई के मैसर्स मगनलाल छगनलाल के खिलाफ 1972, 1973 और 1974 के 31 मार्च, को आय-कर, धन-कर, दान-कर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कोई रकम बकाया नहीं थी । फर्म के विरुद्ध यदि सीमाशुल्क की कोई बकाया होगी, तो उसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) बम्बई के मैसस मगनलाल छगनलाल की फर्म द्वारा तीनों वित्तीय वर्षों में से किसी में भी आय-कर, धन-कर अथवा दान-कर देय नहीं था । तीनों वित्तीय वर्षों में से किसी में भी फर्म ने कोई केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की अदायगी नहीं की । फर्म ने यदि सीमा-शुल्क की कोई अदायगी की होगी तो उसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) और (घ) आय-कर, धन-कर, दान-कर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

सीमाशुल्क की बकाया की अदायगी नहीं करने के बारे में यदि इस्तगासे की कोई कार्यवाही की गयी होगी, जो विभिन्न कदम उठाये गये होंगे उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

सीमेंट का निर्यात

*872. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974—75 के दौरान कितनी मात्रा में सीमेंट का निर्यात करने का ठेका किया गया है और चालू वर्ष में अब तक सीमेंट की कितनी मात्रा निर्यात की गई है; और

(ख) गत दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) 1974-75 के दौरान 3.86 लाख मे० टन सीमेंट निर्यात करने की संविदा की गई और उस वर्ष के दौरान 3.07 लाख मे० टन के वास्तविक निर्यात हुए।

(ख) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के सम्बन्ध में संगत जानकारी निम्ननोक्त प्रकार है :—

	मात्रा मे० टन संविदा की गई	निर्यात किया गया
1972-73 . . .	3,76,000	2,06,000
1973-74 . . .	30,000	1,30,000

उड़ीसा में पर्यटन का विकास करने के लिए व्यय की गई धनराशि

8278. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वर्ष 1975-76 के दौरान उड़ीसा में पर्यटन का विकास करने हेतु बड़ी मात्रा में राज सहायता देने का है; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए कितना धन व्यय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास के लिये राज्य सरकारों को उपदान देने की पद्धति चौथी पंच वर्षीय योजना से समाप्त कर दी गई है। अब पर्यटन योजनाएं या केन्द्रीय और या राज्य क्षेत्र में हाथ में ली जाती हैं।

तथापि, पुरी में युवा होस्टल के निर्माण को पूरा करने का कार्य, कोणर्क एवं भुवनेश्वर के मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों की शोभावृद्धि सम्बन्धी कार्य पर्यटन विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। प्रथम सोपान के रूप में कोणार्क के सूर्य मंदिर के आस पास के क्षेत्र के लिये एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें भूमि उपयोग, सुविधाओं का निर्धारण एवं भूदृश्यावली शामिल है। यह कार्य 1975-76 में पूरा हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम का भुवनेश्वर में अपने वर्तमान 12 कमरों के यात्री लाज में 25 डबल कमरे और जोड़ने का, संतोषजनक संभाव्यता अध्ययन, साधनों की उपलब्धता व निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबन्ध के हटने की स्थिति में पुरी में एक तीन स्टार वर्ग के होटल निर्माण का, तथा भुवनेश्वर में एक परिवहन यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव है।

1974–75 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में परी में एक युवा होस्टल के निर्माण तथा भुवनेश्वर में यात्री लाज के विस्तार पर 5.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

उड़ीसा के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

8279. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों का विचार चालू वर्ष में उड़ीसा के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी शाखायें खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं और ऐसी शाखायें किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के संचार के मामले में पिछड़े होने के कारण बैंक इन क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने को तैयार नहीं है जबकि राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य ग्रामीण जनता की मदद करने का था; और

(घ) क्या सरकार का विचार बैंकों को उदार बनाने के लिये उनके सिद्धान्तों और शर्तों पर पुनर्विचार करने का है ताकि पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बैंक सुविधायें प्रदान की जा सकें ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें खोलने के लिए 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास दिसम्बर, 1974 के अन्त तक 44 लाइसेंस/आवंटन पत्र थे। इनमें से 20 लाईसेंस/आवंटन पत्र उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के लिए दिये गये थे । जिन केन्द्रों के लिए ये लाइसेंस/आवंटन पत्र दिये गये उनके नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि शाखाविस्तार की अपनी तीन वर्षीय रोलिंग योजनाएं बनाते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना बैंक वाले/कम बैंक वाले ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से जिन जिलों में जून, 1974 के अन्त तक प्रति बैंक कार्यालय जन संख्या 75,000 से अधिक थी, उनमें शाखाऐं खोलने को उचित प्राथमिकता दी जाए । यह एक ऐसा वर्ग है जिसके अन्तर्गत जनजाति की बड़ी जनसंख्या तथा अधिकांश क्षेत्र आ जायेगा ।

विवरण

जिला	**केन्द्र**
1. वालासोर . .	खैरा*
	वलियापाल*
2. वोलनगीर .	विंगा*

*पिछड़े जिलों में अवस्थित केन्द्र ।

3. बौद्ध-खोंडमाल्स .	टुमुडीवन्ध*
	पुरुना कटल*
	राकिंग्रा*
4. वालीकुडा (2 केन्द्र)	
4. कटक .	वालीकुडा (2 केन्द्र)
	मरसघाई
	ग्राथगढ़
	धर्मसाला
	किशन नगर
5. धेनकनाल .	तलेहू फर्टिलाइजर टाउनशिप*
	पारजंग*
	रेंगाली*
6. गंजम .	गोपालपुर (2 केन्द्र)
	वुगुडा
7. कलाहांडी	मदनपुर रामपुर*
	कोमना*
8. क्योंझर	तेलकोई*
	हरिचन्दनपुर*
9. कोरापुर .	मुनिगूडा*
	नारायण पटना*
	कल्याणसिंह पुर*
	ग्रोरकेल*
	विस्सम कटक *
10. मयूरभंज	वारसाही *
	वहालडा *
11. पुरी . .	वालत्रविग्रांध
	कपिलेश्वर
	भापुर
	कावटपुर
	चिल्का
12. सम्बलपुर . .	मेदेन
	विजैपुर
	सोहेला
	पाईकमाल

*पिछड़े जिलों में अवस्थित केन्द्र ।

13. सुन्दरगढ़ . . सावडेगा
सारगीपल्ली
लाहूनीपाड़ा
लाठीकेटा
बोन्डामुण्डा
खारमुंडा

बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क

8280. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लेबिल लगी बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में केरल दिनेश बीड़ी वर्क्स कंट्रोल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कन्नानूर द्वारा प्रस्तुत कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब-कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के निर्णय का पता वित विधेयक पारित होने के समय लगेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभान्वित लोगों की प्रतिशतता

8281. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभ पहुंचा है ;

(ख) क्या इन बैंकों से उन व्यक्तियों को अधिक लाभ मिला है जो कृषक नहीं हैं ; और

(ग) उक्त बैंकों से कृषकों और गैर कृषकों को जो लाभ मिला, उसके नवीनतम आंकड़े क्या हैं ? ;

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का किसी भी प्रकार पता लगाना कठिन है क्योंकि उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नौकरी पर रखे गये और उनसे सहायता पाने वाले व्यक्तियों के अलावा बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंक का सेवाओं का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं।

दिसम्बर, 1973 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बकाया समग्र अग्रिमों की राशि 42,51,943 ऋणकर्त्ता खातों में 5,943 करोड़ रुपये थी। इस कुल राशि की तुलना में, 14,28,495 ऋणकर्त्ता खातों में कृषि क्षेत्र के अग्रिमों की राशि 552 करोड़ रुपये थी तथा कुल अग्रिमों से कृषि अग्रिमों का अनुपात राशि की दृष्टि से 10.6 प्रतिशत और खातों की संख्या की दृष्टि से 33 प्रतिशत था।

इंडियन एयरलाइंस में छंटनी किये गये कर्मचारियों को खपाया जाना

8282. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में इंडियन एयरलाइंस की कोच सेवाओं को बन्द कर देने से पहिले प्रयोग किए जाने वाले कोचों को बेच दिया गया है ;

(ख) क्या इन कोच सेवाओं को चलाने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या छंटनी किए गए कर्मचारियों को अन्य कार्यों में लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर अप्रयुक्त कोच अन्य स्टेशनों के पुराने बेकार कोचों को बदलने के लिये भेजे थे तथा कुछ मामलों में इन्हें कार्मिक वाहनों में परिवर्तित कर दिया गया और प्रतिस्थापन के रूप में अन्य बेस स्टेशनों पर भेज दिये गये। दिल्ली तथा कलकत्ता में कुछ कोच एवंस-सर्विसमेन एयरलिंक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रा० लिमिटेड को बेचे गये थे जिन्हें कि इन स्थानों पर हवाई अड्डे तथा सिटि आफ़िस के बीच स्थल परिवहन की व्यवस्था करने का ठेका दिया गया था।

(ख) से (घ) इस प्रकार की सेवाएं हटा लेने तथा कुछ अपव्याची पद्धतियां समाप्त कर देने से जो कर्मचारी फ़ालतू हो गये थे उन्हें इंडियन एयरलाइंस के आगामी विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत खपा लेने का प्रस्ताव है। तदनुसार, इस कारण किसी कर्मचारी की छटनी नहीं की गयी थी।

Supply of Hindi Typewriters to Offices Under Ministry of Tourism and Civil Aviation

8283. **Shri Sudhakar Pandey:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the action proposed to be taken to supply Hindi Typewriters to those offices under his Ministry which are having only English typwriters at present?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): According to their present needs, adequate number of Hindi typewriters have already been provided in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (main), Headquarters offices of its attached and subordinate offices and their subordinate formations where the existing quantum of Hindi work justifies provision of Hindi typewriters. It is proposed to provide Hindi typewriters to remaining offices also whenever enough Hindi work is generated in these offices to justify such a provision.

रेड क्लाज साख पत्र का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भुनाया जाना

8284. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री अनादि चरण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में कुछ चाय निर्यातकों को विदेशों में जमा धन के आधार पर विदेशी क्रेताओं विशेषकर लंदन से रेड लेटर प्राप्त हो रहे हैं ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान कलकत्ता में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे साख पत्र भुनाये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा बैंकर का नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) से (ग) यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बैंक आफ बंदेलखण्ड, मध्य प्रदेश का स्टेट बैंक आफ इंडिया में विलय

8285. श्री रण बहादुर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा स्थित बैंक आफ़ बंदेलखंड को स्टेट बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 35 के अन्तर्गत स्टेट बैंक में मिला लिया गया था ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1960 की संख्या 239 वाली लिखित याचिका पर अपने निर्णय में उपरोक्त बैंक की सभी देनदारियां केन्द्रीय सरकार पर डाल दी थीं ;

(ग) क्या उपरोक्त बैंक के छंटनीशुदा तथा सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तुलना में भेदभाव बरता जा रहा है और वित्त मंत्रालय ने अपने परिचय संख्या एफ़ 4/44/63 एस० बी० दिनांक 27 नवम्बर, 1974 के अन्तर्गत उपरोक्त कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के मेमो संख्या एफ़० 15(13) ई (ए) /63 दिनांक 16 अक्तुबर 1963 के द्बारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन तथा अन्य सुविधाओं से उपरोक्त कर्मचारियों को वंचित कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के भेद-भावपूर्ण कार्यवाही के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की व्यवस्थाओं के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत एक योजना के अनुसार दिसम्बर, 1961 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रीवां की भूतपूर्व रियासत के भूतपूर्व बैंक आफ़ बंधेलखंड की परिसम्पत्तियों और देनदारियों का अभिग्रहण कर लिया गया था ।

(ख) भूतपूर्व बैंक आफ़ बंधेलखण्ड उक्त राज्य के स्वामित्व वाला एक बैंक था और सर्वोच्च न्यायालय, 1960 की रिट याचिका सं 239 में दिये गये अपने एक निर्णय में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यह राज्य के स्वामित्व की एक संस्था थी : भारत सरकार तथा (रीवा रियासत सहित), विंध्य प्रदेश के संयुक्त राज्य के घटक राज्यों के शासकों के बीच 26-12-1949 को लिये गये एक करार के अधीन विन्ध्य प्रदेश के संयुक्त राज्य को प्रशासन के साथ साथ इसकी परिसम्पत्तियां और दायित्वों को तथा साथ ही साथ बैंक आफ़ बंधेलखण्ड संबंधी कर्तव्यों और दायित्वों को 1 जनवरी, 1950 से भारत सरकार को अन्तरित कर दिया गया ।

(ग), (घ) और (ङ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक आफ़ बंधेलखण्ड की परिसम्पत्तियां और दायित्वों के अभिग्रहण के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि विलयन की तारीख अर्थात 23 दिसम्बर, 1961 को भूतपूर्व बैंक द्वारा देय अथवा पहले से दी जा रही पेंशनें केन्द्रीय सरकार द्वारा ले ली जानी चाहिये । इसी प्रकार भूतपूर्व बैंक आफ़ बंधेलखण्ड के जिन कर्मचारियों को भारतीय स्टेट बैंक में समाविष्ट नहीं किया जा सका वे रीवां स्टेट पेंशन एण्ड ग्रेच्यूटी रूल्स 1947 के अनुसार पेन्शन के हकदार थे । केन्द्रीय सरकार ने आम आदेश जारी किये थे कि उत्तराधिकारी राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर स्वीकृत की गयी दरों पर, पेंशन में अस्थायी वृद्धि उन कर्मचारियों पर लागू होंगी, जिन्हें भारत सरकार, ने, विभिन्न राज्यों के केन्द्रीय वित्तीय संघटन (फ़ैडरल फ़ाइनेंस इन्टीग्रेशन) के फलस्वरूप अपने अधिकार में लिया था और जो सेवा की विलयन-पूर्व शर्तों पर सेवा से निवृत्त होते हैं (या निवृत्त हो चुके हैं)। तदनुसार बैंक आफ़ बंधेलखण्ड के जो भूतपूर्व-कर्मचारी रीवां स्टेट पेंशन एण्ड ग्रेच्यूटी रूल्स, 1947 (रीवां राज्य पेंशन तथा उपदान नियम 1947) के अधीन पेंशन में उस तदर्थ वृद्धि के जो सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों पर लागू होती है, हकदार नहीं हैं । परन्तु वे मध्य प्रदेश राज्य सरकार (जिसमें रीवां की भूतपूर्व रियासत विलय की गई थी) द्वारा स्वीकृत पेन्शन में वृद्धि के हकदार हैं । इसलिए बैंक आफ़ बंधेलखण्ड के भूतपूर्व कर्मचारियों के साथ भेद-भाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

Loan Given by Nationalised Banks to Unemployed Graduates in Bihar

†8286. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of unemployed graduates in Bihar given loans by the nationalised banks during the last two years for starting their own enterprises; and

(b) the amounts of loans given to them, district-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) Banks do not compile data separately for such de-

tailed categories as 'unemployed graduates'. Advances to such persons would generally figure under the different priority sectors, particularly small scale industries, retail trade and small business, professional and self employed etc. Available data pertaining to the number of accounts and outstanding advances of public sector banks to these sectors in Bihar, as at the end of June 1973 and June 1974 are set out below:—

Public sector banks' outstanding advances in Bihar as at the end of June 1973 and June 1974

As at the end of	Small Scale Industries		Professional and Self-employed Persons		Retail Trade and Small Business	
	No. of accounts/ Units	Amount outstanding (Rs. lakhs)	No. of Accounts/ Units	Amount outstanding (Rs. lakhs)	No. of Accounts/ Units	Amount outstanding (Rs. lakhs)
June, 1973 . . .	4142	1518·22	2588	55·09	6962	541·68
June, 1974 . . .	4233	2049·49	4244	73·12	8884	658·59

(Figures are provisional)

(b) Data regarding priority sector advances of public sector banks are not compiled districtwise. However, data on sectoral distribution of advances, under the new statistical reporting system, are being compiled districtwise since December, 1972, for all scheduled commercial banks. Available data relating to their advances to small scale industries, retail trade, personal and professional services in Bihar are being collected and will be laid on the Table of the House.

भारत पर्यटन विकास निगम की विकास योजनाएं

8287. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975–76 को बढ़ाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

1975–76 के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम देश की यात्रा करने वाले पर्यटकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवास तथा पर्यटक परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के अपने कार्यक्रम को जारी रखेगा। उस के विभिन्न कार्यकलापों के लिये उस के 1975–76 के बजट में 380 लाख रुपये की व्यवस्था की . गयी है। इसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ, 1975–76 के दौरान 480 होल कमरे/920शाखाएं जोड़ी जाएंगी ; जहां कहीं आवश्यक होगा वर्तमान परिवहन यूनिटों का विस्तार किया जाएगा तथा नये यूनिट स्थापित किये जाएगे ; बट्टा दुकानें (डिस्काउंट शाप्स) खोली जाएंगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर शुल्क मुक्त दुकानों का नवीकरण प्रारंभ किया जाएगा।

पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

8288. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में पंजाब के लिये राष्ट्रीकृत बैंकों की कितनी शाखाएं मंजूर की गयी हैं ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये शाखाऐं खोली जाऐंगी ; और

(ग) पंजाब में और विशेषकर अमृतसर में वर्ष 1973–74 में कितनी शाखाएं खोली गयीं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :

(क) से (ग) : 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक तीन वर्षीय रोलिंग योजना के ढांचे के अन्तर्गत शाखा विस्तार का कार्य करते हैं।

वर्ष 1973 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पंजाब में 76 कार्यालय खोले, जिनमें से 5 अमृतसर में अवस्थित थे। इसके अतिरिक्त 1973 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास पंजाब में बैंक कार्यालय खोलने के लिए 37 लाइसेंस/आवंटन थे। रिजर्व बैंक ने 1974 में इन बैंकों को पंजाब में कार्यालय खोलने के लिए 49 लाइसेंस स्वीकार किये। इन लाइसेंसों/आवंटनों से सम्बंन्धित केन्द्रों की एक सूची, [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9594/75] वर्ष 1974 के दौरान कार्यान्वित होने वाले लाइसेंस/आवंटनों के संबंध में शाखा खोलने की तारीख सहित अनुबन्ध में दी जा रही है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंकों ने यह भी सूचित किया है कि पंजाब में 80 और कार्यालय खोलने के लिये सरकारी क्षेत्र के बेंकों के आवेदनपत्र इस समय विचाराधीन हैं।

चाय निर्यात करने वाली कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले गिरोह का निर्माण

8289. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चाय निर्यात करने वाली कुछ कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले एक गिरोह का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस प्रकार के गिरोह को न बनने देने के लिए किसी स्थायी सुझाव पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में आयकर की वसूली

8290. **श्री अनादिचरण दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से आयकर के रूप में मार्च, 1974 से लेकर आज तक कितनी राशि वसूल की गई है ;

(ख) आयकर की उचित और समय पर वसूली करना सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) कितने व्यक्ति आयकर अदा कर रहे हैं और उनमें से कितने व्यक्ति दोषी हैं और कितनी राशि वसूल की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर आयुक्त, उड़ीसा के अधिकार-क्षेत्र में निगम कर सहित आयकर संग्रह के बारे में सूचना 31 मार्च, 1975 तक उपलब्ध है। मार्च 1974 में और 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1975 तक संग्रह के आंकड़े नीचे दिये गये है :

(रकम, करोड़ रुपयों में)

मार्च 1974 में कर संग्रह	2.13
1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1975 तक कर संग्रह	8.20 (अनन्तिम)
	10.33

(ख) आयकर का सम्यक और समय से वसूली के लिए, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त समझे जाने वाली ऐसी कार्यवाही की जाती है जिसकी आयकर अधिनियम, 1961 में व्यवस्था है ।

(ग) आयकर आयुक्त, उड़ीसा के अधिकार-क्षेत्र में, 31 दिसम्बर, 1974 की स्थिति के अनुसार आयकर विभाग के रजिस्टरों पर 50,096 कर-निर्धारिती थे।

जिन कर-निर्धारितियों का और निगम कर सहित आयकर की मांग बकाया रहती है उनकी संख्या के बारे में और उनकी तरफ़ बकाया रकम के बारे में सूचना का संकलन केवल वार्षिक आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 1975 की स्थिति संबंधी आवश्यक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। परन्तु आयकर आयुक्त उड़ीसा के अधिकार-क्षेत्र में 31 मार्च, 1974 की स्थिति के अनुसार निगम कर सहित आयकर की जो मांग बकाया थी उसमें ग्रस्त मामलों की संख्या नीचे दी गयी है :—

मामलों की संख्या	बकाया मांग (करोड़ रुपयों में)
25,267	6 .25

राज्यों में पटसन के नियमित बाजार को सहायता देने की योजना

8291. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में पटसन के नियमित बाजार जो विपणन सुविधाओं की दृष्टि से अविकसित हैं, को सहायता देने के लिए कोई केन्द्रीय योजना कार्यरत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र से बाजार समितियों को वित्तीय अनुदान देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) उसका मुख्य व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ECONOMIC CRISIS IN MADHYA PRADESH

8292. SHRI G. C. DIXIT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government is passing through as economic crisis; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Central Government in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): (a) & (b). The finances of Madhya Pradesh Government are at present under some strain largely due to the expenditure on scarcity relief. The State Government have been advised to augment their revenues and to curtail non-essential and unproductive expenditures so as to match the expenditures to the resources firmly available.

बैंकों के अधिकारियों पर आयकर अधिकारियों द्वारा छापा मारा जाना

8293. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों द्वारा हाल ही में दो बैंकों के अधिकारियों पर मारे गए छापों से लगभग 25 लाख रुपये की जाली फिक्स डिपोजिट, की रसीदों का पता चला है ;

(ख) क्या काले धन के ये सौदे बैंकों के नियंत्रक के व्यक्तियों द्वारा किये गए थे ;

(ग) क्या छापों के दौरान कुछ प्रबन्धकों के विरुद्ध दोष सिद्ध करने वाले कोई दस्तावेज पकड़ गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो बैंकों, अधिकारियों, प्रबंधकों और संगठनों के नाम क्या हैं और गिरोह के व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ). आयकर प्राधिकारियों ने दो बैंकों के मामले में अर्थात् (i) मेसर्स विजय बैंक लि० और (ii) मेसर्स जैन सहकारी बैंक लि० क मामले में सवक्षण, तलाशी तथा कागजात आदि पकड़ने की कार्यवाही की

है। इस कार्यवाही में मैसर्स विजय बैंक लि० से सम्बन्धित कुछ पार्टियों के परिसरों को भी शामिल किया गया था। इस कार्यवाही से, कई तरह के नामों में बड़ी रकमों की सावधि-जमा का पता चला है, जो प्रथम दृष्टया फ़र्जी हैं। इस मामले में बैंक के प्रबन्धक और अधिकारी किस सीमा तक ग्रस्त है, इसका पता, पकड़े गये दस्तावेजों की जो छानबीन और मामले की जो जांच पड़ताल अभी चल रही है, उसके पूरी होने पर ही चल सकेगा। कानून की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ?

दर्डस एण्ड कम्पनी लिमिटेड पर छापे

8294. **श्री वरके जार्ज** : क्या **वित्त** मंत्री बर्डस एन्ड कम्पनी, कलकत्ता पर छापे के बारे में 20 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5365 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब्त की गई सामग्रियों में से घोषित न की गई आमदनी का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो घोषित न की गई कुल आय कितनी थी तथा आय कर अधिनियम की धारा 132 (5) के अन्तर्गत उस पर कितना कर लगाया गया है; और

(ग) उन फ़र्मों के अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके कार्यालय और मकानों की तलाशी ली गई थी तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). अभी तक किसी अप्रकट आय का पता नहीं चला है। जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) मैसर्स हीलगर्स (प्रा०) लि० के —

1. श्री प्राण प्रसाद :
2. श्री अर्जुन प्रसाद :
3. श्री के० एल० दुआ :
4. श्री बी० भण्डारी :
5. श्री एम० एल० चड्ढा :
6. श्री एस० एल० पसरीचा :

जांच-पड़ताल चल रही है और कानून के अंतर्गत यथा-आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

निर्यात संवर्धन परिषदें

8295. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री अनादि चरण दास :
श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 दिसम्बर, 1974 के 'नव भारत टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि निर्यात संबर्धन परिषदें सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) 'नवभारत टाइम्स' में 10 दिसम्बर, 1974 को ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ था ।

(ख) तथा **(ग).** प्रश्न नहीं उठते ।

पोलिएस्टर तथा पोलिएमाइड चिप्स के आयात के लिये लाइसेंस

8296. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंथेटिक पोलिएस्टर और पोलिएमाइड रेजिन लाइसेंसों पर पोलिएस्टर तथा पोलिएमाइड चिप्स का आयात करने की स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के आयातकों के नाम क्या हैं तथा वर्ष 1973–74 के दौरान और 31 मार्च 1975 तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की उपरोक्त सामग्री का आयात किया गया तथा उस पर कितना शुल्क लगाया गया ; और

(ग) उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). ये आयात, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार हैं या नहीं यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है । आयातों का पूरा ब्यौरा इस अवस्था में उपलब्ध नहीं है ।

उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से ऋण

8297. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री सी० जनार्दन :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

श्री हरि सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से 270 लाख डालर के ऋण के बारें में समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उर्वरक के उत्पादन को सुधारने के लिए तमिलनाडु सरकार को इस ऋण में से सहायता देने पर विचार कर रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो यह राशि किस प्रकार व्यय की जायेगी ; और

(ङ) उर्वरक कारखानों के उत्पादन में कहां तक सुधार लाया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) : भारतीय उर्वरक निगम और फ़र्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकौर के चालू संयंत्रों की क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिये आवश्यक सन्तुलनकारी उपकरणों और अन्य सुविधाओं के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्राम्बे IV विस्तार परियोजना के अन्तर्गत 170 लाख डालर का एक ऋण शामिल किया गया है ।

(ङ) इस ऋण की रकम से संयंत्र की क्षमता का अधिक उपयोग हो सकेगा इसके परिणामस्वरुप देश में उर्वरकों का उत्पादन और उनकी उपलब्धता बढ़ जायेगी ।

हथकरघा क्षेत्र के लिये कपड़े की कुछ किस्मों का उत्पादन

8298. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिये कपड़े की कुछ किस्मों के उत्पादन को आरक्षित रखने के बारे में केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(क) तथा (ख). तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु हथकरघा वस्त्र (उत्पादन, वितरण तथा बिक्री) बिल, 1974 अधिनियमित करने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहमति मांगी है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित मदों के उत्पादन की पूरी तरह से राज्य में हथकरघा क्षेत्र के लिये आरक्षित करने की व्यवस्था की कई है :

1. धोतियां
2. साड़ियां
3. लुंगियां
4. चादरें तथा अंगवस्त्र
5. बेड शीट्स, बैड कवर, दरियां
6. तोलिये
7. रूमाल, तथा
8. क्रेप क्लाथ

प्रस्तावना अभी विचाराधीन है ।

दक्षिण अमरीका के देशों के साथ व्यापार

8299. **श्री एन० आर० वैकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण अमरीका के देशों के साथ व्यापार सुदृढ़ बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा व्यापार किस क्षेत्र में किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). दक्षिण अमरीकी देशों के साथ व्यापार सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार का प्रयास रहा है। पटसन, चमड़ा, प्राकृतिक गोंद/रालें आदि परम्परागत मदों के अलावा विभिन्न अन्य मदों के, जिनमें बाइसिकलें तथा बाइसिकलों के हिस्सें, दस्ती औजार, रेलवे उपस्कर, सीमेंट, चीनी, वस्त्र, मशीने आदि शामिल हैं, निर्यात बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार आयात की मदों में अनाज, तांबे, टंगस्टन के अयस्क तथा सान्द्रण आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम बढ़ाने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों की सेवाओं को समाप्त किया जाना

8300. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम के ऐसे अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिसकी सेवाओं को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा शाखावार, समाप्त कर दिया गया है अथवा जिन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जानकारी एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जाएगी इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

वर्ष 1974-75 में वैयक्तिक कराधान से प्राप्त राजस्व

8301. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वैयक्तिक कराधान की दर 97.75 प्रतिशत से घटा कर 77 प्रतिशत कर देने से वर्ष 1974–75 के बजट में की गयी व्यवस्था का प्रत्याशित परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : वित्त अधिनियम 1974 में, निगम कर से स्पष्टतः अलग से आयकर की दरों में कमी की है। वर्ष 1974–75 के लिए बजट अनुमान बनाते समय ही यह अपेक्षा थी कि व्यक्तिक आमदनी पर आयकर की दरों में कमी करने से, कर कानूनों के सम्यक् अनुपालन के कारण राजस्व की कोई हानि नहीं होगी। वित्त मंत्री ने, 1974–75 के अपने बजट भाषण में निम्नानुसार कहा था :—

> "निजी आय पर आयकर की दरों के घट जाने से सामान्यतः पूरे साल में 60 करोड़ रुपयों व 1974–75 के वित्तीय वर्ष में 36 करोड़ रुपयों का घाटा होना चाहिए था

लेकिन मैं बजट के निमित इस घाटे को हिसाब में नहीं रख रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि करों की दरों के कम कर दिए जाने से ज्यादा कर मिलने लगेगा, और सभी कर-दाता अपनी असली आमदनी दिखाने लगेंगे ।"

इसलिए व्यक्तिक आमदनी पर आयकर की दर घटनाने से 1974–75 के लिए आयकर संग्रह की रकम के बजट अनुमान में कोई कमी किये बिना ही अनुमान को 709 करोड़ रुपये पर रखा गया था। 1974–75 में आयकर का वास्तविक संग्रह 752.47 करोड़ का हुआ है; ये आंकड़े अभी अनन्तिम हैं।

यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिए व्यक्तिक आमदनी पर कर की दरों को कम करने की नीति को ठीक से कसौटी पर कसने के लिए वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिए भी चालू रखा गया है। वित्त मंत्री ने 1975–76 के लिए अपने बजट भाषण में निम्नलिखित बात कही है :—

"सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति की एक सिफारिश के आधार पर पिछले वर्ष व्यक्तिगत आय पर आय-कर की दरों को घटाया गया था। आशा की गयी थी कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से आयकर मिलेगा। मेरा विचार है कि पिछले वर्ष जो नीति अपनायी गयी थी उसे अभी चालू रहना चाहिए। मैं इसलिए कम्पनी-भिन्न करदाताओं के सम्बन्ध में आय-कर की दरों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।"

खाड़ी के देशों के आर्थिक तथा वाणिज्यक कार्य के लिये महा आयुक्त की नियुक्ति

8302. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि खाड़ी के देशों के लिये आर्थिक तथा वाणिज्यक कार्य के लिये महा-आयुक्त नियुक्त किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सुझाव पर विचार किया गया है परन्तु यह महसूस किया जाता है कि इस समय खाड़ी के क्षेत्र के लिये आर्थिक तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिये आयुक्त की नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

थोक और खुदरा मूल्य

8303. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री समर गुह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के पिछले सम्मेलन में अपने भाषण में कहा था कि सरकार के प्रयासों से मुद्रा-स्फीति रुक गई है और मूल्यों में वृद्धि की दर 30 प्रतिशत से घट कर 9 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस ग्राशावादी वक्तव्य का ग्राधार क्या है;

(ग) जनवरी, 1974 से मार्च, 1975 तक महीनेवार, थोक मूल्यों की दर में कितनी वृद्धि हुई है; ग्रौर

(घ) थोक मूल्यों में यदि कोई गिरावट हुई है तो वह गिरावट खुदरा मूल्यों में किस प्रकार परिलक्षित होती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :(क) ग्रौर (ख) . प्रधान मंत्री का बयान इस बात पर ग्राधारित था कि थोक मूल्यों के सूचकांक (1961–62=100) जो 21–9–74 को समाप्त हुए सप्ताह में 330.4 था घट कर, 8–3–1975 को समाप्त हुए सप्ताह में 308.9 हो गया था। मूल्य वृद्धि की सालाना दर, जो 21–9–74 को 31.9 प्रतिशत थी, घट कर 8–3–1975 को 9.0 प्रतिशत रह गयी।

(ग) नीचे दिये गये विवरण में जनवरी 1974 से मार्च, 1975 तक थोक मूल्यों में होने वाली घट बढ़ का महीनेवार ब्यौरा दिया गया है :—

महीना	प्रतिशत परिवर्तन
जनवरी 1974	+3.6
फरवरी "	,, 1.4
मार्च "	,, 3.0
ग्रप्रैल "	,, 2.2
मई "	,, 3.2
जून "	,, 8.3
जुलाई "	,, 3.0
ग्रगस्त "	,, 2.6
सितम्बर "	,, 1.7
ग्रक्टूबर "	(–) 1.2
नवम्बर "	,, 1.5
दिसम्बर	,, 0.9
जनवरी 1975	,, 0.4
फरवरी "	,, 0.7
मार्च "	,, 1.6

(घ) थोक मूल्यों के सूचकांक में जो गिरावट ग्रायी है उसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर कुछ देर बाद ही ग्रसर हुग्रा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1961–62=100) जो ग्रक्टूबर,

1974 में 335 था, घट कर फरवरी, 1975 में सब से हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 325 रह गया ।

एयर इंडिया को अमरीकी निर्यात आयात बैंक से ऋण

8304. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी निर्यात-आयात बैंक ने एयर इंडिया को 160 लाख डालर का ऋण देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या अमरीका की अन्य वित्तीय संस्थाएं बोइंग 747 जेट विमानों की खरीद के लिए ऋण दे रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) यू० एस० निर्यात-आयात बैंक ऋण (क्रेडिट) की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(i) ऋण के संबंध में एग्ज़िम बैंक को समस्त ऋण की अदायगी की भारत सरकार द्वारा बिना शर्त गारंटी देनी होगी;

(ii) बिना निकाले पड़ी ऋण की राशि पर $\frac{1}{2}\%$ वार्षिक का वचन-बद्धता शुल्क देय होगा;

(iii) 8% (नियत) वार्षिक ब्याज;

(iv) एग्ज़िम बैंक के कुल ऋण की अदायगी 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में की जाएगी ।

(ग) जी, हां ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा स्टेट बैंक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाने वाले लघु औद्योगिक एककों के बारे में व्यक्त विचार

8305. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष ने शेयर धारियों की 20वीं वार्षिक आम बैठक के पश्चात् संवाददाताओं से बातचीत करते समय यह बताया कि स्टेट बैंक से वित्तीय सहायता पाने वाले 125 लघु औद्योगिक एककों में से केवल 25 एकक ठीक चल रहे हैं जबकि शेष 100 एककों का कार्य असंतोष-जनक होने से निराशजनक होने की स्थिति में हैं ;

(ख) क्या उन्होंने आगे कहा है कि यदि केन्द्रीय सरकार अनुमति दे तो स्टेट बैंक आफ इंडिया 100 संकट ग्रस्त लघु उद्योगों को आसान शर्तों पर 2 करोड़ रुपये तक का ऋण देने को तैयार हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क), (ख). भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारियों की 31 मार्च, 1975 को बम्बई में हुई 20वीं वार्षिक बैठक में उक्त बैंक के अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ साथ, अपने भाषण में, इस बैंक द्वारा 1974 में छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये अपने अग्रिमों के विषय में किये गये एक अध्ययन का जिक्र किया था। इस अध्ययन का उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना था जिनसे छोटे पैमाने केउद्योगों में रुग्णता आती है, ताकि स्थिति को सुधारने के तरीके खोजे जा सकें। अतएव इस अध्ययन के लिए 100 एककों का एक नमूना छांटा गया जिनमें असंतोषजनक अवस्थाएं मौजूद थीं। साथ ही, छोटे पैमाने के उद्योगों की सफलता में योगदान देने वाले तत्वों का पता लगाने के लिए 25 ऐसे एकक भी छांटे गये, जिनमें असंतोषजनक अवस्थाएं नहीं थीं। इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर अध्यक्ष ने अपने भाषण में छोटे पैमाने के एककों को साम्या पूंजी विषयक सहायता देने के सुझाव का सामान्यतः उल्लेख किया था।

(ग) इस अध्ययन के निष्कर्षों और संभावित उपायों के विषय में अभी जांच की जा रही है।

विद्युत चालित करघों पर उत्पादन शुल्क

8306. **श्री झारखण्डे राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पावर लूम प्राटेक्शन कमेटी, बहरामपुर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें 1 से 4 विद्युत चालित करघों वाले छोटे एककों से प्रति वर्ष प्रति विद्युत-चालित करघे पर 200 रुपये का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वापिस लेने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) विद्युत-शक्ति चालित करघों पर सम्मिलित शुल्क की दरें पुनः समायोजित कर दी गई हैं और अपेक्षाकृत छोटे एककों को राहत दी गई है। प्रति विद्युत-शक्ति चालित करघे की संशोधित शुल्क दरें जो 30 अप्रैल, 1975 से प्रभावी हैं, निम्न प्रकार हैं :—

	यदि शुल्क प्रति तिमाही में अदा किया जाता है	यदि शुल्क प्रतिवर्ष अदा किया जाता है
	रु०	रु०
जहां 49 से अधिक विद्युत शक्ति चालित करघे नहीं लगे हैं—		
(i) प्रथम दो विद्युत-शक्ति चालित करघों पर .	12.50	50.00
(ii) अगले दो विद्युत शक्ति चालित करघों पर .	25.00	100.00
(iii) शेष विद्युत शक्ति चालित करघों पर .	50.00	200.00

आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा आसाम, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा के लिए मंजूर की गई वितीय सहायता

8307. **श्री नूरल हुडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा आसाम, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा के लिये 31 दिसम्बर, 1974 तक मैसूर की मंजूर की गई वित्तीय सहायता कुल 508.10 करोड़ रुपये का 1 से 3 प्रतिशत तक थी;

(ख) औद्योगिक विकास के लिये धन के नियतन में ऐसे असंतुलन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा पालन की जा रही ऐसी नीति के कारण उपरोक्त राज्यों में पिछड़ापन स्थायी हो गया है ?

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा उल्लिखित राज्यों को 31-12-1974 तक मंजूर की गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य	कम्पनियों की संख्या	मंजूर राशि	कुल मंजूरियों से मंजूर राशि की प्रतिशतता
असम	6	493	1.0
हरियाणा	42	1359	2.7
केरल	23	988	1.9
मध्य प्रदेश	16	1008	2.0
उड़ीसा	14	971	1.9
राजस्थान	11	958	1.9
जोड़	112	5777	11.4
अन्य राज्य	821	45033	88.6
कुल जोड़	933	50810	100.0

(ख) और (ग). भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता देना मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर होता है कि एक राज्य विशेष में स्थापित की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इन परियोजनाओं से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा कितनी वित्तीय संस्थाओं से सहायता मांगी गई है। परियोजना स्थापित करने का स्थान कई तकनीकी-आर्थिक बातों पर निर्भर होता है। संस्थाए उन सभी अर्थक्षम परियोजनाओं की सहायता करते हैं, जो तकनीकी-आर्थिक आधार पर सहायता की हकदार हैं तथा ये सस्थाएं यह भी सुनिश्चित करती हैं कि किसी अर्थक्षम परियोजना को संस्थागत सहायता के अभाव में हानि न उठानी पड़े।

विभिन्न राज्यों में तथा किसी एक राज्य के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के असंतुलन को ध्यान में रखकर सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसी नीति अपनायी जाती है ताकि उस असंतुलन को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। सरकार के कहने पर सभी सरकारी संस्थाओं ने उन परियोजनाओं का रियायती शर्तों पर वित्तपोषण करने की घोषणा की है जो प्रत्येक राज्य का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित हैं अथवा अवस्थित की जानी हैं। इस के अतिरिक्त, औद्योगिक, दृष्टि से कम विकसित निर्धारित क्षेत्रों में उद्योग के विकास में सक्रिय सहायता देने के लिए इन संस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण किया गया है और परामर्श सेवा केन्द्र खोले हैं।

यूनाइटेड कर्माशियल बैंक, लखनऊ द्वारा "लघु उद्योग अग्रिम राशि" के अन्तर्गत ऋण दिया जाना

8308. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कर्माशियल बैंक, लखनऊ ने, 'लघु उद्योग अग्रिम राशि' के गलत वर्गीकरण के अन्तर्गत नयी अग्रिम राशियों के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के लिये प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए साढ़े छः लाख रुपये की नयी स्पष्ट ऋण सीमा हरिहर आटोमोबाइल्ज (लखनऊ) के लिये मंजूर की है जिसकी गोरखपुर स्थित सम्बद्ध कम्पनी अशोक आटो सर्विस की 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा है।

(ख) इसमें किन-किन बैंक अधिकारियों का हाथ है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उपरोक्त पार्टियों ने एक बैंक अधिकारी श्री एन० के० त्रिपाठी को उससे बिना कोई पैसा लिये एक एम्बेसेडर कार संख्या डी० एल० जे० 7909 दी जिसका उसने नौ महीने से अधिक समय तक उपयोग किया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). चूंकि मांगी गयी सूचना यूनाइटेड कार्माशियल बैंक के एक घटक के कार्यकलापों के बारे में अतएव बेंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवम् रिवाजों तथा साथ ही राष्टीयकृत बैंकों को अधिशासित करने वाली संविधि के उपबंधों के अधीन इस प्रकार की सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने इस बारे में यूनाइटेड कार्माशियल बैंक को कोई निदेश नहीं दिए हैं, अतएव, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऐसे किसी निदेश की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यूनाइटेड कार्माशियल बैंक ने सूचना दी है कि उक्त बैंक के लखनऊ जोन के कार्यालय के एक अधिकारी श्री एन० के० त्रिपाठी ने, जिनका मैसर्स हरिहर आटोमोबाइल्स अथवा मैसर्स अशोक आटो सर्विस को ऋण-सीमा की स्वीकृति से कोई संबंध नहीं थो, एक एम्बेसडर कार मैसर्स हरीहर

आटोमोबाइल्स के पार्टनर से दिसम्बर, 1973 में खरीदी थी। इस कार के क्रय मूल्य का भुगतान "एकाउन्ट पेयी" चेकों द्वारा किया गया था जिसे 3 जनवरी, 1974 को भुनाया गया। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि श्री त्रिपाठी को प्राथमिकता के आधार पर फिएट कार मिल जाने पर उन्होंने यह एम्बेसडर कार जून, 1974 में उस व्यक्ति के भाई को बेच दी जिससे यह कार खरीदी थी।

कलकत्ता के सुधार के लिए विश्व बैंक से ऋण

8309. श्री आर० एन० बर्मन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से प्राप्त ऋण की राशि को केन्द्रीय पूल में रखा जा रहा है और अभी तक उसे रिलीज नहीं किया गया है;

(ख) क्या कलकत्ता महानगर विकास क्षेत्र के विकास के लिए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के एक दल ने ऋण के लिए बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से ऋण के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और आबंटित की गई धनराशि और आबंटित की जानी वाली धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग). भारत सरकार ने विश्व बैंक से सम्बद्ध आसान शर्तों पर ऋण देने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ नामक संस्था के साथ कलकत्ता महानगर विकास क्षेत्र परियोजना के लिये 350 लाख डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

इस ऋण के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के एक दल ने बातचीत की थी।

इस ऋण में से 35.68 लाख डालर की रकम निकाली जा चुकी है, जबकि 1974–75 में 7.5 करोड़ रुपये की रकम दे दी गयी है।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में होटलों का निर्माण

8310. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में होटलों का निर्माण करने के लिए होटल विकास निगम से ऋण के लिए अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आवेदकों के नाम क्या हैं तथा उनका विचार किन-किन स्थानों पर होटलों का निर्माण करने का है;

(ग) क्या अब तक कोई आवेदनपत्र स्वीकार किया गया है: और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां । पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में होटल निर्माण के लिये 30-4-1975 तक होटल विकास ऋण बोर्ड तथा भारत औद्योगिक वित्त निगम—जिसे 11-1-1974 से पर्यटन विभाग द्वारा ऋणों के संवितरण, अनुवर्ती कार्यवाही तथा भूतपूर्व होटल विकास ऋण बोर्ड द्वारा विभिन्न होटल कम्पनियों को पहले से दिये गये ऋणों की उगाही के लिये अपने अभिकरण एवं एटार्नी के रूप में नियुक्त किया गया है—को ऋणों के लिये 11 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) आवेदकों और उन स्थानों के नामों का विवरण, जहां वे होटल निर्माण करना चाहते हैं, संलग्न सूची में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9575/75] (अनुबन्ध-1)

(ग) चार होटल कम्पनियों को ऋण प्रदान किये गये हैं ।

(घ) सात मामलों में ऋण की स्वीकृति नहीं दी गई । प्रत्येक मामले में ऋण की अस्वीकृति के कारणों सहित इन होटलों के नामों का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है (अनुबन्ध -II) [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-9595/75]

शा वालेस एण्ड कम्पनी के शेयर

8311. **श्री शरद यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग को एक सुझाव भेजा है जिसमें शेयरों की खरीद के मामले में शा वालेस एण्ड कम्पनी के कर्मचारियों को प्राथमिकता देने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के प्रति आर्थिक कार्य विभाग की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख). जी, हां । जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत शा वालेस एण्ड कम्पनी के गैर-निवासी शेयर होल्डरों द्वारा भारतीयों को शेयर बेचने का कोई जिक्र आयगा तब यह बात ध्यान में रखी जायगी ।

MEMORANDUM SUBMITTED BY S.C. EMPLOYEES WORKING IN PATNA BRANCH OF R.B.I.

8312. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Scheduled Caste employees working in the Patna branch of the Reserve Bank of India have submitted any memorandum to him;

(b) whether a Member of Parliament belonging to Communist Party has also written any letter to him; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) & (b). Yes, Sir.

(c) Reserve Bank has informed Government that it has not been able to implement Government instructions regarding reservations in promotions because of agreements/understandings with the Employees' Associations. It has, however, been actively pursuing the matter with the Employees' Associations.

कृत्रिम रेशम के कपड़ों के निर्यात पर राज्य व्यापार निगम को हुई हानि

8313. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को कृत्रिम रेशम के कपड़ों के निर्यात पर हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और पिछले वर्ष कितनी राशि की हानि हुई है ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम का विचार इस भारी हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं । राज्य व्यापार निगम ने कृत्रिम रेशम के कपड़ों के निर्यात पर कोई व्यापारिक घाटा नहीं उठाया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राज्यों में पर्यटन पर व्यय

8314. **श्री था० किरुत्तिनन** : क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यटन पर कुल कितना धन व्यय किया है ; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्यवार, विभिन्न राज्यों में पर्यटन पर कुल कितना व्यय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन स्कीमों को राज्यवार आधार पर नहीं, अपितु इस प्रयोजन के लिए अपनायी गयी निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर हाथ में लिया जाता है : (i) देश के अन्दर विद्यमान पर्यटन के ढांचे पर आधारित पर्यटकों की पसंद (ii) किसी स्थान का पर्यटकों के लिए उसके ऐतिहासिक तथा / अथवा पुरातात्विक महत्व या प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण (iii) उसकी अभिगम्यता, (iv) उस स्थान पर पर्यटन के मूल आधारभूत उपादानों की उपलब्धता । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन स्कीमों तथा विदेशों में उनके प्रचार एवं प्रोत्साहन पर 2505.30 लाख रुपए का व्यय हुआ था । व्यय का मुख्य भाग निजी क्षेत्र के होटलों को दिए गए ऋणों, सरकारी क्षेत्र में आवास निर्माण, गुलमर्ग तथा कोवालम में पर्यटक विहार-स्थलों के विकास और विदेशों में प्रचार तथा प्रोत्साहन पर खर्च किया गया ।

विकास का यही ढांचा पांचवीं योजना में भी जारी रहेगा, जिसके लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 78 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

पाकिस्तान से मध्यम रेशे की कपास को आयात करने की पेशकश का नामंजूर किया जाना

8316. **श्री राबेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से मध्यम रेशे की कपास के आयात की सरकार द्वारा की गई पेशकश 30 से अधिक कपड़ा मिलों ने नामंजूर कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) पाकिस्तान की मध्यम रेशे की रुई का आवंटन प्राप्त करने के लिये पात्र मिलों की श्रेणियां इस प्रकार हैं : (क) निर्यातक मिलें, (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलें तथा (ग) सहकारी कताई मिलें । जिन मिलों ने उनको किये गये आवंटनों को छोड़ दिया है, उनकी संख्या इस प्रकार है :

निर्यातक मिलें	22
राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलें	4
सहकारी कताई मिलें	1
	27

(ख) कोई कारण नहीं बताये गये हैं ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की अग्रिम राशि की दर में वृद्धि

8317. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया ने 1 अप्रैल, 1975 से अपनी अग्रिम राशि की दर 13.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पिछड़े क्षेत्रों को उनके विकास के लिये प्रोत्साहन के रूप में, अग्रिम राशि की दर में इस वृद्धि से छूट दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने पिछड़े हुए क्षेत्रों के ऋण कर्ताओं को दिये जाने वाले अपने अग्रिमों के विषय में, ब्याज की दर में वृद्धि से, कोई सामान्य छूट प्रदान नहीं की है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हकदार संस्थाओं को (भारतीय स्टेट बैंक भी उनमें शामिल है) $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत की रियायती दर से पुनर्वित्त सहायता बराबर दे रहा है । यह सहायता निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में अवस्थित औद्योगिक एककों (वाइनरीज़ और ब्रोवरीज को छोड़ कर) को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिये गये

दीर्घावधि ऋणों के विषय में दी जाती है । यह सहायता भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस शर्त पर दी जाती है कि हकदार संस्थाएं 9 प्रतिशत से अधिक दर पर ब्याज वसूल न करें ।

विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों और लघु कृषक विकास एजेंसी / सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी जिलों में हकदार व्यक्तियों को 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर अग्रिम दिया जाता है । इसके अतिरिक्त प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के पक्ष में न्यूनतम उधार दर से दिये गये छूट की शर्त (जैसे किसी एक बैंक से 2 लाख रुपये तक की ऋण सीमा प्राप्त करने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को दिये गये अग्रिम और कृषि के वास्ते 50 हजार रुपये तक दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिम) पिछड़े क्षेत्रों में भी बराबर लागू होती है ।

अरब देशों से ऋण लेने के लिए पैट्रो-डालरों का उपयोग करना

8318. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री अरब देशों से ऋण लेने के लिए पैट्रो-डालरों का उपयोग करने के बारे में 6 दिसम्बर 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरब देशों से ऋण लेने के लिये पैट्रो-डालरों का उपयोग करने संबंधी प्रस्तावों के बारे में निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). अरब देशों से विकास के लिए लम्बी अवधि के ऋणों की प्राप्ति से सम्बन्धित कुछ प्रस्तावों के बारे में आजकल बातचीत की जा रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा जिला ऋण योजनायें तैयार किया जाना

8319. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जिला ऋण योजनायें तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : बैंकों द्वारा जिला ऋण योजनायें प्रयोगात्मक आधार पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है । इस प्रकार केन्द्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय परामर्श समिति की एक सिफ़ारिश के अनुसरण में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ़ बड़ौदा, बैंक आफ़ इंडिया और सेंट्रल बैंक आफ़ इंडिया ने क्रमशः गोरखपुर और रायबरेली जिलों (उत्तर प्रदेश) तथा उज्जैन और शिवनी जिलों (मध्य प्रदेश) के लिए ऋण योजनाएं बनाई है । जिला ऋण योजनाएं बनाने के लिए अन्य बैंक भी एक एक जिला चुन रहे हैं । इन ऋण योजनाओं में मोटे तौर पर जिलों की विकास क्षमता निर्धारित की जाती है और विकास सम्बन्धी क्षमता विषयक कार्यकलापों के लिए सेक्टरवार और क्षेत्रवार ऋण आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है । उनमें मूलभूत विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं और उद्देश्य पूर्ति के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचे का मूल्यांकन भी किया जाता है ।

1236 LS—4.

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई गई धनराशि को वापसी

8320. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के 'एकोनामिक टाइम्स' में "सी० डी० एस० कन्फ्यूजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार 'अनिवार्य जमा योजना' (सी० डी० एस०) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई गई धनराशि को वापस करने का है ;

(ग) क्या ऐसे मामले हैं जिनमें इस धारण अधीन यह धनराशि जमा कराई गई थी कि एक वर्ष में कर योग्य आय 15,000 रुपये से अधिक की बनती है परन्तु वस्तुतः ऐसा गलती से किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). अनिवार्य जमा योजना (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जमा की रकमों को सारे देश के विभिन्न जमा-कार्यालयों में स्वीकार किया गया और कुछ मामलों में गलती से रकमें जमा करायी जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ।

जिन मामलों में किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत रकम जमा कराना आवश्यक नहीं था उनमें जमा रकम वापस दी जा सकती है क्या, और इस सम्बन्ध में कार्यविधि सम्बन्धी क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, आदि बातों पर विचार किया जा रहा है ।

पोलिएस्टर चिप्स का आयात

8321. **श्री शशि भषण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री पोलिएस्टर चिप्स के आयात के बारे में 21 फ़रवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 750 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिएस्टर चिप्स की खेपों को इस बीच रिलीज कर दिया गया है यदि हां, तो कब और कितना जुर्माना लगाया गया और आयातकर्ताओं के नाम क्या हैं तथा विदेशी मुद्रा की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ निर्यात गृहों के नाम जिन्होंने पोलिएस्टर चिप्स का आयात किया था, कभी काली सूची में दर्ज किये गये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने कभी पोलिएस्टर चिप्स का प्रयोग किया है और यदि नहीं, तो पोलिएस्टर चिप्स का आयात करने का क्या प्रयोजन था ; और

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि इन कम्पनियों ने अत्यधिक लाभ लेकर पोलिएस्टर चिप्स के आयात लाइसेंस को बेच दिया है और यदि हां, तो किन्हें बेचा गया है और क्या उन्हें ऐसा करने का अधिकार था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) प्रश्नाधीन खेपों को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है।

(ख) इन मामलों में आयातकों का पूरा ब्यौरा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों के निर्णय कर दिये जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा।

(ग) यह आवश्यक नहीं है कि एक पात्र निर्यात गृह स्वयं ही आयातित माल का प्रयोक्ता हो। पात्र निर्यात गृहों को अनुमति है कि वे निर्यात उत्पादन में लगे वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयातित सामग्री दे सकते हैं अथवा वे अन्य व्यक्तियों के स्वामित्व वाले विनिर्माण संस्थानों में अपनी ओर से निर्यात उत्पादन करवाने के लिये उस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं।

(घ) इन मामलों में आयात लाइसेंसों की कथित बिक्री के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। आयात लाइसेंस को, उस लाइसेंस प्राधिकारी को, जिसने लाइसेंस मंजूर किया हो अथवा ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की लिखित आज्ञा के अन्तर्गत और उसके अनुसार ही अन्तरित किया जा सकता है और इसके सिवाय उसको अन्तरित नहीं किया जा सकता है।

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

8322. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोपीय देशों द्वारा भारत को सप्लाई किये गये उर्वरकों के मूल्य में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों ने मूल्य में कितनी और वृद्धि करने का अनुरोध किया था, और उर्वरक सप्लाई करने वाले अन्य देशों के वर्तमान मूल्यों की तुलना में ये मूल्य कितने कम अथवा अधिक हैं ; और

(ग) इन देशों से कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). 1975 के दौरान पूर्व यूरोपीय देशों से उर्वरकों के आयात के लिये दिसम्बर, 1974, फ़रवरी तथा अप्रैल, 1975 में संविदाएं सम्पन्न की गई थीं। निर्धारित की गई कीमतें उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित कीमतों से मिलती-जुलती थीं। कुछ संविदाएं अभी सम्पन्न की जानी हैं। इन देशों में से किसी भी देश ने मूल्यों में अनुवर्ती वृद्धि की मांग नहीं की है।

(ग) दस लाख टन से अधिक।

विदेशों के साथ व्यापार वृद्धि की संभावनाएं

8323. **श्री टुना उरांव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान, मदवार और देशवार, विदेशों के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि की क्या संभावनायें हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : कुछ अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक दृष्टिकोण के बावजूद देश से निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं अच्छी हैं और चालू वित्तीय वर्ष के लिए 5 प्रतिशत के निर्यात लक्ष्य की व्यवस्था है। यदि कुछ पश्चिमी औद्योगिक देशों में मन्दी की वर्तमान दशाएं अधिक समय तक कायम रहती हैं तो पटसन निर्मित वस्तुओं, सूती वस्त्रों, समुद्री उत्पादों, रत्नों तथा आभूषणों आदि के निर्यातों पर प्रभाव पड़ सकता है।

एयर इंडिया द्वारा पंजाब में बिक्री एजेंटों की नियुक्ति

8324. **सरदार महेंद्र सिंह गिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य के कुछ समृद्ध क्षत्रों से, जहां पर अब तक कोई कारोबार नहीं हुआ है अधिक कारोबार प्राप्त करने की दृष्टि से एयर इंडिया ने पंजाब के लिये बिक्री एजेंटों की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो किन शहरों में ये नियुक्तियां की गई हैं ; और

(ग) इस राज्य से अनुमानतः कितना कारोबार मिलेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। एक सामान्य बिक्री एजेंट की नियुक्ति करना आवश्यक हो गया है क्योंकि एयर इंडिया के पिछले दो वर्ष से भी अधिक के अनुभव से पता चलता है कि उनके कार्यालयों या अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के एजेंटों के लिए राष्ट्रीय विमान कम्पनी के लिए उत्तर भारत से युनाइटेड किंगडम के लिये बड़े परिमाण में हो रहे यातायात का उचित भाग प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है। कुछ अन्य वाहक काफ़ी सारे कारोबार को अपनी सेवाओं की ओर मोड़ रहे हैं। इनमें से बहुत से बाहकों ने उत्तर भारत में, विशेष करके इस प्रकार के यातायात की आवश्यकता-पूर्ति के लिए, सामान्य बिक्री एजेंटों की नियुक्ति कर दी है।

(ख) एयर इंडिया द्वारा 1 अप्रैल, 1975 से उत्तर भारत में, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ तथा हरियाणा के प्रदेशों के लिए सामान्य बिक्री एजेंट की नियुक्ति कर दी गयी है।

(ग) उत्तर भारत में एक सामान्य विक्री एजेंट की नियुक्ति होने पर, एयर इंडिया को इस प्रकार के यातायात से अपने राजस्व के 1973-74 में एक करोड़ रुपए से बढ़ कर 1975-76 में 4 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाने की आशा है।

न्यायालयों में आयकर-निर्धारण सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

8325. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में, राज्यवार न्यायालयों में अनिर्णित पड़े हुए एक लाख रुपये की राशि से अधिक राशि के आयकर के निर्धारण संबंधी मामलों की संख्या क्या है ?

(ख) इन में से ऐसे मामलों की संख्या क्या है जो (एक) पांच वर्ष; (दो) चार वर्ष; (तीन) तीन वर्ष ; (चार) दो वर्ष ; (पांच) एक वर्ष से अधिक अवधि से अनिर्णित पड़े हुए हैं ;

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार को कर अपवंचन की दृष्टि से मुकद्मेबाजी में लगी हुई इन पार्टियों से देय कर के भुगतान में विलम्ब होने से ब्याज लेने का कोई अधिकार प्राप्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 31 दिसम्बर 1974 को, आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के अनुसार जो आयकर के मामले, रेफरेंस, अपील, रिट याचिका और रिट अपीलों के रुप में एक साल से कम अवधि से, एक से तीन साल की अवधि से, तथा तीन साल और अधिक अवधि से विचाराधीन पड़े हैं, उनकी कुल संख्या शीर्ष-वार नीचे दी गयी है :

	उच्च न्यायालयों में बकाया मामले				सर्वोच्च न्यायालयों में बकाया मामले			
	एक वर्ष से कम अवधि के	1–3 वर्ष की अवधि के	3 वर्ष और अधिक अवधि के	कुल	एक वर्ष से कम अवधि के	1–3 वर्ष की अवधि के	तीन वर्ष और अधिक अवधि के	कुल
अमृतसर	44	36	—	80	1	7		8
आंध्र प्रदेश .	45	162	2	209	27	7	6	40
असम .	371	—	—	371	—	—	—	29
बिहार .	—	169	—	169	—	35	—	35
बम्बई (सेंट्रल)	63	84	52	199	1	—	—	1
बम्बई शहर .	242	489	787	1518	15	—	7	22
कलकत्ता (सेंट्रल)	233	235	62	530	5	—	31	36
दिल्ली	1	—	—	1	1	—	—	1
गुजरात .	300	31	—	331	39	8	3	50
दिल्ली (सेंट्रल) .	82	20	10	112	31	—	—	31
कानपुर .	188	—	—	188	13	—	—	13
केरल .	137	93	—	230	15	9	21	45
लखनऊ .	—	248	—	248	—	17	—	17
मध्य प्रदेश .	—	451	20	471	6	1	1	8
मद्रास .	41	437	1	479	3	35	—	38
कर्नाटक .	235	21	5	261	14	3	—	17
उड़ीसा	191	—	—	191	—	—	—	—
पूना .	92	75	30	197	—	—	1	1
पटियाला	103	42	12	157	3	—	7	10
राजस्थान .	103	145	64	312	—	1	1	2
विदर्भ और मराठवाड़ा .	20	53	27	100	—	—	4	4
नागपुर								
पश्चिम-बंगाल .	1182	562	1224	2968	12	38	10	60

ये जो रेफरेंस, अपीलें, रिट याचिकाए और रिट अपीलें सुनवायी के लिये वस्तुत: स्वीकार कर ली गई हैं, उन के अलावा कुछ अन्य कार्यवाहियां भी अंतरिम स्वीकृति की स्थिति में विचाराधीन पड़ी हैं, जो निम्नलिखित किस्म की हैं :

(क) उच्च न्यायालयों के सामने आयकर अधिनियम की धारा 256 (2) के अधीन रेफरेंस दरख्वास्तें ;

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों के सामने, उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ व सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिये धारा 261 के अधीन परवानगी की दरख्वास्तें ;

(ग) उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपील करने की विशेष परवानगी के लिये सर्वोच्च न्यायालय के सामने संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष परवानगी की दरख्वास्तें ; और

(घ) धारा 256 (2) के अधीन उच्चन्यायालयों द्वारा रेफरेंस याचिकाओं को रद्द करने के आदेशों के खिलाफ विशेष परवानगी दरख्वास्तें।

अंतरिम स्थिति में विचाराधीन ऐसे मामलों की, 31 दिसम्बर, 1974 को, कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

	एक वर्ष से कम अवधि के	एक वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्ष से कम अवधि के	तीन वर्ष से अधिक अवधि के	कुल
1. सब उच्च न्यायालयों में धारा 256(2) के अधीन रेफरेंस दरख्वास्तें।	2503	977	12	3492
2. सब उच्च न्याय लयों में धारा 261 के अधीन विचाराधीन परवानगी की दरख्वास्तें।	157	70	8	235
3. सर्वोच्च न्यायालय के सामने संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष परवानगी की दरख्वास्तें।	167	54	10	231

उपर्युक्त मामलों मे आयकर निर्धारण के ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं जिन में एक लाख रुपये से ऊपर का कर ग्रस्त है और ऐसी अपीलों की वर्ष वार बकाया कितनी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखी जाती है ; और इस जानकारी को अब इकट्ठी करने में इतना अधिक श्रम और समय लगेगा कि प्राप्त परिणाम उस के अनुरूप नहीं होंगे ।

(ग) उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश रेफरेंस दरख्वास्तों और रिट अपीलों आदि का निपटान प्रत्येक न्यायालय के कार्य विधि-नियमों से अधिशासित होता है। सामान्यतः रेफरेंसों/अपीलों को उन के दाखिल करने की तारीखों के क्रम में विचार के लिये लिया जाता है। विभिन्न न्यायालयों की कार्यविधि-नियमों के अधीन रहते हुए आयकर आयुक्तों को आदेश जारी किये गये हैं कि वे निम्नलिखित किस्म के मामलों की शीघ्र सुनवायी और निर्णय के लिये दरख्वास्तें करें:—

(1) रिटें/अपीलें जिन में बहुत अधिक बकाया कर की वसूली स्थगित की गई है;

(2) कर निर्धारण की कार्यवाही स्थगित की गयी है; और

(3) वे एकांकी मामले जिन में कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न ग्रस्त हैं कि उनका बहुत सारे मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) आयकर अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है कि जिन कर-निर्धारितियों को और आयकर की अदायगी बकाया है, उन से कर की अदायगी में विलम्ब के लिये ब्याज वसूल किया जाय। ब्याज की यह दर समय-समय पर बदलती रहती है। आज कल यह दर 12 प्रतिशत है साधारण ब्याज है।

स्वदेशी मैटल वर्क्स, कानपुर को स्टेनलेस स्टील का आयात करने के लिए लाइसेंस देना

8326. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी मैटल वर्क्स, कानपुर को 26 जनवरी, 1971 को स्टेनलेस स्टील का आयात करने के लिए लाइसेंस दिया गया था;

(ख) क्या आयात-निर्यात सम्बन्धी नियमों और विनियमों के परिशिष्ट 28 के अधीन लाइसेंस देने से पूर्व क्षमता का सही अनुमान लगाया गया था; और

(ग) क्या पूरी आयातित सामग्री काला बाजार में बेची गई थी, यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दरें

8327. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणों के सम्बन्ध में सामान्य और दंडात्मक दोनों ब्याज की कौन-कौन सी दरें ली जाती हैं; और

(ख) उक्त ब्याज की दरें अन्य स्रोतों अर्थात् सहकारी बैंको, लाइसेंसधारी साहूकारों और गैर-सरकारी गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दरों की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले जिन अग्रिमों को विशेष रूप से छूट दी गई है, उन्हें छोड़कर, उनके अन्य अग्रिमों पर, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम ऋण दर लागू होती है। बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की न्यूनतम दर आजकल 12.5 प्रशित वार्षिक है। इस निर्धारित शर्त के अनुसार बैंक लागत और जमाओं का स्वरूप अग्रिम की मात्रा और प्रयोजन, वापसी की अवधि, ऋणकर्त्ता की साख और उत्पादक कार्यकलापों का स्थान जैसी बातों को ध्यान में रखकर ब्याज की अपनी दरें निर्धारित करते हैं। मोटे तौर पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये उन वर्गों के अग्रिमों पर ब्याज की दर 13·5 प्रतिशत से 18.0 प्रतिशत वार्षिक के बीच रहती है, जिनके लिए छूट नहीं दी गई है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज की दरें कृषि अग्रिमों के लिए 9.0 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच और अन्य अग्रिमों के लिए 10 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा अलग-अलग सदस्यों से लिये जाने वाले ब्याज की दरों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं किन्तु प्राथमिक ऋण समितियां आमतौर पर 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत का मार्जिन रखती हैं। इस प्रकार सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने वालों द्वारा अदा किये जाने वाले ब्याज की दरें कृषि कार्यों के लिए 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच और अन्य प्रयोजनों के लिए 12.5 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के बीच रहती हैं।

लाइसेंस शुदा महाजनों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों की अधिकतम सीमा पर सम्बन्धित राज्यों की राज्य-सुविधियां लागू होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि महाजनों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों के बारे में कोई निश्चित सूचना रिजर्व बैंक के पास नहीं है, फ़िर भी यह विश्वास किया जाता है कि उनके ब्याज की दरें वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ब्याज की दरों से ऊंची होती हैं।

घाटे की अर्थव्यवस्था और बैंकों की जमा राशियों में वृद्धि में तालमेल

8328. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे की अर्थव्यवस्था और बैंकों की जमा राशियों में वृद्धि में जो सीधा तालमेल था वह समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : घाटे की वित्त व्यवस्था और बैंक की जमा रकमों में होने वाली वृद्धि में कोई सीधा सम्बन्ध स्थापित करना मुश्किल है। बैंकों की जमा रकमों में वृद्धि होने के बहुत से कारण है जैसे बचत करने की ओर झुकाव, बैंकों के जरिये लेनदेन करने की आदत का प्रसार, बैंकों की शाखाओं का विस्तार, अन्य रूपों में लागये गये धन से होने वाली प्राप्ति की दर की तुलना में बैंकों में जमा रकमों पर मिलने वाला ब्याज, मुद्रा पूर्ति की वृद्धि आदि।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया बोनस

8329. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1973 में अपने कर्मचारियों को कितना बोनस दिया था ;

(ख) यह बोनस राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सामूहिक रूप से अर्जित लाभ का कितने प्रतिशत था ; और

(ग) क्या वर्ष 1973 के लिए बोनस देने के मामले पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). बैंककारी विनियमन अधिनियम के उपबन्धों और तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखे के प्रपत्र के अनुसार बैंकों द्वारा कमाया गया समग्र लाभ प्रकट नहीं किया जाता बल्कि उसमें से डूबते और संदिग्ध ऋणों के लिए की गई आवश्यक व्यवस्था और कारों के लिए की गई व्यवस्था सहित अन्य सामान्य अथवा आवश्यक व्यवस्थायें घटाने के पश्चात् शेष रहा लाभ ही प्रकाशित किया जाता है। बोनस की अदायगी करने से पहले 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रकाशित किया गया कुल समायोजित लाभ 21.60 करोड़ रूपये था। 1973 के लिए अपने कर्मचारियों में बोनस के रूप में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वितरित किये गये बोनस की कुल राशि 13.95 करोड़ रुपये के बराबर थी जो प्रकाशित किये गये समायोजित लाभ का 64.6 प्रतिशत थी ।

(ग) तुलनपत्र तैयार हो जाने के पश्चात् ही 1974 के बोनस के लिए विभिन्न बैंकों के प्रबन्धक सम्बन्धित कर्मचारी संघों से बातचीत आरम्भ करेंगे । सरकारी क्षेत्र के एक बैंक को छोड़कर अन्य बैंकों के 1974 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा अभी पूरी होती है ।

CASES PENDING WITH COLLECTOR OF CUSTOMS AND EXCISE, NAGPUR

8330. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4369 on the 21st March, 1975, *re*: cases pending with Collectors of Customs and Excise, Nagpur and state:

(a) the number of cases pending in all the offices of Vidarbha and Madhya Pradesh from 1972 to March, 1975 and the names of the firms and individuals whose cases have been pending; and

(b) the number of cases, out of those detected by the custom officials of Vidarbna and Madhya Pradesh, pending in the courts at present and what are the names of individuals|firms involved in such cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

8331. श्री एच० के० एल० भगत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् के पिछले सत्र के बाद से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को खोलने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और इसे कहां तक कार्यान्वित किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शाखाओं के लिए लाइसेंस देने की नीति के प्रशासन के प्रयोजन के लिए सारे दिल्ली संघ राज्य को एक महानगर माना जाता है। दिल्ली में कार्यालय खोलने के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर इस आधार पर विचार किया जाता है कि क्या बैंक महानगरों में कार्यालय खोलने के हकदार हैं तथा अन्य बातों के साथ प्रति बैंक 5000 जनसंख्या-मानदण्ड को आधार माना जाता है।

दिसम्बर, 1974 के अंत तक दिल्ली के महानगरी क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों के 548 बैंक कार्यालय थे जिनमें से 433 कार्यालय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के थे।

रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि दिसम्बर; 1974 के अन्त तक दिल्ली के महानगरीय क्षेत्र में शाखायें खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास 88 लाईसेंस थे और 178 अतिरिक्त शाखायें खोलने के लिए लाइसेंसों के आवेदन पत्रों पर बैंक विचार कर रहा है।

पटसन को चोरी छुपे ले जाना

8332. श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की चोरी छिपे ले जाने के कुछ मामलें सरकार क नोटिस में लाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 में इस प्रकार के कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ग) इस बारे मे सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रखी दी जायगी।

(ग) भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं ;

(i) सीमा पर सीमाशुल्क कर्मचारी तैनात किये गये हैं जो निवारक गश्त लगाते हैं।

(ii) तस्करी विरोधी कार्य के संबंध में सीमा सुरक्षा दल तथा राज्य पुलिस के साथ विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क रखा जाता है ;

(iii) तस्करी विरोधी कार्य के संबंध में सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा दल तथा स्थानीय पुलिस के कर्मचारियों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कार्यवाही करने के लिये अधिकार दिया गया है।

(iv) तस्कर-व्यापार को रोकने की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत, तस्करो को नजरबन्द करने के लिये भी कार्यवाही की गई है।

निर्यात बढ़ाना

8333. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान निर्यात का अधिक मूल्य किस हद तक विश्व बाजारों में मुद्रास्फीती की प्रवृति के कारण हैं ;

(ख) किन-किन मदों का निर्यात अधिक मात्रा में हुआ है तथा उनके प्राप्त किये गये यूनिट मूल्य गत वर्ष की तुलना में क्या परिवर्तन आया है ; और

(ग) अन्य वस्तुओं की निर्यात-मात्रा में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-नवम्बर, 1974 (1958-100) के सम्बन्ध में औसत इकाई मूल्य सूचकांक 1973 की इसी अवधि की तुलना में 26.1 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) निर्यातों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें उल्लेखनीय हैं : निर्यात अभिमुख उद्योगों का उत्पादन आधार सुदृढ़ करने तथा उसे बढ़ाने के लिए उपाय, वाणिज्यक फसलों के लिए विशेष कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर चुनी हुई कच्ची सामग्री की सप्लाई, आयात नीति का उदारीकरण, निर्यात बेशियों का सजन निर्यात नीति का समायोजन, द्विपक्षीय करारों का किया जाना आदि।

विवरण

प्रमुख मदों के भारतीय निर्यातों की मात्रा, मूल्य तथा इकाई मूल्य जिनकी मात्रा अप्रैल—दिसम्बर 1973 की तुलना में अप्रैल—दिसम्बर, 1974 से बढ़ा दी गई ।

(मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	वस्तु	मात्रा की इकाई	अप्रैल—दिसम्बर, 1973			अप्रैल, दिसम्बर, 1974		
			मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चाय	दस लाख किग्रा	149.4	11548	7.73	165.0	15945	9.66
2.	तम्बाकू अनिर्मित	'000' टन	59.5	5100	8571.43	61.7	6494	10525.12
3.	काजू गिरी	,,	45.2	6300	13938.05	59.9	9325	18320.24
4.	चीनी	,,	139.5	2132	1528.32	388.2	17511	4510.82
5.	लाख	,,	4.2	952	22666.67	6.0	2022	35700.00
6.	कच्ची पटसन	,,	7.6	193	2539.47	59.9	1446	2414.02
7.	चावल	,,	4.5	124	2755.56	31.1	1563	5025.72
8.	मेंगनीज अयस्क	,,	502.7	591	177.57	779.0	1268	162.77
9.	अभ्रक	दस लाख किग्रा	20.3	933	4.60	22.2	1409	6.35
10.	सूत		7.2	727	10.10	8.4	1542	18.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	पटसन उत्पाद	एल० टन	4.6	18383	4013.76	5.4	25555	4697.61
12.	तैयार चमड़ा	दस लाख किग्रा	3.2	1021	31.91	4.0	2326	358.15
13.	जूते, रबड़ के जूतों को छोड़ कर।	दस लाख जोड़े	8.7	837	9.62	12.5	1399	11.19
14.	लौह मैंगनीज तथा लौह मिश्र धातु	'000' टन	21.1	236	1118.48	27.5	559	2032.73

रूबल की तुलना में रुपये का मूल्य

8334. **श्री समर गुह : श्री आर०वी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने व करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रुपये की तुलना में रूबल की कीमत में एकपक्षीय वृद्धि कर दि के कारण सोवियत संघ को अदा की जाने वाली रुपये मुद्रा की अतिरिक्त राशि की सरकार ने की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों और विश्व के उन अन्य देशों की मुद्रा की में भी सोवियत संघ ने रूबल के मूल्य में वृद्धि की है, जिसके साथ सोवियत संघ के व्यापारिक है ; और

(घ) क्या सोवियत संघ के प्रतिनिधि मण्डल के साथ दिल्ली में हुए बातचीत के ये सभी तथ्य सोवियत संघ के प्रतिनिधि मण्डल के ध्यान में लाये गये थे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). सोवियत समाजवादी संघ का स्टेट बैंक समय-समय पर और खासतौर से पहली मार्च 1974 से गैर-वाणिज्यिक के लिए रूबल-रुपये की संशोधित विनिमय दरों की घोषणा करता रहा है। सोवियत सम जनतंत्र संघ के स्टेट बैंक द्वारा अधिसूचित परिवर्तननों का सम्बन्ध सोवियत समाजवादी संघ में किये जाने वाले गैर- वाणिज्यिक लेनदेनों से है, जो कुल लेनदेनों के अनुपात में बहुत व हैं और इसलिए इन परिवर्तनों का वाणिज्यिक लेनदेनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। रूबल विनिमय दर के समूचे प्रश्न पर दोनों सरकारों के बीच मार्च–अप्रैल, 1975 में नई में बातचीत हुई थी। इस समस्या का परस्पर सन्तोषजनक समाधान ढूंढने के लिए निकट में और आगे बातचीत किये जाने का प्रस्ताव है। जब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप समझौता नहीं हो जाता तब तक यह कहना सम्भव नहीं कि इस समझौते का मुद्रा सम्बन्धी क्या होगा।

(ग) हमारी जानकारी के अनुसार सोवियत समाजवादी तनतंत्र संघ का स्टेट व यूरोपीय देशों को छोड़कर अनेक अन्य अधिकांश देशों की मुद्राओं के सम्बन्ध में रूबल की दर में समय समय पर संशोधन करता रहा है।

(घ) इस समस्या से सम्बन्धित सभी बातों की सूचना सोवियत समाजवादी जन के प्रतिनिधि मण्डल को दे दी गयी थी।

लम्बे रेशे वाली रुई का निर्यात

8335. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करें

(क) क्या सरकार लम्बे रेशे की रुई का निर्यात करने का निर्णय किया है

(ख) चालू वर्ष में इसके निर्यात बिदेशो कितनी मुद्रा की आय होंने की सम्भाव

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है, इस अवस्था में इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है।

प्रशासन पर व्यय

8336. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासन पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और इस दिशा में मितव्ययता के क्या अन्य उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : इस दिशा में सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रयत्न किए गये हैं। निम्नलिखित उपाय, जो कि पहले से ही प्रभावी है, चालू वर्ष के दौरान जारी रखे गए हैं :--

(i) कर्मचारियों की और अधिक वृद्धि को रोकने तथा वेतनों और भत्तों आदि पर किए जाने वाले व्यय में किफायत करने की दृष्टि से, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 'प्रगामी' कार्यों तथा कर्मचारियों सम्बन्धी वास्तविक आवश्यताओं की समीक्षा की जा रही है ।

(ii) दैनिक मजदूरी के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों के लगाए जाने पर रोक ।

(iii) नए पदों के बनाने पर रोक, सिवाए उन वर्गो के जिनके लिए विशेष छूट दी गई है ।

(iv) रिक्त स्थानों के भरे जाने पर रोक ।

(v) कार्यालयी व्यय, यात्रा भत्ता और आकस्मिक व्यय में किफायत ।

(vi) गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगियों पर प्रतिबन्ध ।

(vii) परिहार्य दौरों और गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा पर प्रतिबन्ध ।

(viii) सरकारी कर्मचारियों के बारी-बारी से किए जाने वाले स्थानान्तरण पर रोक ।

(ix) सजावट की नए मदों, जिनमें विशेष फिटिंग, फिक्चर आदि भी शामिल है तथा फर्नीचर/फरनिशिंग और ऐसी ही सामग्री की नई मदों की खरीद पर रोक ।

(x) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों और सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए निमंत्रणों पर प्रतिबन्ध और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की संख्या, आकार तथा आवृत्ति तथा अधिकारियों द्वारा विदेशों में दौरों में कटौती ।

(xi) अखिल भारतीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों और बैठकों के आयोजन पर किए जाने वाले व्यय पर प्रतिबन्ध ।

(xii) सरकारी मनोरंजनों पर होने वाले व्यय पर प्रतिबन्ध ।

(xiii) टेलीफोनों पर, विशेषत: एस० टी० डी० तथा प्राथमिकता प्राप्त कालों के सन्दर्भ में और निवास स्थानों पर टेलीफोनों की व्यवस्था करने पर होने वाले व्यय पर प्रतिबन्ध ।

(xiv) बिजली के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध ।

2. किफायत सम्बन्धी उपाय निरन्तर प्रक्रिया होने के कारण, इस मामले पर सरकार का सतत् रूप से ध्यान लगा हुआ है ।

मारुति लिमिटेड द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निदेशों का उल्लंघन

8337. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि वित्तीय वर्ष 1973-74 में गैर बैंककारी गैर-वित्तीय कम्पनियों में डिपोज़िट लेने का फार्मूला "कुल प्रदत्त पूंजी में निर्वाध रिज़र्व जोड़ने और उसमें से संचित हानियां घटाने से प्राप्त राशि का 25 प्रतिशत" था ;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष के दौरान मारुति लिमिटेड, की कुल प्रदत्त पूंजी निर्वाध "रिज़र्व" और संचित हानियां कितनी थीं ;

(ग) मारुति लिमिटेड द्वारा स्वीकृत और वार्षिक प्रतिवेदन तथा तुलनपत्र में बताये गये विभिन्न ब्यौरों और श्रेणियों के 'डिपोज़िटों' की कुल राशियां कितनी थीं ;

(घ) क्या इन आंकड़ों से इस बात का पता नहीं चलता है कि 1966 में निर्धारित किये गए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अधिकतम सीमा सम्बन्धी निदेशों का उल्लघन किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1973–74 के वित्तीय वर्ष में यथा प्रवृत्त गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनीज (रिजर्व बैंक) निदेश, 1966 के अधीन किसी भी गैर-बैंकिंग, गैर वित्तीय कम्पनी द्वारा जमाये स्वीकार करने पर नीचे लिखी अधिकतम सीमा तक पाबन्दी लगायी गयी थी :—

(1) जनता से प्राप्त जमाओं के बारे में—चुकता पूंजी और कम्पनी की निर्बाध प्रारक्षित निधियों के जोड़ में से कम्पनी की हानि के संचित अधिशेष को घटा कर बचने वाली कुल राशि का 25 प्रतिशत । और

(2) कम्पनी के (निदेशकों के आलावा) सदस्यों से प्राप्त जमाओं और कम्पनी के निदेशकों द्वारा गारंटीशुदा जमाओं आदि के बारे में:—चुकता पूंजी और निर्बाध प्रारक्षित निधि के जोड़ में से कम्पनी की हानि के संचित अधिशेष को निकालकर बची हुई कुल राशि का 25 प्रतिशत ।

(ख) मारुति लिमिटेड के 31–3–74 के तुलन-पत्र में कुल चुकता पूंजी, निर्धाध प्रारक्षित निधियां, हानि का संचित अधिशेष इस प्रकार दिखाया गया है :—

(1) चुकता पूजी रु० 1,54,33,450

(2) निर्बाध प्रारक्षित रु० 6,80,000

(3) हानि का संचित रु० 58,34,707

(ग) मारुति लिमिटेड के तुलन-पत्र में दिखाये गए कुल असुरक्षित ऋण की राशि 31–3–74 को 46,54,215 रुपये थी। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कम्पनी द्वारा रिजर्व बैंक को भेजी गयी विवरणी से पता चलता है कि 46,54,215 रुपये को समग्र राशि में निम्नलिखित शामिल है :

(1) जनता की जमायें ; (2) निदेशकों द्वारा गारंटीशुदा जमायें और (3) ज्वाइंट स्टाक कम्पनीयों से प्राप्त धन (जो रिजर्व बैंक के निदेशों में विहित "जमा" शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता हैं)। जहां तक (1) जनता से प्राप्त जमाओं और (2) निदेशकों द्वारा गारंटीशुदा जमाओं का संबंध है, रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे इस उत्तर के उपर्युक्त भाग (क) में यथाक्रम उल्लिखित सोमाओं के भीतर ही हैं।

इन जमाओं के अलावा मारुति लिमिटेड के 31–3–1974 के तुलन-पत्र, में 2,18,91,042 रुपये के "डीलरशिप जमाएं" (डिपाजिट्स) भी दिखायी गयी हैं। अलबत्ता, ये जमाएं गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनीज (रिजर्व बैंक) निदेश, 1966 के पैरा (2) के उपपैरा (1) के खण्ड (च) के उपखण्ड (9) में वर्णित "जमाओं" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस कम्पनी में जमायें स्वीकार करने विषयक अधिकतम सीमा-संबंधी रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लघन नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

MICA INDUSTRY

8338. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have deputed some senior officers of Department of Commerce to Kodarma, Jhumeritilaiya Damchanch and Giridih to study the condition of mica industry and to suggest steps for bringing about improvement in it and laying down policy in this regard;

(b) if so, their particulars and the sections of people they met there and the details of the report made by them to Government; and

(c) Government's present policy in regard to its export and trade?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) and (b). Yes, Sir. A Joint Secretary and a Director in this Ministry visited Kodarma, Jhumeritilaiya, Damchanch and Giridih and met representatives of mica trade and industry for an indepth study of mica industry and export trade.

(c) Export of processed mica is canalised through Mica Trading Corporation. Henceforth MITCO will itself service about 40 per cent of export contracts by procuring processed mica from weaker sections of the Trade.

बम्बई में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

8339. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1975 से आज तक सीमाशुल्क विभाग द्वारा बम्बई शहर से प्रति दिन कितने मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा गया ;

(ख) क्या पकड़ी गई वस्तुएं कुल तस्करी के माल की केवल दो प्रतिशत हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तस्करी के माल को पकड़ने की कार्यवाही को व्यापक बनाने और इसके लिये सम्बद्ध तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) पहली जनवरी, 1975 से 26 अप्रैल, 1975 तक की अवधि में समुद्रतट से दूर पकड़े जाने वाले माल सहित बम्बई शहर से पकड़े जाने वाले तस्करी के माल का दैनिक औसत मूल्य 2 लाख 11 हजार रु० है।

(ख) चोरी छिपे लाए जाने वाले कुल माल के किसी विश्वसनीय आंकड़े के अभाव में, पकड़े गए माल का प्रतिशत बताना सम्भव नहीं है।

(ग) स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाती है। नाजुक क्षेत्रों में स्थित शहरों में व्यापक रूप से छापे मारे जाते हैं, और द्रुतगामी नौकाओं से भी बराबर गश्त लगाई जाती है। तस्करी विरोधी कार्यों के लिए अधिक कर्मचारी भरती किए गए हैं और आसानी से पार किये जा सकने वाले स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है।

रांची जिले में स्थित बिहार आक्सीजन लिमिटेड को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई ऋण की राशि

8340. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची जिले में विकास स्थित बिहार आक्सीजन लि० नामक फर्म को, जिससे एक संसद सदस्य/उनकी पत्नी सम्बन्द्ध हैं, आक्सीजन गैस या अन्य गैसों का निर्माण करने के लिए एक लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस फर्म को लाखों रुपये की राशि ऋण के रूप में दी थी;

(ग) क्या आक्सीजन का निर्माण करने वाले कारखाने/लाइसेंस को तुरन्त ही एक अन्य पार्टी को बेच दिया गया था ; और

(घ) क्या उस पार्टी ने बैंक-ऋण की देनादारी को भी स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने रांची जिले में विकास नामक स्थान पर औद्योगिक गैसों के निर्माण के लिए "बिहार आक्सीजन लिमिटेड" को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया है। अलबत्ता, "बिहार आक्सीजन कारपोरेशन" नामक एक फर्म ने पंजीकरण के वास्ते तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास आवेदन किया था।

(ख) और (घ). बैंकों में प्रचलित परम्परागत प्रथा एवम् रिवाजों के अनुरूप तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिशासित करने वाली सांविधि के अधीन, इन बैंकों के घटकों के कार्यकलापों विषयक सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

8341. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रमशः वर्ष 1972–73, 1973–74, 1974–75 और 1975–76 में बड़ी और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कोई ऋण प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1975 के अन्त तक विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण से शुरू की गई बड़ी और लघु सिंचाई परियोजनाओं के नामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त अवधि के दौरान किसी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). 1974–75 में गोदावरी बराज परियोजना के लिए, जो आन्ध्र प्रदेश की एक मुख्य सिंचाई परियोजना है, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 450 लाख डालर के ऋण के लिए एक करार किया गया था। 1972–73 और 1973–74 में बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन 1973–74 में, मध्य प्रदेश (330 लाख डालर), उत्तर प्रदेश (280 लाख डालर) और बिहार (320 लाख डालर) में भूमिगत जल साधनों के उपयोग वाली छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। 1974–75 में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ, राजस्थान नहर सिंचाई क्षेत्र विकास के लिए 830 लाख डालर और चम्बल सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 520 लाख डालर के लिए एक करार किया गया था ताकि राजस्थान में राजस्थान नहर और चम्बल सिंचाई परियोजना के सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता में वृद्धि की जा सके और खेती का विकास किया जा सके। लेकिन 1975–76 में विश्व बैंक समूह से मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होने की आशा है ।

चाय बागानों द्वारा उत्पादन शुल्क की बकाया राशि का भुगतान

8342. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान एसोसिएशन की परामर्शदात्री समिति ने मार्च, 1970 से उत्पादन शुल्क की दरों में वृद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय से नियमों का निरसन आदेश (वैकेशन आफ रूल्स) प्राप्त करने के बाद चाय बागानों द्वारा 35 करोड़ रुपये की उत्पादन शुल्क की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति दिये जाने के लिये, अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो नियमों के निरसन की स्थिति में उत्पादन शुल्क कम अदा करने और बकाया राशि जमा करने के लिये आकस्मिक देयताओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी किये गये नियमों के साथ क्या शर्तें लगाई गई थीं ;

(ग) क्या सरकार ने बकाया उत्पादन शुल्क की आकस्मिक देयता के कारण चाय कम्पनियों के पास पहले से जमा निधि को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति ऋण रोक की सामान्य नीति पर उत्पादन शुल्क की बकाया राशि के क्रम बद्ध भुगतान की बिना शर्त अनुमति देने के प्रभाव पर विचार किया है ; और

(घ) सरकार ने अभ्यावेदन पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की न्यून अदायगी के लिए अन्तःकालीन निषेधाज्ञा मँजूर करने से संबंधित आदेशों को जारी करते समय कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में अलग अलग विभिन्न रकमों की जमानते पेश करने के आदेश दिये थे। शेष मामलों के संबंध में अपीलकर्ता कम्पनियों के वकीलों ने न्यायलय को यह बचन दिया था कि यदि कम्पनियों की याचिकाएँ रद्द हो जाती हैं तो वे बभेदी उत्पादन शुल्क अदा करेंगे।

(ग) तथा (घ). केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया रकमों की किस्तों में अदायगी करने के लिये सरकार द्वारा कोई आम अनुमति नहीं दी गयी है । परन्तु जिन मामलों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया रकमों की क्रमिक अदायगी करने के लिए दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं उन में अलग अलग चाय बागानों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस के गुण दोष के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीयकरण के समय बीमा कम्पनियों द्वारा दिया गया लाभांश

8343. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** । क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय करण के समय बीमा कम्पनियों द्वारा दिये जा रहे लाभांश को बनाये रखने में जीवन बीमा निगम क्यों असफल रहा ; और

(ख) आय में वृद्धि की सम्भावनाओं के बावजूद लाभांश में समय-समय पर वृद्धि क्यों नहीं दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम के बोनस का रिकार्ड, राष्ट्रीयकरण से पूर्व की बीमा कम्पनियों द्वारा घोषित बोनसों की तुलना में अनुकूल ही सिद्ध होता है ।

(ख) जीवन बीमा निगम ने धीरे धीरे बोनस की दरें सावधि तथा आजीवन पालिसीयों पर तिगर्ष बीमाकृत राशि के प्रति हजार पर क्रमशः 12.80 रुपये और 16.00 रु० से बढ़ाकर 17.60 रू० और 22.00 रू० कर दी है ।

अतिरिक्त उपलब्धि (अनिवार्य जमा) योजना के अन्तर्गत खोले गये खाते

8344. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मँत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त उपलब्धि (अनिवार्य जमा)) योजना के अन्तर्गत कितने खाते खोले गये तथा दो वर्षों में उस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ;

(ख) अब तक कुल कितनी धनराशि जमा हुई तथा चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धन राशि जमा होने की सम्भावना है; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर इस कार्यवाही का क्या प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अधिसूचित अनिवार्य जमा योजनाओं के उपबन्धों के अनुसार, जमा की गयी रकमों के कर्मचारी-वार लेखाओं का रखने के प्रबन्ध विकेन्द्रीकृत है जिन के अन्तर्गत इसकी जिम्मेदारी नियोजकों पर है (जिन में सरकार के आदान और संवितरण अधिकारी भी शामिल हैं), जो इस कार्य के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी हैं। ये निर्दिष्ट प्राधिकारी अनिवार्य कटौतियां करते हैं, और इन कटौतियों की रकमों को गैर सरकारी कर्मचारियों के मामले में नामजद प्राधिकारियों के नाम जमा करने के लिए जमा-कार्यालयों में भेजते हैं या सरकारी कर्मचारियों के मामले में, किताबी समायोजनों द्वारा नामजद प्राधिकारियों की मार्फत जमा की इन प्रविष्टियों की सूचना जमा कार्यालयों के पास भेज देते हैं। ये निर्दिष्ट प्राधिकारी जमा रकमों की वापसी और उन पर देय ब्याज की अदायगी के लिए भी जिम्मेदार हैं। नामजद प्राधिकारी प्रत्येक निर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्बन्ध में केवल समेकित लेखे ही रखते हैं। यह अधिनियम गैर-सरकारी क्षेत्र के 60 लाख से अधिक कर्मचारियों और केन्द्र तथा राज्य सरकारी (जिन में सरकारी क्षेत्र के उद्यम और स्थानीय निकाय भी शामिल हैं) के लगभग 120 लाख कर्मचारियों पर लागू होता है। कर्मचारी वार लेखाओं की संख्या इस बात पर निर्भर होगी कि 6 जुलाई, 1974 के बाद वेतन लेने वाले, जिस में अधिनियम में दी गयी परिभाषा के अनुसार अतिरिक्त वेतन और अथवा अतिरिक्त महँगाई भत्ता शामिल है, कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी है। चूंकि, 'जैसा कि ऊपर बताया गया है, कर्मचारी वार लेखे विकेन्द्रीकृत रूप में रखे जाते हैं, अनिवार्यजमा योजनाओं के अन्तर्गत अब तक खोले गये लेखाओं की सही-सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त तरीके से विस्तृत लेखे रखने के लिए नियोजक अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी के स्तर पर होने वाला खर्च सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सम्बद्ध नियोजकों, स्थानीय प्राधिकरणों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा। लेकिन प्रत्येक निर्दिष्ट प्राधिकारी के समेकित लेखे रखने पर नामजद प्राधिकारियों के स्तर पर दिये जाने वाले कार्य और अधिनियम के समुचित प्रशासन के लिए निरीक्षण और सामान्य पर्यवेक्षण पर होने वाले खर्च की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। अनुमान है कि पहले दो वर्षों के लिए इन योजनाओं के प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा।

(ख) 25 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा करायी गयी कुल राशि लगभग 152 करोड़ रुपया है । चालू वित्तीय वर्ष में जमा करायी जाने वाली सम्भाव्य राशि, इसके बाद उपभोक्ता मूल्यों के सूचक-अँकों में होने वाली घट बढ़ पर, जिस के साथ संगठित क्षेत्र है कर्मचारियों को दी जाने वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अदायगी किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है, और संगठित क्षेत्र में वेतनों में किए जाने वाले संशोधनों के स्वरुप और सीमा पर निर्भर होगी। चूंकि इन बातों का पूर्वानुमान समुचित सुनिश्चितता के साथ नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इन योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में जमा करायी जाने वाली रकमों का कोई विस्तृत अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ग) उक्त अधिनियम मूल्यवृद्धि-विरोधी उन विभिन्न उपायों का एक अँग है जो मूल्यों में कुछ हद तक स्थिरता लाने के लिए उठाये गये हैं। किसी भी समय अलग से यह आंकना सँभव नहीं है कि मूल्यों के स्तर पर अधिनियम जैसी किसी एक उपाय का क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन अक्तूबर, 1974 से आवश्यक वस्तुओं की थोक और खुदरा कीमतों में सामान्यतः गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है और मूल्य वृद्धि विरोधी विभिन्न उपायों का जो प्रभाव पड़ा है उसका गिरावट के इस रुख में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।

Payment of O.T.A. to Central Government employees

8345. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount paid as overtime allowance for Class II, III and IV employees of Central Government during 1973 and 1974; and

(b) whether Government propose to bring down the expenditure on overtime allowance and if so, the concrete steps taken by Government to bring it down?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The total amount paid as overtime allowance to Central Government employees belonging to Classes II, III and IV, which are the only categories entitled to overtime allowance, is estimated at Rs. 46.26 crores during 1973. Figures for 1974 are not readily available. They are being collected. and the information will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(b) The question of curtailing the expenditure on account of overtime allowance in constantly engaging the attention of Government. Since employees are put on overtime work only when the work is urgent and inescapable, there are limitations on reducing such overtime work. Further, the bulk of expenditure on overtime allowance is on industrial and operational staff, in whose case the payament of overtime allowance is regulated under various enactments. In so far as office staff is concerned, special efforts have been and are being made to reduce the expenditure on overtime allowance. For this purpose, the rates of overtime allowance themselves have been so revised that they would help contain the expenditure on overtime allowance. Instructions have also been issued to the various Departments to reduce the amount provided for payment of overtime allowance and manage within the reduced amount.

जमा राशि से संबद्ध बीमा योजना का सरकारी खजाने पर वित्तीय प्रभाव

8346. **श्री माऊसाहेब धामनकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के लिए हाल में घोषित जमा राशि से संबद्ध बीमा योजना का सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष क्या वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों, स्वायत्त शासी निकायों और सरकारी उपक्रमों द्वारा इसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सामान्य जनता तथा विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के लिए इसी प्रकार की योजना बनाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जमा बद्ध योजना हाल ही में 8 जनवरी, 1975 से लागू की गई है । योजना का वित्तीय प्रभाव, सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते में संचित औसत राशि पर निर्भर करेगा । इतनी जल्दी प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । तथापि 1974-75 के संशोधित अनुमान में 1 लाख रू० का और वर्ष 1975-76 के लिए बजट अनुमानों में 4 लाख रु० का अनन्तिम बजट उपबंध किया गया ।

(ख) यह राज्य सरकारों, स्वायत्तशासी निकायों और सरकारी उपक्रमों पर निर्भर करता है कि यदि वे ऐसा चाहें तो अपने कर्मचारियों के संबंध में इस योजना को अपनायें । तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए एक समतुल्य योजना लागू की है ।

(ग) भारत सरकार ने 1 जुलाई, 1972 से सरक्षित बचत योजना लागू की है । यह योजना पचवर्षीय संचयी सावधि जमा और आवर्ती जमा योजनाओं के अंतर्गत केवल 5 रुपये और 10 रुपये के स्रोतों के संबंध में लागू है । इस योजना के अंतर्गत (i) यदि जमाकर्ता की आयु 18 वर्ष और 53 वर्ष के बीच हो (ii) अगर बिना किसी चूक के 24 नियमित मासिक किश्तें खाते में जमा कर दी गयी हों और (iii) अगर यदि खातों के पहले 24 महीनों में कोई निकासी नहीं की गयी हो, तो ये बचत संरक्षित होती हैं । संरक्षण यह है कि अगर किसी

खाताधारी की 1 जुलाई, 1972 के बाद किसी भी समय मृत्यु हो जाये और उपर्युक्त शर्तें पूरी हो जाती हों तो उसके मनोनीत व्यक्ति या वारिस को खाते का पूरा देय मूल्य प्राप्त होगा । उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने 10 रुपये के पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाते में अथवा पांच वर्षीय संचयी सावधी जमा खाते में 24 महीने की रकमें जमा करायी हैं तो उसने केवल 240 रू० ही जमा किया होगा । लेकिन यदि उसे उसके तुरंत पश्चात् उसकी मृत्यु होने पर उसके कानूनी वारिस अथवा मनोनीत व्यक्ति को आवर्ती जमा खाते में 710 रू० का अथवा संचयी सावधी जमा खाते में 675 रु० का पूरा देय मूल्य प्राप्त होगा । इस प्रकार ये बचतें अतिरिक्त लाभ सहित संरक्षित होती हैं ।

दिल्ली तथा भुवनेश्वर के बीच बोइंग सेवा

8347. **श्री गजाधर माझी:**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा भुवनेश्वर के बीच एक बोइंग सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सेवा कब आरम्भ की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाईंस द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच दोनों दिशाओं में प्रतिदिन औसतन केवल 8 से 10 यात्री यात्रा करते हैं और फिलहाल इस मार्ग पर जेट विमान सेवा का औचित्य सिद्ध नहीं होगा । तथापि, इन दोनों स्थानों के बीच यातायात में वृद्धि होने पर स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

Quota reserved for Scheduled Castes in nationalised banks

8348. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the quota reserved for Scheduled Castes in Government jobs in the nationalised banks has not been completed even to-day;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government are taking in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) to (c). The banks have reported that the quota reserved for Scheduled Castes could not be filled for want of suitable candidates from these communities.

With a view to improving the representation of these communities Government have advised the banks to take the following steps:

(i) to prescribe lower qualifications and qualifying standards for members of Scheduled Castes/Tribes;

(ii) to indicate clearly in the advertisement for recruitment the percentages laid down for Scheduled Castes/Scheduled Tribes communities;

(iii) to place a report, after every major recruitment before the Board of Directors giving the number of Scheduled Castes/Tribes candidates recruited by the bank and the shortfall in percentages, if any, and reasons why the full quota was not filled;

(iv) to give wide publicity to reserved vacancies according to the instructions of the Government;

(v) the banks have also been advised to instruct their recruiting offices to contact pre-recruitment training centres in various States for the training of Scheduled Castes/Tribes candidates for the recruitment test; and

(vi) to ask the associations/special bodies looking after the welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes to sponsor suitable candidates for the posts.

Some banks have also resorted to special recruitment for Scheduled Castes/Tribes candidates only. As a result of these measures, there has been steady improvement in their representation as is shown below:

No. of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Employees

	As on 31.12.72	As on 31.12.73	As on 31.12.74
Officers .	64	135	257
Clerks .	1308	2987	5059
Sub. Staff . .	3003	4158	5721

Figures as on 31st December, 1974 are provisional.

कृषकों को दी गयी ऋण राशि

8349. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, पंजाब, ऊत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तथा हरियाना में कृषि प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे कृषकों (5 एकड़ भूमि से कम वालों) को कितनी ऋण-राशि दी गयी ; ग्रौर

(ख) उक्त ग्रवधि में इन राज्यों में बड़े कृषकों को कितनी ऋण राशि दो गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ग्रौर (ख). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 9596/ए/5]

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

8350. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के लिए क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) उन परियोजनाओं की रूप-रेखा क्या है जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गयी हैं ; और

(ग) उनके क्रियान्वयन को प्रभावकारी बनाने के लिए किन उपायों पर विचार किया गयी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 2,25,000 मै० टन ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ उपजकर्ताओं को पुनर्रोपण के लिए दिये जाने वाले उपदान की दर सरकार द्वारा इस बीच 1-4-75 से बढ़ा दी गई है । और 2471 रु० प्रति हैक्टार की विद्यमान दर की जगह निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई हैं :--

1. 20 हेक्टार से अधिक एस्टेटों के लिए--3000 रु० प्रति हेक्टार
2. 2 हेक्टार से अधिक तथा 20 हक्टार तक की एस्टेटों/जोतों के लिए --5000 रु० प्रति हेक्टार
3. 2 हेक्टार तक की जोतों के लिए --7500 रु० प्रति हेक्टार

इसके अलावा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यमान योजनाओं को तीव्र किया जाएगा ।

विवरण

रबड़ के उत्पादन बढ़ाने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रबड़ बोर्ड निम्नलिखित योजनाएं चला रहा है :--

1. पुराने तथा कम उपज वाले रबड़ वृक्षों के स्थान पर घनी उपज वाली रोपण सामग्री के पुनर्रोपण के लिए उपदान प्रदान करना ।

2. वर्तमान जोतों को विस्तृत करके लाभकारी एकक बनाने तथा उनकी देखभाल करने के लिये ऋण प्रदान करना ।

3. धनी उपज वाली रोपण सामग्री वितरित करना ।

4. उर्वरकों तथा फफूंदी नाशक दवाइयों को रियायती दरों पर वितरित करना।

5. रबड़ रोलर खरीद कर अपने सदस्यों को वितरित करने के लिए सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करना या रबड़ साधित करने के लिए रोलर खरीदने हेतु सदस्यों को ऋण प्रदान करना ।

6. रबड़ साधित करने के लिये धुंआ-गृहों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों / छोटे उपजकर्त्ताओं को उपदान प्रदान करना ।

7. रबड़ का विपणन करने वाली विपणन समितियों को हिस्सा पूंजी तथा कार्य कारी पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

8. रबड़ की काश्त तथा साधित करने के सभी पहलुओं पर उपजकर्ताओं को निःशुल्क तकनीकी परामर्श ।

विद्युत करघा संघ के प्रतिनिधियों की बैठक

8351. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह विद्युत करघा संघ के प्रतिनिधियों तथा कुछ संसद सदस्यों को मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो मुलाकात के दौरान किन सम्भावनाओं पर बातचीत हुई ;

(ग) चर्चा में किस-किस ने भाग लिया ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधियों ने पावरलूमों पर विशेषतः लघु पावरलूम स्वामियों के मामले में मिश्रित उत्पादन कर (कम्पोंडिड एक्साइज़ लेवी) में कमी का प्रश्न उठाया।

(ग) प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री ए० जी० कुलकर्णी, संसद-सदस्य ने किया और उसमें कुछ संसद सदस्य और सारे भारत के पावरलूम क्षेत्र के अनेक प्रतिनिधि शामिल थे। बातचीत में भाग लेने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के नाम उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) अभ्यावेदन अभी भी विचाराधीन है।

नये लाइसेंस काण्ड के पीछे मोरारजी न कि मिश्र, (मोरारजी नाट मिश्र बिहाइन्ड न्यू लाइसेंस स्कैन्डल) शीर्षक वाला समाचार

8352. **श्री विजय पाल सिंह**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1975 के 'ब्लिट्ज़' में 'नये लाइसेंस काण्ड के पीछे मोरारजी, न कि मिश्र' (मोरारजी, नाट मिश्र, बिहाइंड न्यू लाइसेंस स्कैण्डल) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या रिपोर्ट में उल्लिखित लाइसेंसों को जारी करने के लिए सरकार पर अनुचित प्रयास डाला गया था ;

(ग) क्या उन लाइसेंसों को प्राप्त करने वालों ने उन्हें लाभ पर (प्रोमियम) बेचा ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में समाचार में उल्लिखित कुछ फर्मों द्वारा आयातित धागे के कथित दुरुपयोग के बारे में जांच पड़ताल की है। कुछ मामलों में न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था और अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया गया।

World Bank's Team visit to Chambal Ravines

8355. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a team of World Bank under the Chairmanship of Mr. G. J. Tibor, undertook a tour of Chambal ravines of Madhya Pradesh in the first week of November, 1974; and

(b) if so, the facts thereof and the time by which the said commission would submit its report?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) and (b). A World Bank Team had undertaken a visit to the Command Area of Chambal Irrigation Project in Madhya Pradesh in November, 1974 to appraise a project for the development of the Chambal Command Area. The negotiations with the World Bank are likely to be held in Washington in the first week of May, 1975.

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और उससे ऊपर के पद

8354. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1972, 1 अप्रैल, 1973 और 1 अक्तूबर, 1974 को भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में जूनियर एडमिनिस्टेटिव ग्रेड और उससे ऊपर के (ग्रेडवार) कितने-कितने पद थे ; और

(ख) इन में से कितने पद (ग्रेडवार) उस अवधि के दौरान बनाये गये थे जब नये पद बनाने पर रोक लगी हुई थी और उनके बनाने का औचित्य क्या था ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सूचना का एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित अवधियों के दौरान अतिरिक्त पद, जैसा कि विवरण-पत्र में बताया गया है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित मुख्य कारणों से बनाये गये थे :—

(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्य-कलापों की वृद्धि के परिणामस्वरूप नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालयों में कार्य के क्षेत्र और उसकी जटिलता में वृद्धि।

(ii) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के परिणामस्वरूप नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक पर आई हुई जिम्मेदारियां ;

(iii) महालेखाकारों के कुछ विशालतर कार्यालयों का पुनर्गठन।

विवरण

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में ग्रेडानुसार पदों की संख्या

(1)	(2)		
ग्रेड	निम्नलिखित तारीखों को पदों की संख्या		
	1	2	3
	1 अप्रैल, 1972	1 अप्रैल, 1973	1 अप्रैल, 1974
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	114	139	196
महालेखाकार ग्रेड .	44	56	60
अपर उप नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक का ग्रेड .	4	5	5
विशेष कार्य अधिकारी	1	—	—
उप नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक .	1	1	1

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा आन्दोलन आरम्भ करने की धमकी

8355. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने अपने वेतनमान की विशेषताओं को दूर करने के लिये एक आन्दोलन आरम्भ करने की धमकी दी है ;

(ख) उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) आन्दोलन की इस धमकी पर सरकार तथा निगम की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) इन अधिकारियों की मुख्य मांगों का सम्बन्ध वेतनमानों, महंगाई, भत्ते तथा बोनस में 1 अप्रैल, 1973 से संशोधन करने से है।

(ग) सम्पूर्ण मामला सरकार के विचाराधीन है।

ओरिएटल फायर जनरल इशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली को कुवैत शाखा में दावों और व्यय में हेरफेर के कारण भारत को हानि

8356. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली को कुवैत शाखा में दावें और व्यय में हेरफेर के आरोप में श्री नायर नामक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है; जिसके कारण भारत को विदेशी मुद्रा सहित भारी धनराशि की हानि हुई है ;

(ख) क्या यह भी पाया गया है कि कुवैत शाखा कुवैत इंश्योरेंस एसोसिएशन द्वारा निर्धारित दरों में कम दर पर प्रीमियम लेती है तथा भारत स्थित अपनी मूल कम्पनी को इससे भी राशि बताती है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं और उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दि ओरिएन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की कुवैत में कोई शाखा नहीं है परन्तु उसकी वहां एक ऐजेन्सी मात्र है। जनवरी, 1975 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री नायर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो एजेण्ट का एक कर्मचारी था। उसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था।

(ख) तथा (ग). जहां तक कुवैत इन्श्योरेन्स एसोशिएशन के इस आशय के आरोप का संबंध है कि ओरिएण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का एजेण्ट अपेक्षाकृत कम प्रीमियम ले रहा है, हकदारी संबंधी समुचित दस्तावेजी प्रमाण के बिना ही भूल से कुछ छूट दी गई थी और उसे एसोशियेशन के समाधान प्रद रूप में ठीक कर दिया गया था। ओरिएण्टल फायर एण्ड इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को अपेक्षाकृत कम रकम दिखाने के आरोप की जांच केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

दावों को निपटाने के संबंध में एजेण्टों के अधिकारों को तत्काल प्रत्याहृत तथा प्रतिबंधित कर दिया गया था। बीमा करने संबंधी अनुदेशों को भी कठोर बना दिया गया था।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा जयपुर उद्योग लिमिटेड के चैकों को स्वीकार न करना

8357. **श्री रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क, रेल भाड़े, बिजली और एन०सी०डी०सी० टेलीफोन बिलों के सम्बन्ध में जारी किए गए चैक स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा स्वीकार नहीं किये गये थे ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उक्त कम्पनी का बैंकर बनने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या इस बारे में इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ). मांगी गई सूचना का सम्बन्ध भारतीय स्टेट बैंक के एक घटक (कंस्टीट्यूएन्ट) के खाते से है, इसलिए बैंकरों में प्रचलित व्यवहार और प्रथा के अनुसार और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार भी उसे प्रकट नहीं किया जा सकता है।

बिस्कुट बनाने वाले एककों को प्रोत्साहन

8358. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बिस्कुट बनाने वाले एककों ने निर्यात द्वारा कितनी आय अर्जित की है ;

(ख) क्या बिस्कुट उद्योग ने निर्यात संभावनाओं का उपयोग करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मांगे गए प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान बिस्कुटों के निर्यात से क्रमशः 45.90 लाख रु०, 44.42 लाख रु० तथा 31.40 लाख रु० प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) निम्निलिखित प्रोत्साहन मांगे गये हैं :—

1. आयात प्रतिपूर्ति की दर में वृद्धि
2. नकद सहायता की मंजूरी।

(घ) इस समय जितनी आयात प्रतिपूर्ति की अनुमति है, उसकी दर बिस्कुट बनाने के लिए ऐसी मूल सामग्री, जो भारत में उपलब्ध नहीं है, के आयात करने के लिए पर्याप्त है।

(2) विनिर्माण एककों से नकद सहायता पाने के लिए अपनी मांग के समर्थन में लागत आंकड़े देने के लिए अनुरोध किया गया था। उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्य देशों में द्विपक्षीय तकनीकी सहायता

8359. **श्री के० मालन्ना :**

श्री डी० पी० जर्दजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किन-किन देशों से विशेषज्ञों की सेवाओं, शिक्षावृत्तियों, (फ़ेलोशिप) उपकरण तथा सामग्रियों के रूप में द्विपक्षीय तकनीकी सहायता प्राप्त कर रहा है ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके पास भारत को अपनी सहायता देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम है तथा जिन्होंने अपनी शर्तों सहित इसके लिए विशेष राशि नियत की है; और

(ग) उन देशों से भारत को किन-किन क्षेत्रों में सहायता मिल रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारत को आजकल निम्नलिखित देशों से विशेषज्ञों की सेवाओं, अधिछात्रवृत्तियों, उपकरणों और सामग्री के रूप में द्विपक्षीय तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है ;

1. आस्ट्रेलिया
2. कनाडा
3. डेनमार्क
4. जर्मन संघीय गणराज्य
5. फ्रांस
6. जर्मन जनवादी गणतंत्र
7. जापान
8. नीदरलैण्ड
9. न्यूजीलैण्ड
10. नार्वे
11. स्वीडन
12. स्विटजरलैण्ड
13. यूनाइटेड किंगडम

(ख) जिन देशों का भारत को सहायता देने का सम्बद्ध कार्यक्रम है और जिन्होंने इसके लिए विशिष्ट राशि निर्धारित कर रखी है उनके नाम हैं : नार्वे, स्वीडन, डैनमार्क और न्यूजीलैण्ड। लेकिन आस्ट्रेलिया, जर्मन संघीय गणराज्य और स्विटजरलेंड ने भी अग्रिम वचन दे रखे हैं पर केवल सिद्धान्त रूप में ही।

(ग) जिन मुख्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न देशों से तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है, वे इस प्रकार हैं :

आस्ट्रेलिया	कृषि, भेड़ प्रजनन और डेरी विकास
कनाडा	बिजली, कृषि, खनन
डेनमार्क	पशु-पालन ; लघु उद्योग, परिवार नियोजन
जर्मन संघीय गणराज्य	कृषि, तकनीकी शिक्षा, टैलीविजन प्रौद्योगिकी, निर्यात संवर्धन, लघु उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
फ्रांस	दूर-संचार, रेलें, सिविल इंजीनियरी
जर्मन जनवादी गणतंत्र	पशुपालन, मुद्रण प्रौद्योगिकी, लघु उद्योग, इस्पात संसाधन और खनन।
जापान	लघु उद्योग, मछली उद्योग विकास, कोढ़ नियंत्रण, कृषि

न्यूज़ीलैण्ड .	.	डेरी विकास
नीदरलैण्ड		औजार-निर्माण, फ़ोटो, विश्लेषण
नार्वे .	.	मछली उद्योग विकास, परिवार नियोजन, उर्वरक
स्वीडन .	.	परिवार नियोजन, कृषि, स्वास्थ्य, वन-उद्योग, निर्यात संवर्धन
स्विटजरलैण्ड	.	पशु-पालन, तकनीकी शिक्षा, खाद्य प्रौद्योगिकी, निर्यात संवर्धन
यूनाइटेड किंगडम	.	इंजीनियरी, शिक्षा, प्रशासन, परिवहन, संचार, उद्योग, व्यापार

टायर और ट्यूब उद्योग में कच्चे माल का मूल्य

8360. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित और स्वदेशी दोनों प्रकार के कच्चे माल के मूल्यों में व्यापक विषमता के कारण मोटरगाड़ियों के टायरों और ट्यूबों के निर्यात कर्ताओं के लिये गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) आटो टायरों और ट्यूबों के विनिर्माण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में अन्तर है। प्राकृतिक रबड़ को छोड़कर इन प्रमुख कच्चे मालों में से अधिकांश माल पंजीयित निर्यातक नीति में कवर किये गये हैं और निर्यातकों को छूट है कि वे इस माल का उतना आयात कर सकते हैं जिससे निर्यात उत्पादन न रुके।

प्राकृतिक रबड़ के लिए सरकार संगत रबड़ अंश तथा लागत पहलूओं पर विचार कर रही है जिससे कि जरूरी होने पर राहत की आवश्यकता और उसके परिमाण का आकलन किया जा सके।

मैसर्स यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा सिले सिलाये वस्त्रों का निर्माण

8361. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड ने कलकत्ता के निकट सिले सिलाये वस्त्रों का निर्माण करने हेतु एक लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना के वित्तीय पहलू का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यूनियन कार्बाइड अमरीका की सर्वोच्च बहुराष्ट्रीय निगमों में से हैं जो कि भारत अपनी गतिविधियों का विविध रूप से प्रसार करना चाहती है ?

1236 L.S.—6.

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) जी हां।

(ख) 1.65 करोड़ रु० के निवेश के लिए, आवेदक फ़र्म को आशा है कि परियोजना कार्यान्वियन के पहले पांच वर्षों में 70.98 करोड़ रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

(ग) यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, न्यूयार्क को यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० की प्रदत्त पूंजी में लगभग 60 प्रतिशत के बराबर शेयर हैं। प्रतीत होता है कि भारतीय कम्पनी के वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य भारत में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, न्यूयार्क के कार्यकलापों का विविधीकरण करना है।

गुजरात में ऊन उद्योग को आयातित कच्चे माल की सप्लाई

8362. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1974–75 में गुजरात स्थित उन उद्योग को पर्याप्त मात्रा में आयातित कच्चा माल सप्लाई किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जबकि वुलेन सिस्टम पर कार्य करने वाली मिलें अपनी आवश्यकताएं स्वदेशी स्रोतों से पूरी करती हैं, जो मिलें वर्सटेड तथा शाडी क्षेत्रों में हैं उन्हें आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी मात्रा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर होती है। सम्पूर्ण भारत में वर्सटेड और शाड़ी एकक कच्चे माल की कमी की वजह से दो पारियों से भी कम में कार्य करते हैं और यही बात गुजरात की ऊनी मिलों के साथ भी है। अप्रैल 1974–मार्च 1975 वर्ष के दौरान मूल्य के रूप में लगभग 38.82 लाख रु० मूल्य के आयातित कच्चे माल का वास्तविक प्रयोक्ता कोटा गुजरात में ऊनी एककों को सप्लाई किया गया। आयात की जाने वाली वास्तविक मात्रा, वास्तविक प्रयोक्ता द्वारा भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास अन्तिम रूप से बुकिंग कर लिए जाने के समय आयातित कच्चे माल की चल रही कीमत पर निर्भर करेगी।

पर्यटन के विकास के लिये उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

8363. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिये भारत सरकार को कोई नये प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनाएं क्या हैं और उन परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने वर्ष 1975–76 के लिये कितनी राशि मंजूर की है ; और

(ग) क्या कोरापुट जैसे पिछड़े जिलों को प्रस्तावित विकास परियोजनाओं में शामिल किया गया है जहां पर्यटकों के लिये आकर्षण की बहुत सी वस्तुएं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) चार लाख रुपये की अनुमानित लागत से चिटका झील, भितार कणिका तथा राजगोडा के लिये 4 लांचों की व्यवस्था करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव विचाराधीन है तथा धन उपलब्ध होने की हालत में तथा परिचालन की शर्तें तय हो जाने के पश्चात स्कीम को प्रारंभ किया जाएगा।

नन्दन कानन में एक शेर सफ़ारी पार्क बनाने के लिये एक और प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था किन्तु साधनों की कमी के कारण इस स्कीम को केन्द्रीय क्षेत्र में प्रारंभ कर सकना संभव नहीं पाया गया है।

उड़ीसा सरकार से प्राप्त एक अन्य प्रस्ताव खजुराहो अथवा वाराणसी के रास्ते दिल्ली तथा भुवनेश्वर के बीच एक सीधा जेट सेवा सम्पर्क प्रदान करने के बारे में था। जांच करने पर यह महसूस किया गया कि भुवनेश्वर तथा दिल्ली के बीच सीधी सेवा के लिये यातायात परिमाण इस मार्ग पर जेट विमान के परिचालन के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सकेगा। फ़िलहाल इंडियन एयरलाइंस दिल्ली के साथ सम्पर्क प्रदान करने के लिये कलकत्ता तथा भुवनेश्वर के बीच, दोनों दिशाओं में, एक दैनिक टर्बो-प्रॉप सेवा का परिचालन कर रही है।

(ग) कोरापुट का विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा सरकार द्वारा खर्च न किये गए धन का वापिस लौटाया जाना

8364. **श्री गिरिधर गामांगो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1974–75 में भारत सरकार को वह धन वापिस लौटा दिया है जो खर्च नहीं किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र ने इस राज्य को कितनी सहायता दी थी तथा कितनी धनराशि खर्च नहीं की गई ; और

(ग) राज्यों को सहायता देने के मामले में केन्द्र की नीति क्या है और राज्यों द्वारा स्वीकृत योजनाओं को क्रियान्वित कराये जाने के लिये जिस योजना की परिकल्पना की गई है वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा बताये गये आधार पर राज्य की 1974–75 की आयोजना के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता 32.70 करोड़ रुपये की पूरी रकम 1974–75 में राज्य सरकार को अनन्तिम रूप से दे दी गयी है। हिसाब-किताब का अन्तिम निपटारा व्यय के परीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जायगा।

(ग) राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता की रकम इन मामलों में राष्ट्रीय विकास परिषद् के साथ विचार-विमर्ष किये जाने तक चौथी आयोजना की अवधि में लागू फ़ार्मूले के अनुसार दी जा रही है। राज्यों को सहायता इकट्ठे अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाती है। यदि आयोजना के कुल परिव्यय और अथवा निर्धारित क्षेत्रों/कार्यक्रमों के परिव्ययों में कोई कमी हो जाती है तो केन्द्रीय सहायता की राशि में कटौती उसी अनुपात में कर दी जाती है।

गुजरात में आयकर तथा सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा छापे मारा जाना

8365. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गुजरात के आयकर तथा सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गए छापों के दौरान निर्दोष पायी गई पार्टियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) जिन पार्टियों को तंग किया गया उनकी शिकायतों को किस प्रकार दूर किया जा रहा है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि निर्दोष व्यक्तियों के मामले में टाली जा सकने वाली सारी परेशानी दूर की जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यदि कोई लोग निर्दोष पाये जाते हैं तो सीमा-शुल्क अधिनियम तथा प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सम्बन्धित व्यक्तियों को हुई असुविधा के लिए तलाशी-दल मौखिक रूप से खेद व्यक्त करता है।

(ग) निर्दोष व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी नहीं लेने का ध्यान रखने के लिए, तलाशी लेने से पहले, सूचना की सत्यता की होशियारी से जांच करने की पूरी कोशिश की जाती है।

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई धनराशि

8366. **श्री क्यालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष 1974–75 के दौरान केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को कुल कितनी धनराशि मंजूर की ; और

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास उक्त केरल निगम के कितने आवेदन पत्र अभी भी विचारार्थ पड़े हैं; प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है और उन पर कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, "केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन" सहित राज्य औद्योगिक विकास निगमों को वित्तीय सहायता जैसी कोई मदद नहीं देता। तथापि, इन निगमों द्वारा संचालित/प्रवर्तित औद्योगिक एककों को विकास बैंक सहायता देता है।

1974–75 के वित्तीय वर्ष में, विकास बैंक ने केरल कारपोरेशन द्वारा संचालित/प्रवर्तित किसी एकक को कोई सहायता मंजूर नहीं की थी, किन्तु केरल कार्पोरेशन द्वारा संचालित चार एककों को पिछले वर्ष मंजूर की गई सहायता में से इस वर्ष 38.61 लाख रुपये वितरित किये गये थे।

(ख) केरल कार्पोरेशन द्वारा संचालित/प्रवर्तित परियोजनाओं की प्रत्यक्ष सहायता के लिए दिये गये तथा 31–3–1975 को निगम के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

(लाख रुपयों में)

एकक का नाम	परियोजना की लागत	आ०औ०वि० बैं० से मांगी गई सहायता	वर्तमान स्थिति
1. वंजीनाड ब्रदर्स लिमिटेड	155.00	78.60*	इस कम्पनी ने परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति हाल ही में प्रस्तुत की है। कम्पनी को सलाह दी गई है कि वह अन्य संस्थाओं को सविस्तार आवेदन पत्र दे।
2. केरल एसिड एण्ड कैमिकल्स	174.80	139.10	प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अपूर्ण है और कम्पनी से अतिरिक्त सूचना देने के लिए कहा गया है।
3. एक्सेल ग्लासेस लिमिटेड†	190.00	31.00	परियोजना लागत बढ़ गई है। कम्पनी से मिली अतिरिक्त सूचना की जांच की जा रही है।
4. स्टील कम्प्लेक्स लिमिटेड†	337.00	75.00	परियोजना लागत बढ़ गई है। फ़रवरी, 1975 में निरीक्षण किया गया है और कम्पनी की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

*अन्य संस्थाओं की साझेदारी में।

†ये सहायता प्राप्त कम्पनियां हैं। परियोजना लागत बढ़ जाने के कारण इन्होंने फ़िर अनुरोध किया है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

8367. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निगम का पटसन विपणन पद्धति के वर्गीकरण द्वारा पटसन का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्गीकरण पद्धति (ग्रेडेशन सिस्टम) से पटसन की अच्छी किस्म और इसका अधिक उत्पादन होगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय पटसन निगम के विचाराधीन फ़िलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कच्चे पटसन के रेशे के बारे में अनुसंधान

8368. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्चे पटसन के रेशे को सस्ता बनाने के बारे में अनुसंधान करनेहेतु सरकार के विचाराधीन क्या विशिष्ट प्रस्ताव है ताकि भारत नैफ्था से बने अमरीका के 'पालीप्रोफ़ीन' के साथ मुकाबला कर सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : पांचवीं योजना के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप में, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार किया गया है, पटसन के बारे में कृषि संबंधी तथा उत्पत्ति संबंधी गवेषणा से संबंधित कई गवेषणा परियोजनाएं शामिल की गई हैं। औसत उपज को बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति हैक्टर तक करने का लक्ष्य स्वीकार किया गया है। उपज के तथा रेशे की क्वालिटी के स्थिर स्तर प्राप्त करने के लिए परिवर्तन, सकरण तथा चयन तथा रोग के खतरे को उत्पत्ति मूलक ढंग से ठीक करने के लिये योजनाओं का सुझाव दिया गया है। नस्लों की गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रवृत्तियों के विरासत में प्राप्त करने, रेशों के किस्म पैरामीटरों और उपज प्रौद्योगिकी के आधार, नाशककीट के जैविक नियंत्रण और गलाने की दशाओं में सुधार करने के बारे में अध्ययन करने का भी विचार है।

वेतनभोगियों की जमा धनराशि के विवरण पत्र और पास बुकों का जारी किया जाना

8369. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जिन वेतनभोगी कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन और/अथवा महंगाई भत्ते की धनराशि को जुलाई, 1974 से अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा किया जा रहा है, उन्हें मालिकों अथवा सम्बद्ध बैंकों द्वारा जमा धनराशि के विवरण पत्र और पास बुकें जारी नहीं की गई हैं ; और

(ख) क्या इसकी वजह से लाखों व्यक्तिगत लेखाओं की व्यक्तिगत जमाकर्ताओं द्वारा जांच

नहीं की जा सकती और सम्बद्ध धनराशि के जमा होने में चूक हो सकती है जैसाकि कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में होता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). शायद यहां अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 की ओर संकेत किया गया है जिसके अन्तर्गत 6 जुलाई, 1974 के बाद अतिरिक्त वेतन और अतिरिक्त महंगाई भत्ते की आधी रकम जमा करानी होती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित अनिवार्य जमा योजनाओं में जमाकर्त्ता कर्मचारियों के नाम पास बुक जारी किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि जमा की ये रकमें नियोजक द्वारा वेतन के वितरण के समय अनिवार्य रूप से काट ली जाती हैं। लेकिन इन योजनाओं में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक नियोजक (अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी) निश्चित दिन (अर्थात 6 जुलाई, 1974) से एक साल खत्म होने के बाद और हरेक अगले साल के खत्म होने के बाद प्रत्येक कर्मचारी को जल्दी से जल्दी सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत निर्धारित फ़ार्म के अन्दर उसके हिसाब में जमा रकमों का विवरण देगा। कर्मचारी की बही खाते में दिखायी गयी अपनी जमा रकम की स्वीकृति या स्वीकार न किये जाने के कारणों की सूचना उक्त विवरण की प्राप्ति के एक महीने के अन्दर अन्दर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजनी होती है। इन योजनाओं में यह भी व्यवस्था है जिसके अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी को, उसकी इच्छानुसार विवरण में दिखायी गयी प्रविष्टियों की बही खाते की प्रविष्टियों से मिलान कर के जांच करने की सभी यथोचित सुविधाएं देगा। अतः कर्मचारियों को पहला विवरण केवल 6 जुलाई 1975 के बाद ही दिया जाना है। इन सुरक्षात्मक उपायों के कारण ऐसी किसी आशंका का कोई आधार नहीं है कि कोई जमाकर्त्ता अपने हिसाब की जांच नहीं कर सकता या इन रकमों के जमा कराने में किसी प्रकार की चूक हो सकती है।

विलियम सेन मैगर एंड कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन द्वारा विदेशों के दौरे

8370. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलियम सेम मैगर एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के, चेयरमैन वर्ष 1973–74 के दौरान बार-बार विदेशों के दौरे पर जाते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने उक्त वर्ष में विदेशों के कितने दौरे किये और इस उद्देश्य के लिये उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ; और

(ग) क्या वह भारतीय रिजर्व बैंक के वैध परमिट के बिना ही विदेशों में बहुत बड़ी धनराशि व्यय करते रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता के रिकार्ड के अनुसार इस कम्पनी के अध्यक्ष पद के किसी व्यक्ति को 1973–74 के दौरान विदेशों के दौरे के लिए कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी। किन्तु कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, श्री बी० एम० खैतान ने केवल एक बार जुलाई–अगस्त, 1973 में ब्रिटेन का दौरा किया था जिसके लिए उन्होंने कम्पनी को दी गयी खुली छूट में से 81 पौण्ड लिये थे।

(ग) सरकार को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है।

मृतकों के परिवारों के सदस्यों को जीवन बीमा निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता

8371. **श्री जांबुवंत धोते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के समक्ष मृत्यु-दावों के लिये मृतकों के परिवारों के सदस्यों को दी जाने वाली सहायता के सम्बंध में आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या मृतकों के परिवारों के आश्रितों/दावेदारों को दावे के प्रयत्नों के तकनीकी अनुपालन में जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है और आवेदकों के दावे लम्बे समय तक अनिर्णीत पड़े रहते हैं जिससे दावेदारों के कष्ट और कठिनाइयां बढ़ती हैं ; और

(ग) इस मामले में जीवन बीमा निगम का किस प्रकार की सहायता करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि मृत्यु-दावों के लिये दरख्वास्तें दाखिल करने के निमित्त, मृतकों के दावेदारों को दी जाने वाली सहायता का जीवन बीमा निगम द्वारा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) और (ग). जिन मामलों में कुछ विशिष्ट बातें हो, उन के सिवाय, ये अपेक्षाएं साधारण हैं । ऐसे मामलों में जहां-कहीं आवश्यक हो, जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत सेवायें प्रस्तुत करते हैं ।

आयकर अधिकारी और आयकर निरीक्षक संबंधी परीक्षाओं में बैठने वाले विभागीय उम्मीदवार

8372. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली जोन में आयकर अधिकारी और आयकर निरीक्षक संबंधी परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में सफल होने वाले विभागीय उम्मीदवारों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या इन परीक्षाओं के परिणामों में हेरा-फेरी की जाती है ताकि इन परीक्षाओं में बैठने ले विभागीय प्रतिभावान उम्मीदवारों को निरुत्साहित किया जा सके ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है जिससे विभागीय उम्मीदवारों में व्याप्त निराशा को दूर करने की दृष्टि से इन परीक्षाओं में बैठने वाले इन उम्मीदवारों की उचित प्रतिशतता सफल हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क)

वर्ष	जिन उम्मीदवारों ने विभागीय परीक्षा प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण की, उनकी संख्या	
	आयकर अधिकारी (श्रेणी–II) परीक्षा	आयकर निरीक्षक परीक्षा
1973 . .	1	1
1974	—	3

(ख) जी, नहीं।

(ग) परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत अनुपात उम्मीदवारों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करता है, और यह एक अधिकार-क्षेत्र में दूसरे अधिकार-क्षेत्र से अलग होता है, और साल-साल बदलता रहता है। अतः कोई खास प्रतिशत अनुपात नियत करने की कार्यवाही करने का कोई सवाल नहीं उठता।

कच्चे पटसन के लाभप्रद मूल्य के लिये आंकड़े

8373. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के लाभप्रद मूल्य के लिये सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). इस सबंध में सरकार मुख्यतया कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर निर्भर करती है।

मिलों में नियंत्रित किस्म के कपड़े का स्टाक जमा करना

8374. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों में नियंत्रित किस्म के कपड़े का भारी स्टाक जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). मिलों में कंट्रोल के कपड़े का स्टाक जनवरी, 1975 के अन्त में प्रत्येक, 1,500 वर्ग मीटर वाली 59,219 स्टेण्डर्ड गांठों से बढ़कर मार्च, 1975 के अन्त में 88,9913/4 गांठें हो गया है। वृद्धि का कारण कन्ट्रोल के कपड़े के उठाये जाने की गति का धीमा पड़ना है और इस गति के धीमे पड़ने का मुख्य कारण है कपड़ा बाजार में मन्दी, कुछ सहकारी निकायों के पास, जिनकी मार्फत विभिन्न राज्यों में कन्ट्रोल का कपड़ा बेचा जाता है, वित्त की कमी और फरवरी, 1975 से पहले मिलों द्वारा उत्पादित कुछ कपड़े की घटिया क्वालिटी।

जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पंजाब को विकास कार्यों के लिये दिये गये ऋण

8375. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1972-73 और 1973-74 में जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पंजाब को विकास कार्यों के लिए कितना ऋण दिया ; और

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में अन्य राज्यों को दिये गए ऋणों की तुलना में यह कितना न्यूनाधिक है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वित्तीय वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान पंजाब राज्य में जीवन बीमा निगम द्वारा वस्तुतः वितरित किये गये ऋणों की रकमें निम्नलिखित हैं :—

	लाख रु० में
1972–73	554.82
1973–74	435.00

(ख) उसी अवधि के दौरान अन्य राज्यों में जीवन बीमा निगम द्वारा वस्तुतः वितरित ऋणों की रकमें निम्नलिखित हैं :–

लाख रु० में

	1972–73	1973–74
आंध्र प्रदेश	4417.32	984.61
असम	195.00	401.00
बिहार	200.00	570.00
दिल्ली	100.00	100.00
गुजरात	1529.62	1808.50
हरियाणा	569.47	570.60
हिमाचल प्रदेश	70.00	108.00
जम्मू तथा कश्मीर	40.00	30.00
कर्नाटक	700.01	768.00
केरल	949.00	936.60
मध्य प्रदेश	461.98	515.00
महाराष्ट्र	2672.72	2348.81
मेघालय	5.00	5.00
नागालैण्ड	—	10.00
उड़ीसा	646.00	410.00
राजस्थान	719.47	640.40
तमिलनाडु	1319.03	1707.80
उत्तर प्रदेश	1577.08	1683.25
पश्चिम बंगाल	875.00	1180.00

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के संबंध में ऐसी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन पंजाब में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीय-कृत बैंकों द्वारा दिसम्बर, 1973 के अन्त तक कृषि उद्योग, व्यापार, तथा अन्य कार्यों जैसे विभिन्न क्षत्रों में दी गयी बकाया जमा की रकम 158.18 करोड़ रुपये थी। इससे पता लगता है कि जून, 1969 में कुल बैंक जमा के प्रतिशत में 5.42 प्रतिशत की वृद्धि थी और वह जून, 1974 में बढ़कर 6.28 प्रतिशत हो गई।

गुजरात के बुनकरों द्वारा धागे की मांग

3376. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों गुजरात के बुनकरों ने अपनी धागे की मांग पेश की थी ;

(ख) दिसम्बर, 1974 तक उन्होंने कितनी मांग की ;

(ग) क्या गुजरात के बुनकरों ने जनवरी से मार्च, 1975 के दौरान भी कोई मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके अनुरोध के अनुसार सप्लाई कर दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पटसन उद्योग में बिक्री की नीलाम एवं निविदा मंगाने संबंधी पद्धति

8377. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन उद्योग में बिक्री के लिए नीलाम एवं निविदा मगाने सम्बन्धी पद्धति का तरीका अपनाने का है जैसा कपास और मूंगफली के उद्योगों के मामले में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित पद्धति दोनों प्राथमिक और माध्यमिक बाजारों में प्रयोग की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Financial Assistance to Craftsmen Cooperative Societies in Madhya Pradesh

8378. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that many craftsmen co-operative societies in Madhya Pradesh produce various types of fine handicrafts and handloom cloth which are in great demand in foreign countries; and

(b) if so, the action taken by Govermnent to provide financial and other assistance to these co-operative societies to improve their working?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Financial and other assistance to Cooperative Societies engaged in Handicrafts is provided by State Governments directly through the State Cooperative Banks and is in the form of managerial assistance, interest subsidy, State participation in share capital, share capital loan to artisans, loans for construction of working sheds and godowns, and training of managerial staff. Central Government also provides assistance by way of services in designs, training and marketing.

For Handloom cloth, besides the assistance rendered by the State Governments on the above lines. Central Government provides technical assistance and training facilities through the Weavers Service Centres and the two Institutes of Handloom Technology at Salem and Varanasi, under the All India Handloom Board. Financial assistance is also provided in the form of working capital loan at concessional rate of interest from the Reserve Bank of India through the State Co-operative Banks.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोनस की दरें

8379. **श्री सत्यपाल कपूर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम अपने कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न दरों पर बोनस देते हैं जिससे उन कर्मचारियों में असतोष पैदा हो रहा है जिनको उन के उपक्रम कम बोनस देते हैं

(ख) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में बोनस की दर क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में एक ही दर पर बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के जो उद्यम बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत आते हैं वे अपने कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोनस देते हैं। बोनस की दर इस अधिनियम के अनुसार निर्धारित 8 प्रतिशत की न्यूनतम और 20 प्रतिशत की अधिकतम दर के बीच कुछ भी हो सकती है। अर्जित लाभ की राशि के आधार पर उद्यमों का "आवंटनीय अधिशेष" सबका एक समान नहीं होता और इसलिए बोनस की दरों में भी अन्तर रहता है। अतः सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में बोनस की एक समान न्यूनतम दर पर अदायगी सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र के गैर—प्रतियोगी उद्योगों में बोनस की अदायगी इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती है। ऐसे मामलों में ऊपर बतायी गयी विधि से अनुग्रहपूर्वक भुगतान यह मानकर किए जाते हैं जैसे कि उन पर भी यह अधिनियम लागू होता है।

केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों द्वारा 1973–74 वर्ष के लिए दिए गये बोनस/अनुग्रह-पूर्वक भुगतान की दरें अनुबन्ध में दी गयी हैं।

विवरण

क. सरकारी उद्योगों में बोनस/अनुग्रहपूर्वक भुगतान की दरें

बोनस/अनुग्रहपूर्वक भुगतान की सीमा (प्रतिशत)	सरकारी उद्यमों की संख्या
1. 8.33 से 10.00 .	56
2. 10.01 से 15.00 . . .	4
3. 15.01 से 20.00 . .	25
जोड़	85

	(प्रतिशत)
1. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	8.33–19.18
2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	8.33–20.00
3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	8.33–20.00
4. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	8.33–28.00*
5. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज	8.33–20.00*
6. गार्डन रीच वर्कशाप लि०	8.33(+170-रु० प्रति व्यक्ति)
7. माडर्न बेकरीज लिमिटेड	16.90–20.00

*बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 की धारा 32 (7) (ख) के अधीन किए गये समझौता ज्ञापन के अनुसार।

टिप्पणी: अभी 23 सरकारी उद्यमों पर बोनस लागू नहीं होता।

फिलीपीन के लिये जहाज द्वारा भारतीय कोच भेजना

8380. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिस्तीन के लिए जहाज द्वारा भारतीय कोच भेजे गये हैं ; यदि हां, तो कितने ;

(ख) किन शर्तों पर ;

(ग) क्या अन्य देशों के साथ भी ऐसे करार हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1975 के दौरान अन्य देशों को कितने प्रकार के कोच सप्लाई किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) : 30 वर्कशाप रेलवे सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए संविदा के आधार पर 20 सवारी डिब्बे फिलिस्तीन को भेजे जाने के लिए तैयार हैं।

(ङ) संविदा एफ० ओ० पी० आधार पर तथा आस्थगित भुगतान शर्तों पर निम्नांकित इस प्रकार है :—

(1) 18 प्रतिशत संविदा पर हस्ताक्षर करने पर,

(2) 5 प्रतिशत पोतलदान पर,

(3) 85 प्रतिशत 99 वर्षों में।

(ग) तथा (घ) : 1974–75 में बंगलादेश को 50 बड़ी लाइन के तृतीय श्रेणी के सवारी डिब्बे सप्लाई किए गए थे। इस समय सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए कोई अन्य संविदा नहीं है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा उपभोक्ताओं तथा वास्तविक प्रयोगकर्ताओं की ओर से माल उठाया जाना

8381. **श्री श्री के० मालन्न** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने एक ऐसी प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय किया है, जिससे उपभोक्ताओं और वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को जिनकी ओर से राज्य व्यापार निगम आयात करार करता है, पहुचने पर वह माल उठाना पड़ेगा, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के बारे में मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां। राज्य व्यापार निगम ने एक प्रणाली आरम्भ की है जिसके अनुसार निकासी आदेश धारकों को बयाना जमा करना होता है जो सामान्यत: निकासी आदेश के मूल्य का लगभग 5 प्रतिशत

होता है। टेलर मेड मदों के मामले में निकासी गारण्टी के लिए भी आग्रह किया जाता है। यह इस दृष्टि से किया जा रहा है कि निकासी आदेश धारी जिनकी ओर से आयात किये जाते हैं, माल अवश्य उठा लें और फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम के पास जमा न रहे।

विदेशों के साथ बहुउद्देशीय करार कराने, एशिया तथा प्रशांत के लिये आर्थिक सामाजिक आयोग द्वारा भारत को दी गयी सहायता

8382. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा प्रशांत के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग की हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक ने विदेशों के साथ बहुउद्देशीय करार करने के बारे में भारत की सहायता की है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी नहीं। तथापि, आयोग ने संकल्प स्वीकार किये जिनमें एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना, कृषि मशीनरी हेतु केन्द्र की स्थापना, नौवहन तथा पत्तनों के क्षेत्र में वैधानिक व्यवस्थाओं में विकास महिलाओं का योग बढ़ाने के लिए कार्यवाही की क्षेत्रीय योजना, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं में समन्वय और एशियाई आर्थिक विकास तथा आयोजना संस्थान के नाम में परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय योगदान के संबंध में सदस्य देशों का मतैक्य व्यक्त था।

मैसर्स एग्रीकल्चरल फार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड से बकाया कर-राशि की वसूली

8383. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एग्रीकल्चरल फार्मर्स (प्राइवेट) लिमिटेड की छिपायी गई आय पर भुगतान करने के लिए 118 लाख रुपये बकाया कर निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) फर्म से कर की बकाया राशि को वसूल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या कुछ राशि भुगतान करने पर फर्म की सम्पत्ति से कुर्की उठाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) क्या सरकार फर्म से पूरा बकाया राशि वसूल करना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मैसर्स एग्रीकल्चरल फार्मस (प्रा०) लि० को 1964–65 से 1972–73 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए अब तक जो कुल मांग जारी की गयी उसमें से 69.41 लाख रुपये की, कर और दण्ड के रूप में, मांग का संबँध छिपायी गयी आय से आता है ।

(ख) उपर्युक्त 69.41 लाख रुपये की मांग का ब्यौरा अनुबँध में दिया गया है ।

(ग) उक्त कम्पनी के खिलाफ बकाया मांग की वसूली के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:—

(i) कर वसूली अधिकारी को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ।

(ii) कम्पनी को आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अधीन, फार्म I.T.C.P.-I में नोटिस जारी किया गया है और इसका प्रभाव कम्पनी को अपनी सम्पत्ति अन्तरित करने से रोकना है ।

(iii) बकाया मांगें अपीलों में विवादग्रस्त हैं, इसलिए अपीलीय अधिकारियों से प्रार्थना की गयी है कि वे अपीलों का जल्दी निपटान कर दें ।

(iv) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 226 (3) के अधीन अनुऋणों के अधिग्रहण का नोटिस जारी किया गया है ।

(v) कम्पनी को जो किश्तें मँजूर की गयी हैं और जिनकी अदायगी नहीं हुई है, उस बाबत दण्ड लगाए गये हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जी, हां ।

विवरण

मेसर्स एग्रीकल्चरल फार्मस (प्रा० लि०) से बकाया कर की वसूली के बारे में छिपाई गयी आय पर लगाये गये कर और दण्ड का ब्यौरा

कर निर्धारण वर्ष	1964–65	1965–66	1966–67	1967–68
	(लाख रुपयों में)			
छिपाई गयी आय पर आयकर और अति-कर . .	1.94	3.92	4.57	5.55
आय छिपाने पर दण्ड	1.00	1.20	1.45	1.55
कुल .	2.94	5.12	6.02	7.08

कर निर्धारण वर्ष	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	कुल
छिपाई गयी आय पर आयकर और अति-कर	7.12	3.97	4.81	10.05	9.03	50.94
आय छिपाने पर दण्ड	7.56	5.71	विचाराधीन	विचाराधीन	विचाराधीन	18.47
कुल	14.68	9.68	4.81	10.05	9.03	69.41

विदेशों में व्यापार मेलों में कदाचार

8384. श्री वसंत साठे :
श्री समर गुह :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1975 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "अफ़ेयर मालप्रेक्टिसिज प्राइम मिनिस्टर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसमें व्यक्त किये गये विभिन्न विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). वाणिज्य मंत्रालय और विदेशों में संबंधित भारतीय मिशनों में उपलब्ध सभी रिकार्डों की विस्तृत जांच करने और उन्हें देखने के बावजुद समाचार में किये गये विशिष्ट आरोपों

में से किसी भी आरोप को सिद्ध नहीं किया जा सका। मेलों में भाग लेना कारगर रहा है और जैसा कि भाग लेने वाले ने बताया है, गत पांच वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने से 5139.07 लाख रु० का कारोबार उत्पन्न हुआ है।

इन्डियन पायलट्स गिल्ड के पदाधिकारियों से ज्ञापन

8385. **श्री वंसत साठे :**
श्री भाऊसाहब धामनकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंण्डियन पायलट्स गिल्ड के पदाधिकारियों से एयर इण्डिया के तीन विमान चालकों को परेशान किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). भारतीय विमानचालक गिल्ड ने 23 अप्रैल, 1975 को श्रम मंत्री को एक प्रार्थना भेजी है जिसमें उन्होंने (i) (उन तीन विमनचालकों को, जिन्हें एयर इँडिया द्वारा सेवा से निकाल दिया गया था, बहाल करने; तथा (ii) 19 विमानचालकों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियोगों को वापिस लेने के लिए प्रार्थना की है। मामले की जांच की जा रही है।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक जाली चिकित्सा बिल पेश किया जाना

8386. **श्री बंसत साठे :**
श्री मान सिंह भौरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी अधिकारी द्वारा जाली चिक़ित्सा विल पेश किया जाना जालसाजी तथा ठगी का प्रयास नहीं है;

(ख) यदि हां, तो स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के वरिष्ठ अधिकारी श्री वी० एस० कपूर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जो निश्चित रूप से ऐसा अपराध करने के दोषी हैं; और

(ग) उक्त बैंक के ऐसे अन्य अधिकारियों के नाम क्या हैं जो इसी प्रकार से दोषी पाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बैंक कर्मचारियों द्वारा फर्जी चिकित्सा बिलों का प्रस्तुत किया जाना, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार जालसाजी करना और/अथवा धोखा देने का प्रयास माना जायगा।

(ख) और (ग). स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर ने सूचित किया है कि उसकी नई दिल्ली शाखा के एजेन्ट के रूप में काम करते समय श्री वी०एस० कपूर ने मार्च, 1973 में एक चिकित्सा बिल प्रस्तुत किया था, जो उनकी पत्नी की सामान्य कमजोरी के इलाज के लिए किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के वास्ते दिया था किन्तु बैंक ने इस बिल को मँजूर नहीं किया और उसे वापिस कर दिया क्योंकि बैंक के नियमों के अनुसार उक्त प्रयोजन के लिए किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर ने यह भी सूचित किया है कि कोई अन्य मामला बैंक के ध्यान में नहीं आया है ।

"इन्डियन एयरलाइन्स फ्लाइट डिलेड बाई इन्ड्रस्ट्रियल स्मोग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8387. श्री वंसत साठे :

श्री भाऊसाहब धामनकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1975 के टाइम्स आफ इण्डिया में 'इण्डियन एयर लाइन्स फ्लाइट्स डिलेड बाई इण्डस्ट्रियल स्मोग' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हां, औद्योगिक शहरों के ऊपर धूम-कुहरे (स्मोग) के कारण दृश्यता कम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप उड़ानों में देरी हो जाती है। यह समस्या केवल दिसम्बर से फरवरी तक के महीनों के दौरान अधिक प्रकट होती है तथा स्थानीय प्रकृति की होती है । यह एक अपरिहार्य घटना है

दिल्ली हवाई अड्डे का वातानुकूल संबंधी विवाद

8388. श्री नवल किशोर शर्मा :

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 अप्रैल, 1975 के इण्डियन एक्सप्रैस में 'दिल्ली एयरपोर्ट एयर-कन्डीशनिंग डिस्प्यूट कन्टीन्यूज' नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशक और वातानुकूलन फर्म डिक इण्डिया के बीच आन्तरिक विवाद से यात्रियों को अकारण बहुत असुविधा हो रही है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जब कि करार की शर्तों को दृष्टि में रखते हुए एक ओर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दूसरी ओर फर्म के बीच विवाद के हल के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया गया है और किया जा रहा है, सामयिक उपाय के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों के आराम के लिए एयर-सरकुलेटरों और डेजर्ट कूलरों की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है ।

ऐतिहासिक तथा पर्यटक रुचि के स्थानों पर दर्शक

8390. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों में ऐसी शिकायतें देखी हैं कि भारत में ऐतिहासिक तथा पर्यटन रुचि के स्थानों पर भारतीय दर्शकों को इन स्थानों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपमान सहना पड़ता है;

(ख) क्या सफ़ेदपोश विदेशी पर्यटकों के साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार यह बात सुनिश्चित करने का है कि भविष्य में भारतीय दर्शकों के प्रति ऐसा भेद-भाव नहीं किया जायेगा; और

(घ) क्या इस बारे में कोई अनुदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत पर्यटन विभाग के दृष्टिगोचर नहीं हुयी है कि भारत में ऐतिहासिक और पर्यटक रुचि के स्थानों पर भारतीय यात्रियों का सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनादर किया जाता है ।

(ख) जब विदेशी पर्यटक लौट कर जाएं तो उनके हृदय पर एक अनुकूल धारणा उत्पन्न हो इस उद्देश्य से उनको केवल सामान्य और अभिष्ठ शिष्टाचार प्रदर्शन एवं सहायता प्रदान की जाती है, इस से अधिक कुछ नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना

8391. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री बम्बई में सिलेसिलाये कपड़ों के लिए निर्बाध निर्यात व्यापार जोन स्थापति करने के बारे में 6 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्बाध व्यापार जोन स्थापित करने के बारे में राज्य सरकारों के सुझावों पर सरकार ने निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के रूप में कलकत्ता के निकट नमक झील क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना से सम्बन्धित एक सुझाव सिद्धान्ततः स्वीकार किया जा रहा है ।

(ख) सुझाव है कि दमदम हवाई अड्डा, कलकत्ता के निकट नमक झील क्षेत्र में 200 एकड़ के भूखँड पर बहुत्पाद क्षेत्र की स्थापना की जाये ।

पिल्ले समिति का प्रतिवेदन

8392. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर पिल्ले समिति का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो सरकार ने स्वीकार कर ली हैं तथा रद्द कर दी हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों और परिलब्धियों के मानकीकरण के लिए श्री बी० आर० पिल्ले की अध्यक्षता में गठित समिति, अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर चुकी है । सरकार समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है ।

विदेश व्यापार के भारतीय संस्थान द्वारा की गई प्रगति

8393. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित विदेश व्यापार का भारतीय संस्थान हाल ही में कुछ कुशल अनुसंधानकर्ताओं तथा कर्मचारियों की सेवा से वंचित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस संस्थान ने वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में यदि कोई प्रगति की है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): जी हां, गत ढाई वर्षों के दौरान निम्नोक्त कुछ अनुसंधानकर्ता तथा कर्मचारी बाहर अच्छी नौकरियां उन्नति पाने के लिए सामान्य रुप में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान छोड़ कर चले गये थे :—

	अधिकारी का नाम तथा पद	संस्थान छोड़ने की तारीख
1.	श्री मुलखराज, सहायक प्रधान	14-9-72 (अपराह्न)
2.	श्री एम० एल० गर्ग, सह प्राध्यापक	13-10-72
3.	डा० एस० एस० रामू, सह प्राध्यापक	13-12-72 (अपराह्न)
4.	श्री एम० एस० अनेजा, गवेषणा सहायक	30-4-73
5.	श्री वी० जी० टण्डन, गवेषणा अधिकारी	13-8-73
6.	श्री पारस राम, सहायक प्रधान	19-9-73
7.	श्री आतम प्रकाश, सहायक प्रधान	19-10-73
8.	श्री पी० बनर्जी, सह प्राध्यापक	13-5-74

(ग) निम्नलिखित आंकड़े संस्थान द्वारा की गई प्रगति के द्योतक हैं :—

	मद	1972-73	1973-74	1974-75
1.	आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	16	18	15
2.	उपरोक्त (1) पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या	436	497	537
3.	आयोजित की गई गवेषणा परियोजनाओं की संख्या	22	11	15

गुजरात को कपड़ा मिलों द्वारा कार्य की पारियां बंद कर दिये जाने के कारण उत्पादन की हानि तथा बेरोजगारी

8394. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान गुजरात की कपड़ा मिलों द्वारा कार्य की दूसरी और तीसरी पारी बन्द कर देने से कितने उत्पादन की हानि हुई है तथा कितनी बेरोजगारी फैली है ; और

(ख) ये पारियां कब तक फिर से पूरी तरह चालू कर दी जायेंगी ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). 1974 की अन्तिम तिमाही में गुजरात की 47 मिलों ने आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में अपनी तीसरी पारी बन्द कर दी थी जिससे 7000 मजदूरों के रोजगार पर असर पड़ा और प्रतिदिन 3.3 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन घट गया। मार्च, 1975 तक केवल 15 मिलों ने ही तीसरी पारी में काम शुरू नहीं किया था उस समय प्रभावित मजदूरों की संख्या 2400 थी और प्रतिदिन कपड़े के उत्पादन में 1.3 लाख मीटर हानि हो रही थी। तथापि इस के बावजूद, वर्ष 1974 में गुजरात की मिलों का सूत तथा कपडे का उत्पादन 18.5 करोड़ किलोग्राम और 140.9 करोड़ मीटर तक बढ़ गया जबकि 1973 में यह क्रमशः 67.9 करोड़ कि० ग्रा० तथा 133.1 करोड़ मीटर था।

गुजरात में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

8395. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री एम० आर० वेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य नगरों में गत छः मास के दौरान कोई छापे मारे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). गुजरात के आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र में 31 मार्च 1975 को समाप्त छमाही में, आयकर प्राधिकारियों ने तलाशी लेने तथा अभिग्रहण की 201 कार्यवाहियां की जिनमें निम्नलिखित मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं :—

(लाखों रुपयों में)

नकदी	20
अन्य परिसम्पत्तियां	121

बहुत सारे मामलों में वही खाते और कागजात भी पकड़े गये हैं।

विदेशों से तकनीकी सहायता

8396. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश को इस समय 13 देशों से कतनीकी सहायता प्राप्त होती है।

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) किन क्षेत्रों में सहायता प्राप्त हो रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). भारत को आजकल निम्नलिखित देशों से विशेषज्ञों की सेवाओं, अधिछात्रवृत्तियों, उपकरणों और सामग्री के रूप में द्विपक्षीय तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है

1. आस्ट्रेलिया
2. कनाड़ा
3. डेनमार्क
4. जर्मन संघीय गणराज्य
5. फ्रांस
6. जर्मन जनवादी गणतंत्र
7. जापान
8. नीदरलैण्ड
9. न्यूजीलैण्ड
10. नार्वे
11. स्वीडन
12. स्विटजरलैण्ड
13. युनाइटेड किंगडम

(ग) : इन देशों से तकनीकी सहायता मुख्यत: निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए प्राप्त होती है :

कृषि

पशुपालन

लघुउद्योग

परिवार नियोजन

निर्यात संवंधन

मछली उद्योग विकास

तकनीकी शिक्षा

टेलीविजन प्रौद्योगिकी

मैसर्स मित्तल उद्योग, जालन्धर से ज्ञापन

8397. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स मित्तल उद्योग, जालन्धर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें कारखानों पर उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या के आधार पर लगाये गये उत्पादन शुल्क के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी नीति में कर्मचारियों की संख्या के आधार के बजाय मशीनों के मूल्य के आधार पर उत्पादनशुल्क लगाने का परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में दिये गये सुझाव की जांच की जा रही है। इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय उस समय लिया जायेगा जब वित्त विधेयक पर संसद् में चर्चा होगी और उसे पारित किया जायेगा।

भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध होटलों, मोटलों और पर्यटक लॉजों को हुई हानि

8398. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में अशोक होटल, नई दिल्ली को छोड़कर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे अन्य होटलों/मोटलों/पर्यटक लॉजों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में बजट में कितनी हानि दिखाई गई तथा कितनी हानि का अनुमान है; और

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों के इस खराब काम को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वर्ष 1975 के लिये भारत पर्यटन विकास निगम के लेखे तैयार किये जा रहे हैं। अनन्तिम प्राक्कलनों के अनुसार, जिनका अन्तिम रूप से समंजन तथा लेखा परीक्षा होनी है, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों/मोटलों/यात्री लॉजों के बारे में, सिवाये अशोक होटल, नई दिल्ली के, जिसने 50 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है, वर्ष 1974–75 के लिये प्रत्याशित वित्तीय परिणाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों/मोटलों/यात्री लॉजों का कार्य निष्पादन खराब है। वास्तव में बहुत से यूनिट नये हैं और इस प्रकार के यूनिटों का लाभ कमाना प्रारम्भ करने से पहले कुछ वर्षों का समय गर्भकाल होता है। विभिन्न यूनिटों की लाभप्रदता में सुधार करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। गहन मार्केट प्रयत्न, कड़ा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, बजट एवं लागत विषयक नियंत्रण आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जोकि इन यूनिटों के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिये प्रारम्भ किये गये हैं।

विवरण

यूनिट का नाम	1974-75 के दौरान लाभ/हानि	
	पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	प्रत्याशित
	(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)
1. अकबर होटल	11.36	13.00
2. होटल जनपथ	13.14	14.00
3. होटल अशोका, बंगलौर	1.47	9.00
4. लोधी होटल	(—) 2.92	(—) 3.00
5. होटल रणजीत	(—) 7.18	(—) 7.00
6. कुतुब होटल (4-11-73 से चालू किया गया)	(—) 3.00	(—) 3.25
7. औरंगाबाद होटल	(—) 4.03	(—) 4.60
8. खजुराहो होटल	(—) 0.45	(—) 1.25
9. लक्ष्मी विलास पलेस होटल, उदयपुर	(—) 3.61	(—) 3.80
10. वाराणसी होटल	(—) 1.61	(—) 3.50
11. ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर (13-9-1974 से चालू किया गया)	(—) 3.21	(—) 2.50
12. जम्मू मोटल	(—) 2.46	(—) 3.00
13. हस्सन मोटल	(—) 1.14	(—) 1.10
14. कोवालम ग्रोब	(—) 3.80	(—) 3.50
15. टैमपल बे, महाबलीपुरम	(—) 2.85	(—) 2.00
16. ट्रवलस लॉज तथा रेस्टोरें	(—) 12.68	(—) 12.50

Opening of Hotels

8399. Shri Lalji Bhai:

Shri Ishwar Chaudhuri:

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the places where Five Star and other category hotels have been opened by the Centre and various State Governments during the last three years for the convenience of tourists, State-wise; and

(b) the names and locations of the new hotels proposed to be opened in 1975?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) Statement giving details of the hotels opened by the India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking, during the last three years *i.e.* 1972, 1973 and 1974, is attached as per Annexure 'A' (Part I).

None of the State Governments opened any hotel during the last three years after first getting it approved at the project stage by the Department of Tourism from the point of view of its suitability for foreign tourists.

(b) The India Tourism Development Corporation plans to open hotels during 1975 as per Annexure 'A' (Part II).

STATEMENT

Statement showing places where Five Star and other Category hotels were commissioned by India Tourism Development Corporation during the last three years.

Year	Name of the Hotel	State	No. of Rooms/beds	Remarks
1972	Akbar Hotel	Union Territory of Delhi	163–Rooms/276–beds	
1972	Aurangabad Hotel	Maharashtra	23–Rooms/37–beds	The hotel was taken over from railway in October 1972.
1972	Khajuraho Hotel	Madhya Pradesh	48-Rooms/96-beds	The Travellers Lodge at Khajuraho 8 rooms/10 beds was expanded and commissioned as a hotel in November 1972.
1973	Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur.	Rajasthan	34-Rooms/68-beds	Expansion of the functioning hotel by addition of 20-rooms/42-beds was completed and commissioned in January 1973.
1973	Qutab Hotel	Union Territory of Delhi	48-Rooms/132–beds	USAID guest house was taken-over and converted into a hotel in November 1973.
1973	Varanasi Hotel	Uttar Pradesh	50-Rooms/100-beds	
1974	Lalitha Mahal Palace Hotel	Karnataka	28-Rooms/44-beds	Palace was converted and commissioned as a hotel in September 1974.

PART II

The names and locations of the new India Tourism Development Corporation hotels, likely to be opened in the year 1975.

Year	Name of the Hotel	State	No. of Rooms/beds
975	Airport Hotel at Dum Dum	West Bengal	156-Rooms/312-beds
1973	Expansion of Hotel Asoka, Bangalore.	Karnataka	100-Rooms/200 beds

Payment of Income-tax by D.C.M. Fertilisers, Kota

8400. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of Income-tax paid by the D.C.M. Fertilizers, Kota to Government in 1973-74; and

(b) the outstanding amount of Income-tax this year and the action being taken by Government to realise the same?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) There is no concern by the name of D.C.M. Fertilizers, Kota. However, there is a concern by the name of Shriam Chemical Industries, Kota, which manufactures fertilisers. It is a constitutent unit of Delhi Cloth and General Mills Company Ltd., Delhi and, is, therefore not an Income-tax paying entity.

(b) In view of answer to part (a), part (b) does not arise.

Payment of Income-tax by Udaipur Cotton Mills, Udaipur

8401. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of Income-tax paid to Government by Udaipur Cotton Mills Udaipur (Rajasthan) during 1973-74; and

(b) if no Income-tax was paid, the action taken by Government against the said company?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Udaipur Cotton Mills Udaipur, (Rajasthan) is a constituent unit of Messrs. Swadeshi Cotton Mills Limited, Kanpur. Accordingly Udaipur Cotton Mills, Udaipur, is not an income-tax paying entity.

(b) In view of the answer to part (a), part (b) does not arise.

Raid by C.B.I. on the residence of Income-tax Officer, Jabalpur

8402. Dr. Laxminarayan Pandeya:
Shri Phool Chand Verma:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether goods and cash worth more than 50 thousand rupees were recovered from the house of an Income-tax Officer in Jabalpur city of Madhya Pradesh in a raid conducted by C.B.I. there; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b). On a search conducted by the Central Bureau of Investigation of the residence of an Income-tax Officer posted at Jabalpur, house-hold articles, personal effects, cash, and other movable properties, whose total value is estimated at about Rs. 50,000. were found.

Investigation of the case is in progress.

सेंचुरी रेयन लिमिटेड के निदेशकों के विरुद्ध तस्करी के आरोप

8403. **श्री सतपाल कपूर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी के आरोप में मैसर्स सेंचुरी रेयन लिमिटेड के अब तक गिरफ्तार किये गये विदेशकों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनके यहां मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन छापों के परिणामस्वरूप किस प्रकार के दस्तावेज और वस्तुएं बरामद हुईं तथा इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी।

ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के डायरक्टरों के विरुद्ध तस्करी के आरोप

8404. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के किसी डाइरेक्टर को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या उनके मकानों/कार्यालयों पर छापे मारे गये थे;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन छापों के परिणामस्वरूप क्या क्या दस्तावेज तथा माल बरामद हुआ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक पर कुल कितना आयकर, धनकर, उत्पादन शुल्क और निगम कर बकाया था; और

(ङ) करों की बकाया राशि वसूल करने के लिये किये गये विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

वर्ष 1973–74 के दौरान रबड़ का निर्यात

8405. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा वर्ष 1973–74 के दौरान कितने रबड़ का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) क्या निर्यात से आन्तरिक आवश्यकताओं के लिये उपलब्धता में कमी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है और क्या सरकार का विचार आन्तरिक मांग की पूर्ति के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगवाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 152.6 लाख रु० मूल्य का 2700 म. ० टन।

(ख) जी नहीं।

(ग) फिलहाल प्राकृतिक रबड़ निर्यात करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा प्राप्त वेतन

8406. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेब

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों ने उन्हें क्लर्कों से काफी कम वेतन मिलने के बारे में शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस मामले पर किसी आन्दोलन की भी धमकी दी है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). बैंक अधिकारी संगठन के अखिल भारतीय कंफेडरेशन ने अपने 15 मार्च, 1975 के पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि कई बैंकों में अधिकारियों को कामगार (वर्कमैन) कर्मचारियों से कम परिलब्धियां मिलती हैं। कंफेडरेशन ने यह भी लिखा है कि सामूहिक रूप से कार्रवाई करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है ।

सरकारी और अन्य संगठनों में महंगाई भत्ते की अदायगी के समग्र प्रश्न की सरकार जांच कर रही है ।

एक राष्ट्रीयकृत बैंक के चेयरमैन के निवास पर एक शानदार बार बनवाया जाना

8407. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 जनवरी, 1975 के इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित सतर्कता आयुक्त के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के चेयरमैन ने अपने निजी निवास स्थान पर अत्यन्त मूल्यवान फर्नीचर तथा अपने कार्यालय में एक शानदार बार बनवा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन तथ्यों का पता लगा है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सम्बन्धित चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक का तथा उसके सहभागियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के 11वें ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम में, 6 जनवरी, 1975 को, मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा दिये गये उद्घाटन भाषण के सम्बन्ध में 7 जनवरी, 1975 के "इकोनामिक टाइम्स" में छपी रिपोर्ट को सरकार ने देखा है । केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त से मालूम हुआ है कि उनके भाषण में, एक उपक्रम के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के घर में बहुमूल्य फर्नीचर आदि देने की जो बात कही गई थी उसका सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक से नहीं है । सरकारी क्षेत्र के बैंक के कार्यालय में बार बनवाने के सम्बन्ध में यह पता चला है कि उसका निर्माण राष्ट्रीयकरण से बहुत पहले तत्कालीन यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड के कलकत्ता स्थित, मुख्य कार्यालय के नये भवन में किया गया था ।

काले धन में वृद्धि

8408. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित श्री जे० आर० डी० टाटा के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें काले धन की वृद्धि के लिये सरकार को दोषी ठहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) वांचू समिति ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे कई तथ्य बताये है जो काले धन और कर-अपवंचन की बुराई के लिए जिम्मेदार हैं । इस सम्बन्ध में सरकार, आवश्यकता के अनुसार, समय-समय पर उपयुक्त उपाय करती रहती है ।

बम की आशंका के कारण वायुयान के प्रस्थान में विलम्ब

8409. **श्री राम सहाय पांडे**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुयान में बम रखने सम्बन्धी सूचनायें देने की घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं और इससे वायुयान के प्रस्थान में विलम्ब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं । दूसरी ओर, देश में बम होने की आशंका के मामलों में कमी हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नियंत्रित कपड़े के लिए मूल्य का निर्धारण

8410. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन (आई०सी०एम०एफ०) ने सरकार को नियंत्रित कपड़े का युक्तिसंगत मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

'एयरोफ्लोट' के विरुद्ध जांच

8411. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान कम्पनी 'एयरोफ्लोट' के विरुद्ध जांच अभी हाल ही में बन्द की है ;

(ख) क्या यह जांच पिछले दो वर्षों से चल रही थी और इसमें वायुयान कम्पनी के कलकत्ता कार्यालय के कुछ प्रमुख अधिकारियों का नाम था ;

(ग) कम्पनी और सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या आरोप थे ; और

(घ) जांच बन्द करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई के प्रमुख तस्कर और विदेशी मुद्रा के घोटाले करने वाले

8412. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में अपना काम करने वाले 25 प्रमुख तस्कर और विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले अभी भी आजाद हैं और वे अपना काम चोरी छिपे कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन्हें गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) यह ठीक ठीक कहना संभव नहीं है कि बम्बई से संचालन करने वाले कितने तस्कर तथा विदेशी मुद्रा के जालसाज अभी तक आजाद हैं और अपने अवैध व्यापार चला रहे हैं।

(ख) तथा (ग). उन व्यक्तियों की सूची संलग्न है जिनके खिलाफ नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु जो फरार हैं और जिन्हें नजरबन्द नहीं किया जा सका है। ये व्यक्ति उनके अज्ञात पतों पर उपलब्ध नहीं हैं और पूछ-ताछ तथा निगरानी के बावजूद उनका पता ठिकाना मालूम नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के अधिकारी उनको हिरासत में नहीं ले सके।

विवरण

1. मनोहर लाल नारंग।
2. पूंदा खान सुपुत्र नौशाखान।
3. अब्दुल अजीज इस्माइल शक्खासन उर्फ अजीज कोंकणी।
4. अब्दुल रशीद अब्दुल रहीम बवाजीर उर्फ रशीद बवाजीर।
5. राजमल भेरुमल चोकसी उर्फ कोठारी।
6. मोहम्मद उमर मोहम्मद सिद्दीक।
7. सैयद मुरतुजा सुपुत्र गुलाम रसूल।
8. सयद अहमद हुसन बवामिया उर्फ अहमद चिकना।
9. इब्राहीम याकूब मेचानी उर्फ इब्राहीम मच्छीवाला उर्फ इब्राहीम मच्छी।
10. निलिकुंद अबूब्कर युसुफ उर्फ युसुफ हीरो।
11. सुखराम दास प्रभुदास ठाकुर उर्फ सुखु ठाकुर।
12. हरीजी इत्तफाक सुपुत्र हमदुल्ला।
13. लक्ष्मण दास नारायण दास जीवनानी।
14. प्रवीण चन्द्र माधवजी सोनी।

1236 LS—9.

बड़े तथा उनसे बड़े व्यापारिक गृहों का सिले कपड़ा उद्योग में प्रवेश

8414. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक बड़े और उनसे बड़े व्यापारिक गृहों की कितनी कम्पनियों और विदेशी नियंत्रण वाली कितनी कम्पनियों को सिले-सिलाए कपड़ा उद्योग में आज तक प्रवेश करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक कम्पनी का नाम और ब्यौरा क्या है और इस उद्योग में प्रत्येक कम्पनी ने कुल कितनी पूंजी लगाई है ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि बहुत सी ऐसी कम्पनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है जिन्हें कपड़ा बनाने अथवा सम्बद्ध कपड़ा व्यापार का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है ;

(घ) क्या जैसा कि समाचार पत्रों में समाचार आया है, इस उद्योग में बड़े व्यापारिक गृहों के प्रवेश के कारण ऐसे बहुत से छोटे एककों के बने रहने की समस्या हो रही है जिनके लिये यह उद्योग परम्परागत रूप से "आजीविका का साधन" रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) बड़े अथवा उनसे अधिक बड़े व्यापारिक गृहों से सम्बन्धित पांच कम्पनियां इस समय सिले-सिलाये कपड़े तैयार कर रही हैं। बड़े अथवा उससे अधिक बड़े व्यापारिक गृहों से सम्बन्धित कुछ अन्य कम्पनियां जिनमें विदेशी-नियंत्रित कम्पनियां शामिल हैं वे आवेदन पत्र कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख)

	कम्पनी का नाम	बड़े तथा इनसे बड़े गृह जिनसे वह सम्बन्धित है	मशीनों में पूंजी निवेश (ला रुपये में)
1.	मैसर्स जे० के० (बम्बई) लि०	मैसर्स रेमंड शलेन मिल्स	15.52
2.	मैसर्स बिन्नीस गार्मेंट्स फैक्टरी	बिन्नी ग्रुप	12.00
3.	मैसर्स कोरोमंडल गार्मेंट्स लि०	टाटा ग्रुप	11.63
4.	मैसर्स मफत लाल अमरैल मैन्यु० क०	मफतलाल ग्रुप	11.60
5.	मैसर्स राजिन्द्र डाइंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स	कैलिको ग्रुप	5.36

(ग) जी हां, अधिकांश वर्तमान परिधान एकक परिधान बनाने तथा सम्बद्ध वस्त्र कारोबार में अनुभव रखते हैं। इस क्षेत्र में नये प्रवेशकर्ता अपने विशेषज्ञ रखेंगे और उन्हें लाइसेंस देने के बारे में पर्याप्त निर्यात दायित्व आधार पर ही विचार किया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ). कपड़ा उद्योग में बड़े अथवा उनसे बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन मुख्यत: निर्यात के लिए है और वह उन लघु परिधान एककों से भिन्न है जो मुख्यत: फैशन वाले तथा यदाकदा पहने जाने वाले परिधान तैयार करते हैं । अत: इससे ऐसे लघु एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

डनलप इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्यातित उत्पाद

8415. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डनलप इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1974 में 92 देशों को अपने उत्पादों का निर्यात किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन वस्तुओं का निर्यात किया गया ; और

(ग) इसके उत्पादों का किस किस विकसित देश को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार डनलप इंडिया ने 1974 में संयुक्त राज्य अमरीका, डेनमार्क, इटली, स्पेन तथा यूनान सहित 48 देशों को टायरों, ट्यूबों तथा रबड़ के अन्य उत्पादों का निर्यात किया ।

मिलों में बने सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि

8416. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों में बने सूती कपड़े का निर्यात 1974 में लगभग 50 प्रतिशत बढ़ कर 330.39 करोड़ रुपये हो गया जब कि पिछले वर्ष 226.35 करोड़ रुपये का हुआ था ;

(ख) क्या यह 50 प्रतिशत वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में केवल भाव के उतार चढ़ाव के कारण है अथवा भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता के कारण बढ़ती मांग का प्रतीक है ; और

(ग) क्या बढ़े हुये इन आंकड़ों में सूती हथकरघा उत्पाद भी सम्मिलित हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974 के दौरान मिल निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यात 327.08 करोड़ रुपये के होने का अनुमान है जब कि 1973 के दौरान 226.35 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे ।

(ख) सूती वस्त्रों के निर्यातों के मूल्य में वृद्धि ज्यादातर अधिक ऊंची इकाई मूल्य प्राप्ति और व्यापार को मेड-अप्स तथा परिधानों जैसी बढ़े हुये मूल्य वाली मदों की ओर मोड़ने के कारण हुई है ।

(ग) जी नहीं ।

फिल्मों पर उत्पादशुल्क

8417. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की 'मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन' (चलचित्र संघ) ने अपना यह डर व्यक्त किया है कि 'रि-प्रिंट' पर कर लगाये जाने से बहुत से बंगला फिल्म निर्माण एककों के लिये फिल्म क्षेत्र में रहना असम्भव हो जाएगा ;

(ख) क्या इसका वितरकों तथा प्रदर्शकों पर भी समान प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पश्चिम बंगाल में केवल हिन्दी फिल्में ही दिखाई जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार कर रही है कि बंगाली फिल्म निर्माताओं को फिल्म मण्डी से बाहर आने को बाध्य न होना पड़े और कि उन्हें आवश्यक सहायता दी जाती रहे ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). रिप्रिंटों पर कर के कारण, विशेषतया वित्त मंत्री द्वारा 30 अप्रैल, 1975 को वित्त विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करते समय घोषित रियायतों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में वितरकों तथा प्रदर्शकों पर ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है जिससे हिन्दी की फिल्मों को कोई विशेष लाभ होता हो, जैसी कि आशंका व्यक्त की गई है ।

पूर्वी तट पर तस्करी की कार्यवाहियां

8418. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों ने अपनी गतिविधियां पश्चिमी तट से बन्द कर पूर्वी तट पर आरम्भ कर दी हैं ;

(ख) क्या असामाजिक तत्वों द्वारा कलकत्ता बन्दरगाह तथा पूर्वी तट के निकट अन्य अज्ञात स्थलों के अब तस्करी के लिये उपयोग किया जा रहा है और उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं ; और

(ग) पूर्वी तट पर इस खतरे को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार ने तस्करों की गतिविधियों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नोट नहीं किया है कि वे पश्चिमी तट से हट कर पूर्वी तट पर सक्रिय हो गई हैं ।

(ख) पोत के कर्मचारियों द्वारा मछेरों को सामान बेचे जाने तथा शराब, सिगरेट, ट्रांजिस्टर रेडियो आदि जैसी चीजों को मामूली मात्रा में उतारे जाने के सम्बन्ध में यदा-कदा रिपोर्टें मिलती रहती हैं । लेकिन इन गतिविधियों में वृद्धि होने का कोई प्रमाण नहीं हैं ।

(ग) स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है और गश्त बढ़ा कर, जल-पोतों की खोजबीन करके तथा नाजुक क्षेत्रों में छापे मार कर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है ।

पटसन के निर्यात में गिरावट

8419. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री राम हेडाऊ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों को निर्यात क्रयादेशों में कमी हो जाने के कारण भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष निर्यात क्रयादेश में कितने प्रतिशत कमी हुई है ; और

(ग) इन मिलों के पटसन के निर्यात क्रयादेशों को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) देश की पटसन मिलों को वित्तीय कठिनाई उठानी पड़ रही है जिसका मुख्य कारण निर्यात आर्डरों में विशेषत: कालीन अस्तर और हेशियन के आर्डरों की कमी होना है ।

(ख) जनवरी से मार्च, 1975 में पटसन माल को जो निर्यात संविदाएं हुई वे वर्ष 1974 की उसी अवधि के मुकाबले लगभग 54 प्रतिशत कम हैं ।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले से दिये जा रहे 6 सप्ताह के उत्पादन के स्थान पर 9 सप्ताह के उत्पादन के बराबर निर्यात के लिये तैयार माल पर ऋण प्राधिकृत करते हुए उद्योग को अस्थायी राहत दी है । सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा में पटसन के माल की मांग की गहराई से अध्ययन करने के लिये एक उच्चस्तरीय दल भेजा था और दल के निष्कर्षों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है । सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि पटसन उद्योग को अन्य क्या राहत दी जा सकती है ।

निर्यात संवर्धन के लिये निगमें

8420. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्धन के लिये कितने निगम हैं ; और

(ख) इन निगमों के गत तीन वर्षों के, वर्षवार क्रियाकलापों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) नौ

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9507/75]

फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के मध्य पूर्व देशों की यात्रा करने वाले प्रतिनिधि मंडल से प्राप्त ज्ञापन

8421. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधि मंडल ने मध्य पूर्व देशों की यात्रा के पश्चात् उक्त देशों में निर्यात सम्भावनाओं के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय को कोई ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन-कौन थे और उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पश्चिम एशियायी देशों को फैडेरेशन आफ इंडियन चम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित प्रतिनिधि मंडल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर 26 अप्रैल, 1975 को एक अन्त:मंत्रालय बैठक में विचार किया गया था और आगे कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण

पश्चिम एशियायी देशों की फैडेरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि मंडल में निम्नांकित व्यक्ति शामिल थे :—

1. के० के० बिड़ला—अध्यक्ष फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज—प्रमुख ।
2. श्री प्रताप भोगी लाल, अध्यक्ष, श्रीराम मिल्स लि०, बम्बई ।
3. श्री डी० जयवर्धन वेलु, प्रवन्ध निदेशक, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, लि०, कोयम्बटूर ।
4. श्री डी० एन० पटौदिया, निदेशक, हिन्दुस्तान डीलर्स, लि०, नई दिल्ली ।
5. श्री अमीरअली रहीमतुल्ला, उपाध्यक्ष, अब्दुल्ला हाजी रहीमतुल्ला एण्ड सन्स प्रा० ल०, हैदराबाद (डिवीजन बल, शारिकाह बिल— हिन्दिया बख अरैबिया, नई दिल्ली) ।
6. श्री के० बी० श्री निवासन, निदेशक स्टेण्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि०, मद्रास ।
7. डा० रामगोपाल अग्रवाल, सचिव (आर्थिक) फडेरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली ।

प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट में पश्चिमी एशियायी देशों के साथ भारतीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने की सिफारिशें की गई हैं। अन्य बातों के साथ साथ वे सिफारिशें इनके बारे में हैं :–

1. खाड़ी आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करना।
2. खाड़ी के क्षेत्र के लिये आर्थिक तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिये एक महाआयुक्त की नियुक्ति करना।
3. खाड़ी के देशों तथा भारत में संयुक्त उधम स्थापित करना।
4. भारतीय फर्मों को इन देशों के लिये निर्यात करने तथा उनमे परियोजनायें आरम्भ करने में भारतीय फर्मों की सहायता करना।
5. इन देशों की परियोजनाओं आदि के लिये उन्हें मानव-शक्ति सप्लाई करना।
6. व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों को भारत आने का निमंत्रण देना।
7. प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से प्रचार।
8. पोतलदान सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना।
9. इस क्षेत्र में भारतीय बैंकों की शाखायें खोलना।

Setting up of branches of nationalised banks in every Police Station of each District

†8422. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to set up branches of the nationalised banks in every Police Station of each district;

(b) if so, the branches of the aforesaid banks opened in various Police Stations in Patna District, the Capital of Bihar;

(c) the annual amount of loans advanced by each bank to farmers and other weaker sections of Society during the last three years; and

(d) the action taken by Government to speed up the pace of advancing loans?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) to (d). Banks, in all the States and particularly in an underbanked State like Bihar, are encouraged to open branches at rural and semi-urban centres possessing certain minimum infrastructural facilities, such as existence of all weather roads, transport facilities, post-offices, telegraph/telephone offices, police stations. As at the end of December, 1974, there were 72 offices of Public Sector Banks, including the 14 Nationalised Banks, operating in Patna District of Bihar, of which 31 were located at rural and semi-urban centres.

As part of the accepted policy, public sector banks are endeavouring to meet the credit needs of small borrowers in the priority sectors such as Agriculture, Road Transport and Small Scale Industry. Towards this end, they have evolved special credit schemes, simplified forms and procedures and relaxed their security norms. For increasing coverage of farming community, schemes of adopting

villages, Primary Agricultural Credit Societies, Farmers' Service Societies etc., are being implemented. Banks are also actively associating themselves with implementation of employment promotion programmes. For extending assistance to the weaker of the weak in their productive endeavours, public sector banks are also implementing the schemes of Differential Rate of Interest in selected backward and SFDA/MFAL Districts. As a result of all these efforts, the priority sector advances of public sector banks in Bihar State have increased from Rs. 25.77 crores as at the end of June 1972 to Rs. 46.91 crores as at the end of June, 1974.

Data on Priority sector advances of public sector banks are not compiled district-wise. Sectoral distribution of the advances of all scheduled commercial banks. however, is now available district-wise under the new statistical reporting system. The available data relating to end December 1972 and 1973 for Patna District are set out in the Annexure.

Annexure referred to in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 8422 answered on 2nd May, 1975

The Scheduled Commercial Banks' Advances to Agriculture, Retail Trade, Transport and Services and Differential Interest Rates Advances, etc. in Patna District

(*Amount in Thousands of Rs.*)

	As on the last Friday of	
	December, 1972*	December, 1973
1. Agriculture and alied activities o which:	19486	37704
(a) Direct Finance . . .	7797	23534
(b) Indirect Finance . . .	11412	13728
(c) Allied Activities . . .	277	442
2. Transport, storage and communication .	10577	11687
3. Reta Retail Trade.	14617	17988
4. Personal and professional services .	3245	3803
(a) Professional services	688	623
(b) Artisans and craftsmen . . .	188	108
(c) Other services	2369	3072
5. Differential Interest Rate Scheme . .	35	446
6. Small—Scale Industries . .	49546	32272
TOTAL BANK CREDIT .	203325	255951

*Includes data for Nalanda which has since become a separate district consequent on the bifurcation of Patna district. Data for Patna district excluding Nalanda relating to end—December, 1973 are not separately available.

Note:—Data are based on Basic Statistical Returns and because of definitional changes are not comparable with the data compiled by public sector banks.

आल इण्डिया इलाहाबाद बैंक एम्पलाइज कोआर्डिनेशन कमेटी, पटना के सम्मेलन में किये गये निर्णय

8423. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया इलाहाबाद बैंक एम्पलाइज कोआर्डिनेशनल कमेटी का दसवां द्विवार्षिक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल, 1975 तक पटना में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन समस्याओं पर चर्चा की गई और उन पर क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सूचना मिली है कि आल इण्डिया इलाहाबाद बैंक एम्प्लाइज कोआर्डिनेशन कमेटी का दसवां द्विवार्षिक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल, 1975 तक पटना में हुआ था ।

(ख) और (ग) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि इस सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या क्या निर्णय किये गये थे ।

भारत पर्यटन विकास निगम के बारे में विशेष लेखा परीक्षा पार्टी का प्रतिवेदन

8424. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **पर्यटन और नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-पर्यटन विकास निगम के कार्यकरण की पूरी जांच करने के लिए वर्ष 1972–73 में महालेखापाल कार्यालय से 'एक विशेष लेखा परीक्षा दल' भेजा था ।

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष लेखा परीक्षा दल ने 'भारत पर्यटन विकास निगमकी समीक्षा' के बारे में 1973–74 में एक प्रतिवेदन तैयार किया जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों, विशेष रूप से अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों द्वारा सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग जैसी गम्भीर आपत्तियां लगाई थीं ;

(ग) प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या थे ; और

(घ) क्या सरकार इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के कार्य-चालन की विस्तृत जांच करने के लिए 1972–73 में सरकार ने महालेखापाल के कार्यालय से कोई विशिष्ट लेखापरीक्षा दल नहीं भेजा था । नियंत्रक और महा-

लेखा परीक्षक व्यापक मूल्यांकन तैयार करने के लिए प्रति वर्ष कुछ उद्यमों का चयन करता है। तदनुसार लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा समीक्षा के लिये 1973–74 के दौरान चुने गये उद्यमों में यह निगम भी एक था। समीक्षा रिपोर्ट, जो कि तैयार की जा रही है, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, केन्द्र सरकार (वाणिज्यिक) की रिपोर्ट में सम्मिलित की जाएगी तथा संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी।

कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

8425. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में 20 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान सैनीटरी वेयर एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरगढ़, सीमानी-पिलकिंगटन प्राइवेट लिमिटेड तथा कलकत्ते के सीमानी ब्रादर्स द्वारा नियंत्रित सोमानी सिदामाइन्स तथा अन्य कम्पनियों के प्रबन्धकों और श्री एच० एल० सोमानी तथा इन कम्पनियों के अन्य निदेशकों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा तथा सीमा शुल्क विनियमों के उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतों के बारे में जांच कार्यवाही पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन जांच कार्यवाहियों के क्या परिणाम निकले तथा भारत सरकार द्वारा दोषी पार्टियों को सजा देने के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

फिल्मों पर उत्पाद शुल्क

8426. **श्री डी० बी० चंद्र गौडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फिल्म वितरक संगठन ने केन्द्र सरकार से नये फिल्म प्रिन्टों पर उत्पादन शुल्क न बढ़ाने तथा पुराने फिल्म प्रिन्टों को शुल्क मुक्त करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या इसने यह भी अनुरोध किया है कि 'आरबू कलर' तथा 'गेवा कलर' फिल्मों के प्रमाणीकृत कच्ची सामग्री (स्टेण्डर्ड रा स्टाक) का आयात बन्द कर दिया जाये तथा सभी फिल्में 'कोडक फिल्म' पर बनाई जायें; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उद्भासित चल चित्रों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में कुछ रियायतें देने के सम्बन्ध में सरकार 30–4–1975 को घोषणा कर चुकी है। जहां तक प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित प्रार्थना का सम्बन्ध है, चूंकि यह मामला वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित है इसलिये अखिल भारतीय फल्म वितरक संघ से प्राप्त अभ्यावेदन की एक प्रति उस मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

राज्यों में पर्यटन विकास निगमें

8427. **श्री था० किरुतिनन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों ने इस समय अपने पर्यटन विकास निगम स्थापित कर रखे हैं ?

पर्यटन और और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, केरल, कर्णाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में पर्यटन विकास निगमों की स्थापना की जा चुकी हैं । राजस्थान में, एक होटल निगम स्थापित किया जा चुका है ।

कयाथार में हवाई अड्डे की स्थापना

8428. **श्री था० किरुतिनन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने ऐतिहासिक स्थल कयाथार में जहां पर कत्ता बोम्मन ने दक्षिण में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का सामना किया था, एक नये हवाई अड्डे की स्थापना करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने महान स्वतन्त्रता सेनानी कत्ता बोम्मन की स्मृति में एक किला बनाया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) से (घ) : कयाथार में पहले से ही वायु सेना का एक हवाई अड्डा है जो प्रयोग में नहीं आ रहा है परन्तु फिलहाल इसका विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । हाल में तमिलनाडु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है । इस प्रश्न के भाग (ख), में मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

तमिलनाडु में लघु उद्योगों के विकास के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर की गई धनराशि

8429. **श्री था० किरुतिनन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में लघु उद्योगों के विकास के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ख) तत्सम्बन्धी आंकड़ों का बैंक-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऋण की कितनी राशि वसूल हुई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तमिलनाडु सरकारी क्षेत्र

के बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि सम्बन्धी स्थिति निम्नलिखित है :—

(राशि लाख रुपयों में)
(अन्तिम शुक्रवार को)

बैंक समूह के नाम	जून 1972	जून 1973	जून 1974
1. भारतीय स्टेट बैंक समूह .	2809	3445	4503
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक .	3215	3837	4955
3. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक .	6114	7282	9458

आंकड़े अन्तिम हैं

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन जिलेवार नहीं किया जाता। तथापि, नई सांख्यिकी सूचना प्रणाली के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के क्षेत्रवार वितरण के समग्र आंकड़े अब जिलेवार संकलित किये जा रहे हैं। दिसम्बर, 1972 और 1973 के अन्तिम शुक्रवार को तमिलनाडु के जिलों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं।

(ग) छोटे पैमाने के उद्योगों की कार्यचाल पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दिये गये वाणिज्यिक बैंकों के ऋण सामान्यतः नकद-ऋण व्यवस्था के रूप में होते हैं। ऋणकर्त्ता मंजूर सीमा में ऋण लेते हैं और ऋणकर्त्ता की नकद ऋण की आवश्यकता के अनुसार बकाया ऋण की राशि समय समय पर कम ज्यादा होती रहती है।

विवरण

तामिलनाडु में छोटे पैमाने के उद्योगों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि

(राशि लाख रुपयों में)

जिला	निम्नलिखित के अन्त में	
	दिसम्बर, 1972	दिसम्बर, 1973
चिंगलपुट .	955	1151
कोयम्बतूर	1318	1537
धर्मपुरी .	10	13
कन्याकुमारी	37	65

(लाख रुपयों में)

	निम्नलिखित के अन्त में	
	दिसम्बर, 1972	दिसम्बर, 1973
मद्रास .	2937	3543
मदुरै . .	401	545
नील गिरी . . .	42	75
उत्तरी अर्काट .	991	817
पुडुकोट्टाई	—	23
रामनाथपुरम	427	501
सलेम	541	704
दक्षिण अर्काट . .	75	90
तन्जाबूर . .	74	113
तिरुचिरापल्ली .	423	517
तिरुनेलवेली .	272	321
जोड़	8503	10015

(आंकड़े मूल सांख्यिकी विवरणियों पर आधारित हैं और पारिभाषिक परिवर्तनों के कारण सरकारी क्षेत्र द्वारा संकलित आंकड़ों के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती है।)

लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से 'ओवर-ड्राफ्ट' की सुविधायें लेना

8430. **श्री था० किरुतिनन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े तथा मध्यम दर्जे के अनेक उद्योग भारत सरकार के आदेशों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं पा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं और किस-किस बैंक ने किस-किस उद्योग को किस सीमा तक ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी है ; और

(ग) उक्त कार्यवाही का यदि कोई आर्थिक प्रभाव पड़ा तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित, वाणिज्यिक बैंक बड़े व मध्यम दर्जे के उद्योगों सहित सभी उत्पादक गतिविधियों के लिये ऋण-विस्तार करते हैं। वह रूप जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के ऋणों का विस्तार होता है अनेक तत्वों द्वारा निर्धारित होता है जैसे कि गतिविधि का आकार और प्रकार, ऋण आवश्यकता का स्वरूप और अवधि तथा ऋणकर्ताओं की रोकड़ी (लिक्विडिटी) आवश्यकतायें। ऋण के अनेक प्रकारों में से ओवर ड्राफ्ट सुविधा भी ऋण का एक प्रकार है। रिजर्व बैंक द्वारा समग्रतः सभी अनुसूचित वाणिज्यिक

रिजर्व बैंक द्वारा समग्रत : सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बारे में किस्म और पेशे के अनुसार बकाया ऋणों के वितरण के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। दिसम्बर, 1973 के अन्त तक के ओवरड्राफ्टों की बकाया राशि की पेशेवार स्थिति के ताजा उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। [देखिए संख्या एल० टी०--9548/75]

Export of Products of Medicinal Herbs Plants

8431. Shri Ishwar Chaudhary: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the total amount of foreign exchange earned by export of products of medicinal herb plants in 1974 and 1975 to date;

(b) whether Government give any assistance for the export of the plant products particularly that of herbs; and

(c) if so, the nature thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Export of medicinal plants, herbs and roots during 1973-74 and 1974-75 have been as follows:

	(Value in Rs. 000)
1973-74 . .	21959
1974-75 (April—Nov.) . .	25072

(b) and (c). Medicinal herbs otherwise known as crude drugs are included in the Registered Exporters Policy and is eligible for import replenishment at 1 per cent which takes care of the packing material used for the export of such materials.

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव के लिये विश्व बैंक से ऋण

8432. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव को दिया गया ऋण फूलपुर उर्वरक परियोजना के लिए उपयोग में लाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). फूलपुर परियोजना के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव को ऋण देने के लिए विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस ऋण पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा और इसे 5 वर्ष की रियायती अवधि के साथ 16 वर्षों में चुकाना होगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बम्बई में एक कैमीकल एण्ड इंजीनियरिंग फर्म पर छापा

8433. **श्री मधु दंडवते** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस सूचना के आधार पर कि बम्बई की एक कैमीकल एण्ड इंजीनियरिंग फर्म ने 10 लाख रुपए के आयातित कच्चे माल का दुरुपयोग किया है, उस फर्म के कार्यालय पर छापा मारा;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्म का नाम क्या हैं ; और

(ग) उस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग). जी हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच चार लाइसेंसों के अन्तर्गत 325655 रु० के कुल मूल्य के आयातित माल के संबंध में है। चूंकि मामलों की जांच अभी चल रही है, अत: इस अवस्था में पूर्ण तथ्यों को बताना जांच के हित में नहीं है। जांच पूरी होने पर आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निष्कर्ष

8434. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम में उच्च स्तर पर ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परामर्श हाल ही में प्राप्त हुआ है। इस पर विचार किया जा रहा है।

भारत द्वारा विदेशों में माल की खरीद तथा बिक्री में भाग लेना

8435. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों से माल खरीद कर और इसे विदेशों में बेचकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग ले रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). भारत द्वारा इस प्रकार का कोई उल्लेखनीय व्यापार नहीं किया जा रहा है। तथापि भारत के कुल निर्यातों के आंकड़ों में पुनर्निर्यातों के आंकड़े भी शामिल हैं।

सामूहिक (ग्रुप) बीमा योजना

8436. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 कर्मचारियों से कम संख्या वाले प्रतिष्ठानों के लिए कोई सामूहिक बीमा योजना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 25 कर्मचारियों से कम के संस्थापनों के लिए सामूहिक बीमा योजना है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों की कार्य अवधि बढ़ाया जाना

8437. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रत्येक प्रबंध निदेशक की कार्य अवधि बढ़ाने की शर्तें क्या हैं और कितनी अवधि तक कार्यावधि बढ़ायी जाती है ; और

(ख) भिन्न भिन्न प्रबंध निदेशकों की कार्य अवधि बढ़ाने के संबंध में भिन्नभिन्न शर्तें और अवधि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की कस्टोडियन या प्रबंध निदेशक के रूप में उस बैंक के मुख्य कार्यकारी के पद पर थम नियुक्ति की तारीख और उसके वर्तमान कार्यकाल की अवधि नीचे लिखे अनुसार है :—

राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम और उसका वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	कालम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कालम (1) में निर्दिष्ट बैंक के कस्टोडियन/अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में प्रथम नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की अवधि
(1)	(2)	(3)
सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया श्री पी० एफ गुट्टा	1-5-1975	1-5-75 से 30-4-79 तक
बैंक आफ इंडिया श्री जे० एन० सक्सेना	1-10-1970	1-10-74 से 30-9-75 तक
पंजाब नेशनल बैंक श्री पी० एल० टण्डन	1-8-1972	11-12-72 से 31-7-75 तक
बैंक आफ बड़ौदा श्री आर० सी० साहा	1-5-1975	1-5-75 से 30-4-76 तक
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक श्री वी० आर० देसाई	1-9-1971	1-5-75 से 31-3-78 तक
कैनारा बैंक श्री सी० ई० कामथ	30-9-1973	3-9-73 से 2-9-76 तक
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया श्री एम० एन० शर्मा	1-8-1973	1-8-73 से 31-7-76 तक
देना बैंक श्री आर० ए० गुलमुहम्मद	10-7-1970	10-7-74 से 22-7-76 तक
सिण्डीकेट बैंक श्री के० के० पै	28-2-1970	1-5-1975 से 31-3-78 तक
यूनियन बैंक बैंक आफ इंडिया श्री रघुराज	1-5-1975	1-5-75 से 30-4-76 तक

(1)	(2)	(3)	
श्री रघुराज			
इलाहाबाद बैंक	1-11-1973	1-11-1973	से
श्री एम० डी० वर्मा		31-10-1976	तक
इण्डियन बैंक	19-7-1969	1-5-1975	से
श्री जी० लक्ष्मीनारायणन		31-3-76	तक
बैंक आफ महाराष्ट्र	1-10-1973	1-10-1973	से
श्री वी० एम० भिड़े		30-9-1976	तक
इण्डियन ओवरसीज बैंक	1-10-1973	1-10-1973	से
श्री ए० एम० कांधीरेशन		30-9-1976	तक

(ख) : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण व्यवस्थायें) योजना 1970 की धारा 8 (1) के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की अवधि, रिजर्व बैंक के परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। जिस प्रबंध निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो गया हो पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि तय करते समय, सभी सम्बद्ध तत्वों जैसे उसकी आयु, अनुभव और सेवा-अवधि, संबंधित बैंक में उसकी स्थिति आदि पर गौर किया जाता है।

फिल्मों पर उत्पाद शुल्क

8438. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फिल्म वितरक संगठन ने वित्त मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें उनसे नए फिल्म प्रिंटों पर उत्पादशुल्क न बढ़ाने तथा पुराने प्रिंटों को उत्पादशुल्क से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने पूर्व निश्चित व्यस्तता तथा अत्यधिक आवश्यक कार्यों में संलग्नता के आधार पर इस संगठन के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इंकार कर दिया था;

(ग) क्या इस निर्णय से नये शुल्कों से उद्योग को भारी आघात पहुंचेगा क्योंकि भारी उत्पादशुल्क के कारण वितरक-गण पुरानी एवम् नयी फिल्मों के नये प्रिंट नहीं बनवा सकेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखार्जी) : (क) तथा (ख). जी, हां।

(ग) तथा (घ) : नये शुल्कों से उद्योग और वितरकों को कोई धक्का लगने की संभावना नहीं ह जैसा कि वित्त विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा 30 अप्रैल, 1975 को घोषित रियायतों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए समझा गया था ।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

8439. **श्री शशि भूषण:** क्या वित्त मंत्री विदेशी कम्पनियों को सी०ओ०बी० लाइसेंस देने के बारे में 21 फ़रवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन कम्पनियों को सी०ओ०बी० लाइसेंस देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि वह कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों का पालन करेगी; और

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन-पत्र विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम, की धारा 29(2) के अधीन अब तक अस्वीकृत किये जा चुके हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। रिजर्व बैंक द्वारा उन कम्पनियों के नाम जारी की गयी मंजूरियों में, जिनकी सूची 21 फ़रवरी, 1975 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 752 के भाग (क) के उत्तर में प्रस्तुत की गयी थी, इन कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2)(क) के उपबन्धों तथा उसके आधीन जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित कर लिया गया है।

(ख) अभी तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2)(क) के आधीन कोई प्रार्थना-पत्र रद्द नहीं किया गया है।

लिंट और बिनौले पर उत्पादनशुल्क

8440. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिंडीगल काटन मर्चेन्ट एसोसिएशन ने मंत्री महोदय को अभ्यावेदन भेजकर यह मांग की है कि बजट प्रस्तावों में लिन्ट और बिनौले पर लगाये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क को वापिस लिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) 18 मार्च, 1975 को डिंडीगुल काटन व्यापारी संघ द्वारा पारित एक प्रस्ताव में यह अनुरोध किया गया है कि लिंट कपास और बिनौले पर से उत्पादन शुल्क वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि कपास की ओटाई को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के अन्तर्गत निर्माण नहीं माना जा सकता और कर के बने रहने से कुछ प्रतिकूल प्रभावों को भी बताया गया है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पहले ही आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया जा चुका है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत ओटाई को निर्माण प्रक्रिया नहीं माना जा सकता और तदनुसार, ओटाई फैक्टरियों में उत्पादित ओटी हुई कपास, बिनौले और अपशिष्ट कपास केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ़ की मद 68 के अधीन एक प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगने योग्य नहीं है।

पश्चिम बंगाल के पावरलूम संगठन को निर्यात-राहत

8442. **श्री टुना उराव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद् सदस्य ने पश्चिम बंगाल के छोटे पावरलूम संगठन (स्माल पावरलूम ऐसोसिएशन) के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है जिसमें तुरन्त ही निर्यात-राहत देने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन विचाराधीन है।

तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये अलग कानून

8443. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष रूप से तस्करों तथा तस्करी संबंधी गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अलग कानून बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखार्जी) : (क) तथा (ख). विभिन्न आर्थिक अपराधों से निपटने के निमित्त अधिक कारगर उपायों के लिये कानून बनाने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

भंडारी इंडस्ट्रीज एण्ड मैट्रो इंजीनियरिंग को स्टेनलेस स्टील के आयात लाइसेंस

8444. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडारी इण्डस्ट्रीज एण्ड मेट्रो इंजीनियरिंग के बन्द मामले पुनः खोले गये थे और उन्हें वर्ष 1971 और 1972 में स्टेनलैस स्टील के आयात लाइसेंस दिये गये थे, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या लाइसेंस देने से पूर्व फ़र्मों की पूर्व खपत का मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से नहीं किया गया है;

(ग) क्या आयातित सामग्री के उपयोग का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो कब; और

(घ) क्या इन उद्योगों को कोई और लाइसेंस प्राधिकरण पत्र तथा सी०सी०पी० दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

बाबा इंडस्ट्रीज, कडप्पा को स्टेनलैस स्टील के आयात लाइसेंस देना

8445. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनैरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबा इंडस्ट्रीज़, कडप्पा को वर्ष 1971 में स्टेनलैस स्टील के आयात लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) क्या यह मामला लम्बे समय से बन्द पड़ा था, यदि हां, तो इसको पुनः खोलने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आयात निर्यात के महानियंत्रक ने लाइसेंस दिये जाने का प्रारम्भ से अन्त तक विरोध किया था?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इस्पात की मदों के, जिसमें स्टेनलैस स्टील भी शामिल है, आयात के लिए अप्रैल, 1971 में मैसर्ज बाबा इंडस्ट्रीज़, कडप्पा को एक लाइसेंस दिया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) लाइसेंस जारी करने का विनिश्चय इस मामले के सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया था।

सी शोर ट्रेडर्स को स्टेनलैस स्टील के आयात लाइसेंस

8446. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी शोर ट्रेडर को वर्ष 1971 और 1972 में 18 लाख रुपये के 'स्टेनलैस' स्टील के आयात लाइसेंस राष्ट्रीय आधार पर दिये गये थे;

(ख) क्या फ़र्म की पूर्व खपत का मूल्यांकन किया गया था, यदि हां, तो किस प्रकार और उक्त मूल्यांकन के क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या घड़ियों के पुर्जों के आयात के आवेदन पत्र को स्टेनलैस स्टील के आयात के आवेदन-पत्र में परिवर्तित किया गया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आयात निर्यात के महानियंत्रक ने आरम्भ से अन्त तक लाइसेंस देने की अनुमति दी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, लाइसेंसिंग अवधि 1967–68 तथा 1968–69 के लिए उनके दावों के आधार पर इस फर्म को 1972 में स्टेनलैस स्टील के लिए 603598 रू० के रिलीज आर्डर जारी किये गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। परिवर्तन की अनुमति निर्यात दायित्व के अध्यधीन दी गई थी।

(घ) मामले क सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद रिलीज आर्डर जारी किये गये थे।

एवरो विमान बेड़े को न उड़ाने की मांग

8447 **श्री हरी सिंह :**

श्री डी० बी० चद्रगौड़ा :

श्री राजदेव सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन कर्मशियल पाइलेट एसोसियेशन ने सरकार से यह मांग की है कि उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इंडियन एयरलाइंस के एवरो विमान बेड़े की पूरी जांच करने के लिये उन्हें न उड़ाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी, हां। एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप, जिसमें 7 मार्च, 1975 को राजकोट में इंडियन एयरलाइंस का एक एवरो विमान अंतर्ग्रस्त हुआ था, भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संगठन (आई०सी०पी०ए०) ने यह मांग की है कि समस्त एवरो विमानों की जांच होने तथा उनको परिचालन के लिए सुरक्षित प्रमाणीकृत किये जाने तक कारपोरेशन के एवरो विमानों के विमान-बेड़े को भूमिस्थ कर दिया जाये।

इंडियन एयरलाइंस के एवरो विमानों के विमान-बेड़े का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया गया था परन्तु कोई दोष नहीं पाया गया।

विदेशी पर्यटकों की कठिनाइयां

8448. श्री बालकृष्ण वनकन्ना नायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी पर्यटकों की प्रमुख कठिनाइयों के मूल्यांकन के लिये कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख कठिनाइयां क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी यात्राएं स्मरणीय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग में एक शिकायत सेल है जो भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की शिकायतों पर कार्यवाही करता है। इसके अलावा विभाग द्वारा समय समय पर विदेशी पर्यटकों के बारे में किये गये सर्वेक्षणों से उनकी भारत यात्रा के दौरान उनके सामने आयी प्रतिकूल परिस्थितियों पर भी प्रकाश पड़ता है।

(ख) और (ग). पर्यटकों द्वारा बतायी गई मुख्य शिकायतों का सम्बन्ध साधारणतया देश में प्रवेश और वहां से प्रस्थान से संबंधित औपचारिकताओं से है, और कुछ सीमा तक यातायात, आवास और शापिंग आदि विषयक कठिनाइयों से। इन सभी शिकायतों को यथासंभव उपचारी कार्यवाही के लिये संबंधित अभिकरणों के साथ उठाया जाता है।

जीवन बीमा निगम द्वारा अधिक बोनस का भुगतान

8449. श्री नरेन्द्र कुमार सान्धी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी–धारियों को अधिक बोनस का भुगतान करने अथवा प्रीमियम की दरों में कमी करने के संबंध में सरकार ने इस बीच निर्णय कर लिया है जो कि उसके विचाराधीन था; और

(ख) उपरोक्त (क) भाग के बारे में क्या निर्णय किया गया है और प्रशासनिक व्ययों में कमी करने हेतु मितव्ययिता—उपाय करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशील रोहतगी) : (क) तथा (ख) : बोनस, द्विवार्षिक बीमांकीय मूल्यांकनों द्वारा दिखायी गई बचत पर निर्भर करता है और भावी बोनस भविष्य में किये जाने वाले मूल्यांकनों में दिखायी जाने वाली बचत पर निर्भर करेगा।

जीवन बीमा निगम ने बीमे की कुछ अलाभ योजनाओं के अन्तर्गत 1 फरवरी, 1970 से तथा कुछ अन्य अलाप योजनाओं के अन्तर्गत 1 मार्च, 1971 से प्रीमियम दरें घटा दी थी। एक वर्षीय नवीनीकरण योग्य सामूहिक सावधि बीमा योजना तथा लेबल सामूहिक सावधि बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम दरें 1 जून, 1971 से कम कर दी गई थी। वार्षिकी योजना पर लागू होने वाली दरों का 1–3–1972 से उदारीकरण किया गया है। ये घटौ–

तियां विस्तृत समीक्षा के बाद की गई थी। समीक्षा से पता चला कि भविष्य में किये जाने वाले व्यय की अनिश्चित प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, सलाभ योजनाओं के अन्तर्गत प्रीमियम दरों में किसी प्रकार के संशोधन का विचार तब तक के लिए स्थगित रखना वांछनीय होगा जब तक व्यय स्थिर नहीं हो जाता।

2. जीवन बीमा निगम अपने व्यय को उचित सीमा के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता के प्रति सचेत है और उसने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किये हैं।

(i) प्रशासनिक कर्मचारियों की संवर्ग संस्था को 1 अप्रैल, 1974 की स्थिति पर अवरोधित कर दिया गया है।

(ii) कार्यप्रणाली को सरल बनाने के लिए विस्तृत प्रयास किया गया है जिस से कार्यालय अपने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किये बिना, बढ़े हुए कार्य को पूरा कर सकें।

(iii) खर्चों पर बजट सम्बन्धी नियंत्रण कठोर बना दिया गया है।

Sales tax system in Delhi

†8450. **Shri Janeshwar Mishra:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether sales tax system in Delhi differs from that in other States;

(b) whether great confusion is created because of the last point sales tax system applicable in Delhi; and

(c) whether neighbouring States are also greatly inconvenienced on this account?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Levy of tax on sales or purchases of goods taking place within a State is a State subject of taxation vide Entry 54 of List II of the Seventh Schedule of the Constitution. As such, different States have adopted different systems of sales taxation, depending upon their local requirements.

(b) and (c). In Delhi, sales tax is generally levied at the last point of sale to the consumer. However, certain goods are also subjected to tax at the first point of sale by the manufacturer/importer in Delhi. A substantially similar system of taxation is obtaining in the adjoining States of Punjab and Haryana. Government are not aware of any great inconvenience having caused to the neighbouring States on this account.

Cases pending with Collector of Customs and Excise, Nagpur

8451. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4369 on the 21st March, 1975 regarding cases pending with Collector of Customs and Excise, Nagpur and state:

(a) the number of cases in which decisions to impose fines on firms and persons as also to confiscate the goods were taken by customs and excise duty

office, Nagpur during the period from 1972 to March, 1973; and

(b) the number of cases in which persons were let off without any fine and punishment and the time taken in deciding these cases?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Payment of Excise Duty by M/s Kohinoor Mills Limited.

8452. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4310 on the 21st March, 1975 regarding payment of Central Sales tax and Excise Duty by M/s Kohinoor Mills Limited, Bombay and State;

(a) the amount of excise duty paid by M/s. Kohinoor Mills Limited, Bombay during 1972-73, 1973-74 and 1974-75; and

(b) whether the excise duty was paid by them in time every year?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The amount of excise duty paid by M/s Kohinoor Mills Limited Bombay during 1972-73, 1973-74 and 1974-75 is as under:—

Year	Amount of Excise duty paid
	Rs.
1972-73	1.20 crores
1973-74	1.28 crores
1974-75	1.35 crores

(b) Yes, Sir.

Sale proceeds of Appollo Hotel, Colaba Bombay

8453. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2713 on the 7th March, 1975 regarding sale proceeds of Appollo Hotel, Colaba, Bombay and state:

(a) whether all the requisite information including sale-proceeds of Appollo Hotel, Colaba, Bombay has since been collected;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) if not, the difficulties being experienced by Government in collecting this information as also further time to be taken by Government in making available the figures in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c). The Department of Tourism does not call for

information about sale-proceeds etc. from hotels which are not on its approved list. Appollo Hotel is not an approved hotel of the Department of Tourism.

Sunita Chit Fund Private Ltd. Indore

8454. **Shri Hukam Chand Machwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of branches of the Sunita Chit Fund Private Limited, Jawahar Marg, Indore operating in various States and in the various cities of Madhya Pradesh at present and the names under which these branches are operating in different cities;

(b) the total amount invested by each of the members in these branches at present and the names of the banks in which these branches have deposited the money invested by the members;

(c) whether many applications have been made by the members of the said chit fund company for the withdrawal of the money invested by them with it but the same is not being paid to them; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) and (b). Presumably the Hon'ble Member has in mind Sunita Chit and Finance Pvt. Ltd. with its registered office at 284, Jawahar Marg, Indore. Reserve Bank of India has reported that the company has not so far submitted to it either the prescribed return or its Balance Sheet for which a further reminder to the company is being issued by the Reserve Bank. Reserve Bank has added that according to a brochure dated 1st March, 1972 issued by the company, it then had, apart from its registered office at Indore, an agency at Gujarat Samaj Building, New Road, Ujjain and that, as per the brochure, its bankers were the offices at Indore of the State Bank of Indore, Bank of India, Central Bank of India and Bank of Baroda.

(c) and (d). Reserve Bank of India has reported that it had received two complaints—one in October, 1973 and another in March, 1975, alleging that the company did not repay on demand subscriptions made under the prize chit scheme. Control over the activities of chit fund companies is mainly exercised by the State Governments a number of which (not yet the Government of Madhya Pradesh) have enacted specific legislation for the purpose. However, as the business conducted by the company appeared to the Reserve Bank to be in the nature of lottery, the Reserve Bank took up the matter with the Government of Madhya Pradesh in March, 1973. The Government of Madhya Pradesh have advised the Reserve Bank that the question of enacting a suitable legislation for regulating the activities of chit funds was under their consideratino. Transactions of subscriptions to chit schemes are in the nature of contracts between the company conducting the schemes and the individual subscribers and the affected parties have to pursue the normal remedies open to them in cases of breach of contract.

देसाई वेतन आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति

8455. **श्री एन० आर० वेकारिया :**
श्री डी० पी० जडेजा :

क्या वित्त मंत्री देसाई वेतन आयोग द्वारा गुजरात सरकार को पेश किए गए प्रतिवेदन के बारे में 21 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को क्रियान्विति संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : गुजरात की राज्य सरकार ने यात्रा भत्ता और छुट्टी से संबंधित सिफारिशों के विषय में निर्णय ले लिया है।

वेतनमानों, महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि से सबंधित सिफारिशों की जांच की जा रही है।

अहमदाबाद में होटल का निर्माण

8456. **श्री एन० आर० वेकारिया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अथवा गुजरात की राज्य सरकार ने अहमदाबाद में पर्यटक तथा सामान्य यातायात के बढ़ जाने से वहां एक होटल का निर्माण करने की कोई योजनायें बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, पंच-वर्षीय योजना में अहमदाबाद में एक 3-4 स्टार श्रेणी के 60 कमरे वाले मोटल के निर्माण के लिए 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। साधनों की उपलब्धता, सन्तोषजनक सम्भाव्यता अध्ययन और नये निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबन्ध के उठाये जाने की अवस्था में प्रायोजना के क्रियान्वयन का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

गुजरात की राज्य सरकार की फिलहाल अहमदाबाद होटल में बनाने की कोई योजना नहीं है।

गुजरात में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा छापे

8457. **श्री एन० आर० वेकारिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1974-75 में गुजरात के विभिन्न राज्यों में सीमाशुल्क अधिकारियों ने कितने छापे मारे; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) वर्ष 1974-75 में गुजरात राज्य के विभिन्न भागों में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा कुल 1005 छापे मारे गये थे।

(ख) विभागीय न्याय निर्णयों के अतिरिक्त, जहां-कहीं उचित था, इस्तगासे की कार्यवाही भी की गई हैं।

सोने की खरीद में गिरावट

8458. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत की सोने की खरीद में कमी होती गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा तत्संबंधी वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारत में गैर-सरकारी तौर पर सोना लाने पर कानूनी प्रतिबन्ध है। जहां तक सोने की सरकारी खरीद और उसके आयात का संबंध है, 1970-71 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिये जाने वाले हमारे बढ़े हुए अंशदान की सोने के रूप में अदायगी करने के लिए भारत ने विदेशों से 23 करोड़ रुपये का सोना खरीदा था। इसके अलावा, सरकार द्वारा दिये गये विशिष्ट प्राधिकारियों के आधार पर सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा न के बराबर जो सोना खरीदा और बाहर से मंगाया गया उनका ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

	कीमत लाख रुपयों में
1970-71 . . .	8.2
1971-72	3.6
1972-73	56.9

1972-73 के बाद के इन खरीदों और आयात के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की अनुमति

8459. **श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अपनी वित्तीय देनदारियों के निपटान हेतु उड़ीसा सरकार ने ऋण लेने की अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

खनिज और धातु व्यापार निगम को लौह अयस्क का जापान को निर्यात किये जाने से हानि

8460. **श्री के० लकप्पा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 में समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में लौह अयस्क के निर्यात से खनिज और धातु व्यापार निगम को कितनी हानि हुई ; और

(ख) विश्व बाजार में लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए जापान को लौह अयस्क के निर्यात मूल्य में पुनरीक्षण करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक वस्तु के निर्यात व्यापार पर लाभ तथा हानि के लेखे गंतव्य स्थान–वार नहीं रखे जाते हैं। सभी गंतव्य स्थानों को लौह अयस्क के निर्यातों पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम को 1973–74 में 2.44 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, किन्तु वर्ष 1974–75 के दौरान 4.84 करोड़ रुपये का लाभ हुआ ;

(ख) 1974–75 के दौरान कीमत में काफी वृद्धि प्राप्त हुई है जो 30 से 44 प्रतिशत तक है।

कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों के आकर्षण के लिये योजना

8461. **श्री के० लकप्पा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों को पर्यटकों के लिये आकर्षक बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग अपने विदेशों में स्थित कार्यालयों के माध्यम से भारत के लिये समग्र रूप से पर्यटन की अभिवृद्धि करता है, पृथक्–पृथक् राज्यों के लिये नहीं। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण, कर्नाटक का पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पर्यटन साहित्य में उचित प्रचार किया जाता है।

यह दृष्टि में रखते हुए कि समुद्र–तटीय पर्यटन भारत के लिए एक नई परिकल्पना है जिसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्किट अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, केन्द्रीय पर्यटन विभाग के प्रयत्न फिलहाल उन समुद्र तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकेन्द्रित किए जा रहे हैं जिनके लिए पहले से ही कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है जैसे कोवालम, गोवा तथा महाबलिपुरम।

इन स्थलों पर समुद्र-तटीय पर्यटन की पर्यटकों को आकृष्ट करने में सफलता करेंगे मूल्यांकन करने के पश्चात् ही पर्यटन विभाग समुद्र–तटीय विहार स्थलों के रूप में विकास करने के लिए नये क्षेत्रों को खोलने पर विचार कर सकता है।

कर्नाटक के पर्यटन विभाग को दी गई सहायता

8462. **श्री के० लकप्पा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वर्ष 1973 और 1974 में कर्नाटक के पर्यटन विभाग को कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) चौथी योजना के प्रारम्भ से भाग ii कीमों को समाप्त करने से राज्यों को पर्यटन के विकास के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। अतः पर्यटन स्कीमों को या तो केन्द्रीय क्षेत्र में या राज्य क्षेत्र में हाथ में लिया जा रहा है।

कर्नाटक में 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन स्कीमों पर 114.23 लाख रुपये का व्यय किया गया।

इनके अतिरिक्त, बगलौर में होटलों के निर्माण के लिये निजी उद्योगपतियों को 49 लाख रुपये की राशि के ऋण स्वीकृत किये गये।

कर्नाटक में नया हवाई अड्डा निर्मित करने का प्रस्ताव

8463. श्री के० लकप्पा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में निकट भविष्य में एक नया हवाई अड्डा निर्मित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) हुबली में एक नया हवाई अड्डा निर्माधीन है। पूरा होने पर, यह एच, एस०–748 विमानों के परिचालन के लिये उपयुक्त होगा।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

8464. **श्री अमर गुड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74 और 1974–75 में 31 मार्च, 1975 तक उपभोक्ता वस्तुओं के, जिनमें खाद्य सामग्री भी शामिल है, तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : हाल के उपलब्ध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े फरवरी, 1975 के हैं। 1973–74 के और 1974–75 के पहले ग्यारह महीनों के सामान्य सूचकांक और खाद्य वस्तुओं के सूचकांक के औसत आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

	सामान्य सूचकांक	खाद्य वस्तुयें
1973–74 . .	250	279
1974–75 (अप्रैल—फरवरी) . .	317	358

ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञों, मजिस्ट्रेटों और राजनीतिज्ञों के साथ तस्करों से संबंध

8467. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 अगस्त, 1974 के अपने प्रेस सम्मेलन में और 22 अगस्त 1974 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्यों मे श्री के० आर० गणेश ने यह बताया था कि ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञों द्वारा तस्करों का बचाव पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वे मजिस्ट्रेटों द्वारा साधारण

दण्ड देकर छोड़ दिये जाते हैं और उनका प्रभाव भी होता है और उनके राजनीतिज्ञों से सम्बन्ध भी होते हैं ।

(ख) यदि हां, तो उन विधि विशेषज्ञों, मजिस्ट्रेटों और राजनीतिज्ञों के नाम क्या हैं जिनके साथ इन तस्करों के सम्बन्ध हैं, और

(ग) क्या यह सच है कि रजनी पटेल, ए० आर० अन्तुले और स्वर्गीय मोहन कुमार मंगलम ने ऐसे व्यक्तियों का गुप्त रूप से बचाव किया था अथवा उनकी वकालात की थी जिन पर तस्करी तथा अन्य आर्थिक अपराधों के आरोप थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) वित्त मंत्राल में तत्कालीन राज्य मंत्री द्वारा 18 अगस्त, 1974 को पत्र प्रतिनिधि सम्मेलन में जारी किये गये प्रेस-पत्रक में तस्करों के साथ कथित राजनीतिक सम्बन्धों के बारे में कोई उल्लेख नहीं था । उन्होंने 22 अगस्त, 1974 की ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में वाद-विवाद के दौरान के केवल यह कहा था कि तस्कर व्यापारी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके पास सम्पत्ति तथा तत्सम्बन्धी सभी सामान उपलब्ध हैं, फिर चाहे वह सरक्षण का प्रश्न हो अथवा प्रभाव आदि का । इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह मत व्यक्त किया कि वह एक साधारण टिप्पणी थी और माननीय सदस्यों को अपनी ओर से उसका को और अर्थ नहीं लगाना चाहिये । वित्त मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि जब इन व्यक्तियों को इस्तगासे की कार्यवाही में भेजा जाना है तो उन्हें मजिस्ट्रेटों द्वारा विभिन्न कारणों से आसानी से छोड़ दिया जाता है । मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि ये लोग देश में उपलब्ध सर्वोत्तम विधिवेत्ताओं की सेवा हासिल करने की स्थिति में भी होते हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुये, राजनीतिक सम्बन्धों के नामों का प्रश्न ही नहीं उठता । जहां तक मजिस्ट्रेटों और वकीलों के नामों का सम्बन्ध है, अपेक्षित जानकारी एकत्र करने के लिये देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों के पिछले कई वर्षों के बहुत सारे रिकार्ड देखने पड़ेंगे । इसमें बहुत अधिक श्रम और समय लगेगा । तथापि यह भी उल्लेखनीय है कि मजिस्ट्रेटों द्वारा दिये गये फैसलों के सन्दर्भ में, आवश्यक समझे जाने वाले सभी मामलों में विभाग अपीलें दायर करता है ।

(ग) सरकार ऐसे व्यक्तियों का अधिवक्ता वार ब्यौरा नहीं रखती जो आर्थिक अपराधियों का बचाव करते हैं अथवा उनके कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं ।

Expenditure on Hotels in Bihar

8468. Shri Ishwar Chaudhry: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the expenditure incurred on each of the hotels opened in the Central Sector in Bihar in 1973, 1974 and 1975?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): No hotels have been opened in the Central Sector in Bihar in 1973, 1974 and so far in 1975.

बम्बई-अहमदाबाद-उदयपुर-जयपुर विमान सेवा

8469. **श्री डी० पी० जदेजा : पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई–अहमदाबाद–उदयपुर–जयपुर विमान सेवा को बन्द करने के क्या कारण हैं और

(ख) क्या सरकार का विचार इसे पुनः चालू करने का है; और यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप अपने विमान-बेड़े से वाइकाउन्ट व डकोटा विमानों की धीरे-धीरे निकाल देने तथा 18–3–1974 से 16 नगरों के लिए विमान सेवाए समाप्त कर देने व अन्य सेवाओं की आवृत्तियों में भी कमी कर देने के कारपोरेशन के निर्णय के अन्तर्गत बम्बई/अहमदाबाद/उदयपुर जयपुर विमान सेवा को भी समाप्त कर दिया गया था इन 16 नगरों में से किसी के लिये भी विमान सेवायें पुनः प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हुआ है। निकट भविष्य में बम्बई/अहमदाबाद/उदयदुर/जयपुर के लिये विमान सेवा प्रारम्भ करने की कोई सम्भावना नहीं है।

जापान में लौह अयस्क की मांग कम होना

8471. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के इस्पात उद्योंग में मन्दी आ जाने के कारण जापान में भारतीय लौह अयस्क की मांग में गिरावट आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय लौह अकस्य उद्योग के हितों का संरक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Profit earned by Indian Airlines

8472. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) **whether** Indian Airlines have earned huge profits this year;

(b) the broad details with main reasons therefor; and

(c) the action being taken by Government to maintain this profit?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) to (c) On account of the steep increase in the price of aviation fuel, particularly from March, 1974, Indian Airlines expected to incur a loss of about Rs. 16.50 crores during the financial year 1974-75. However, due to the rigorous economy and productivity measures taken by the Corporation, the financial year 1974-75 is now expected to close with a profit of about Rs. 81 lakhs. Final accounts for the year 1974-75 are in the process of compilation.

Increase in value of Rupee Abroad

8473. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there has been any increase in the value of Indian rupee abroad as a result of reduction in inflationary pressure in the country; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) and (b). All authorised transactions in foreign exchange are conducted at the official-exchange rates, based on the central rate for the rupee designated in terms of the pound sterling, which are permitted to vary within a range of 2¼ per cent either way of the central rate. Since there is no single, unified unofficial exchange market, the unofficial exchange rate of the rupee tends to fluctuate widely from one market to another and does not reflect the true strength of the currency, especially, since such transactions are few, unauthorised and fragmentary. Available information, however, suggests some appreciation of the Indian rupee in the unauthorised exchange markets which may be attributable to the anti-smuggling and anti-black marketing measures adopted by Government as part of its policy of disinflation.

इंडियन इन सीक्रेट कार्टेल टू शेयर एक्सपोर्टस" शीर्षक से समाचार

8474. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1975 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडिया इन सीक्रेट कार्टेल टु शेयर एक्सपोर्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस समाचार का खण्डन किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि भारतीय कम्पनियां ऐसेमी किसी उत्पादन संघ में शामिल हुई हैं या नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

आदिवासी क्षेत्रों में कृषि बैंक

8475. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन आदिवासी क्षेत्रों में कृषि बैंक स्थापित करने का है ? जहां समेकित क्षेत्र विकास परियोजनाएं चालू की जाएंगी ;

(ख) यदि हां, तो कृषकों को अपनी अर्थ व्यवस्था में सुधार करने में सहायता देने के लिये 1975–76 में इन बैंकों को किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये बैंक इस समय कार्य कर रहे हैं ?

वित्त मत्रालय में उप मत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जी नहीं ।

जनजाति क्षेत्रों में पृथक् कृषि बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Conversion of Handlooms into Powerlooms

8476. Shri G. C. Dixits: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government propose to convert handlooms into powerlooms as per the recommendation of the Ashoka Mehta Committee; and

(b) if so, the time by which this proposal is likely to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) and (b) Central Government have no proposal for conversion of handlooms into powerloms as such. However the Ashoka Mehta Committee, i.e. the Powerloom Enquiry Committee had recommended in 1964 installation of 10,000 additional powerlooms in the handloom sector to step up its production. Government accepted this recommendation and in 1966 made necessary additional allotment of powerlooms to the States along with the quota of powerlooms approved for installation during the Fourth Five Year Plan period. The implementation of the recommendation is being done by the State Govvernments out of the share allotted to each State.

Request made by Madhya Pradesh Government to L.I.C. for Financial Assistance

8477. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government have requested Life Insurance Corporation for financial assistance for their power crash programmes in the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the nature of the request made and the decision taken thereon

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) and (b) The Government of Madhya Pradesh had sometime back requested LIC to examine the possibility of granting loan of Rs. 25 crores for augmenting generation capacity of the State by installation of additional 120 MW station at

Korba. During discussions it was indicated to the State Government that no such big assistance may be available from LIC for the above project.

Madhya Pradesh Government have subsequently asked Life Insurance Corporation of India for a special loan of Rs. 9.5 crores to their State Electricity Board in 1975-76 for implementing a scheme to reduce transmission line losses. The matter is under consideration.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने राज्य सभा के सदस्य, श्री बी० बी० राजू का मामला उठाया था जिस पर आपने अपनी रूलिंग स्थगित कर दी थी।

समाचार पत्रों में परसों के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में कुछ नहीं छपा और न ही आकाशवाणी में इसका कोई उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह पेचीदा मामला है। मैं दोनों सभाओं के सम्बन्धों को बनाये रखना चाहता हूं इसलिए मैं इस बारे में सभी बातों का अध्ययन कर रहा हूं।

Shri Madhu Limaye (Banke): On the matters raised by me on Appropriation's Bill, Shri Subramaniam had promised to reply. But what about the other Ministry?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि ऐसे अवसरों पर जब विभिन्न मंत्रालयों के मामले उठाये जाते हैं तो मंत्रियों अथवा उप-मंत्रियों को सभा में उपस्थित रहना चाहिए।

Shri Madhu Limaye: I have been speaking on Appropriation Bill during 1967, 1968 and 1969 and the Minister has been replying to every point.

Mr. Speaker: The procedure would have to be changed in this regard. The notices came in the morning and the Ministers get little time.

Shri Madhu Limaye: If you like we can send them direct to the Ministers.

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम होता है। कभी-कभी मंत्री उपस्थित नहीं होते और कभी उत्तर देने की दशा में नहीं होते। आप सीधे भेज सकते हैं।

श्री मधु लिमये : आप नियम को संशोधित करें।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर नियम समिति में भी विचार करेंगे।

सभा पटल पर रख गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निममो के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 485 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 अप्रेल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9590/75]

काफी बोर्ड के वर्ष 1973-74 तथा रबड़ बोर्ड के वर्ष 1970-71 और 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) काफी बोर्ड के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी०-9591/75]

(2) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1970-71 के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(3) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1971-72 के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9592/75]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद-शुक नियमों के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 अप्रेल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 215(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 216 (ङ) से सा०सां०नि० 241 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तक की एक-एक प्रति, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9593/75]

नियम समिति

RULES COMMITTEE

छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): मैं नियम समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही–सारांश सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उपनियम (2) के अन्तर्गत छठा प्रतिवेदन ।

(2) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सातवां प्रतिवेदन ।

(3) समिति की 25 अप्रैल, 1975 को हुई बैठक के कार्यवाही–सारांश ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं :--

(एक) कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1975 की अपनी बैठक में रामपुर रजा लाइब्रेरी विधेयक, 1974 में लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1975 को किये गये संशोधनों से सहमत हो गयी है ।

(दो) कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1975 की अपनी बैठक में अखिल भारतीय सेवाएं विनियमन (संरक्षण) विधेयक, 1972 में लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1975 को किये गये संशोधनों से सहमत हो गयी है ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 5 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :--

(1) आज की कार्य सूची में से सरकारी कार्य की बची हुई किसी मद पर विचार ।

(2) कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन संशोधन विधेयक, 1975
(विचार और पास करना)

(3) संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1975
(विचार और पास करना)

(4) वर्ष 1975–76 के लिये नागालैंड बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(5) भाषा सम्बन्धी समिति गठित करने के बारे में संकल्प पर विचार।

(6) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1972, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(विचार और पास करना)

अध्यक्ष महोदय : समय थोड़ा है, अतएव कोई सदस्य दो मिनट से अधिक न लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग में व्यापक रूप से जबरी छुट्टी किये जाने की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। तमिलनाडु में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो रही है। इन मामलों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महाराष्ट्र राज्य के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल, जो अब तेरहवें दिन में है, के बारे में राज्य के मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री से बातचीत की थी। समाचार छपा था कि उन्होंने एक योजना केन्द्रीय मंत्री को दी थी। राज्य के एक मंत्री के अनुसार चूंकि केन्द्र राज्य की योजना को स्वीकार करने को उद्यत नहीं है इसलिए हड़ताल के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।

राज्य कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें मंहगाई भत्ता केन्द्र की दरों पर दिया जाये। न्यूनतम 75 रुपये के वेतन पर केन्द्रीय दर से भत्ता 163 रुपये बैठता है जबकि राज्य की दर से 126 रुपये। इसी प्रकार अधिकतम वेतन 500 रुपये पर केन्द्रीय दर से भत्ता 430.90 रुपये बैठता है, परन्तु राज्य के नियमानुसार यह 266 रुपये बैठता है। इस कमी को पूरा करने के लिये राज्य ने केन्द्र से सहायता मांगी है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इस पर एक वक्तव्य दें।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): Gorakhpur district is one of the backward districts of Eastern U.P. The Energy Minister at the Centre and the former Chief Minister of the State had announced the construction of a 400 kilowatt Thermal power Station at Sahjanva. It is now learnt that that power station is being installed in another backward district. The Minister may please look into this and give a statement in the House.

Shri Ram Chandra Vikel (Baghpat): In the recent settlement of the border dispute between states of U.P. and Haryana, 11 villages and 8 thousand acres of land of Bulandshahr alone have been given to Haryana. Similar is the position of Baghpat tehsil. I request that the transfer of these villages etc. may be withheld and the dispute be resolved in a meeting in New Delhi.

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): The assertion of the opposition against the Prime Minister that she has no right to be the Prime Minister of the country may be discussed next week.

The Hon. Minister may make a statement on theft in Trivedi structurals.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : बम्बई और मैसूर में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों ने निर्णय किया है कि वस्तुओं के रूप में दिये गये दान को आयकर में छूट के लिये लिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने उन राज्यों को छोड़ कर शेष पर इसे लागू नहीं होने दिया। इस प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत तथा अन्य स्थानों पर उद्योगों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। श्रम मंत्री अगले सप्ताह इस पर वक्तव्य दें।

कल न केवल हमारे देश में अपितु विश्व भर में मई दिवस मनाया गया। इससे हमें आशा करनी चाहिए थी कि श्रमिकों की दशा हमारे देश में सुधरेगी। किन्तु उनकी स्थिति दिन-प्रतिदिन गिर रही है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें उनकी हालत पर ध्यान नहीं दे रही हैं।

अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग में बिजली की कटौती के कारण 7000–8000 व्यक्ति बेकार हो जायगें। अच्छा यह होता कि इसके समाधान के लिए तीन पारियों के स्थान पर दो पारियां क दी जातीं। परन्तु 200–300 आदमियों को नौकरी से अलग किया जा रहा है।

बड़ौदा में प्रिय लक्ष्मी मिल जुलाई, 1974 से संकटग्रस्त है। सरकार इसे अपने अधिकार में ल ले ताकि 2500 व्यक्तियों को कठिनाई तथा बेरोजगारी का सामना न करना पड़े।

हिमसन मिल के कर्मचारियों ने 5 अप्रैल को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की जिसके शान्तिपूण होते हुए भी कर्मचारियों पर ज्यादती की गई। इस पर ध्यान दिया जाये तथा पुलिस की कार्यवाही की निन्दा की जाये।

Shri M. C. Daga (Pali): Lakhs of Indian citizens participated in a procession before Parliament against cow slaughter on 7th November, 1966. A cow protection committee was constituted on 26th June, 1967. But it has not as yet submitted its report. This should be got expedited urgently to respect the sentiments of the people. Otherwise, an agitation would be launched again.

Shri Chander Shallani (Hathras): I had intimated that 30 scheduled caste people were killed in village Sherpur of District Ghazipur. About 250 huts were set on fire.

A few days ago a case of atrocities on scheduled castes was discussed here. The Government should take such measures as may keep avoid such happenings.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में एक महत्वपूर्ण मामला सम्मिलित कराना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय में श्रमिकों सम्बन्धी मामले भी वर्षों पड़े रहते हैं। एक मामला 14 वर्ष से चल रहा है तथा 3–4 वर्ष से उच्चतम न्यायालय में पड़ा हुआ है। विधि मंत्री इस बात को मुख्य न्यायाधीश के साथ उठायें। मेरा सुझाव है कि तीन न्यायाधीशों का पृथक श्रमिक बैंच गठित किया जाये। मंत्री महोदय इस पर एक वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Banka): A few days ago Sukur Narayan Bakhia case came up before the Delhi High Court. Government have sought permission to file appeal in this case and they have got the permission. I have read the entire judgment of the High Court and during the course of Calling Attention I had levelled the charge that care has not been taken at the time of framing causes for detention. It has proved this. The court itself asked for certain proofs but it was refused. The judgment says that certain causes were added later on and if they were not added, Sukur Narayan Bakhia could not be released.

What are the reasons behind it. A few days back I gave intimation to the Prime Minister that Haribhai Tande, Brother in-law of Sukur Narayan Bakhia has got a passport of Dubai. He is a big smuggler. He has got benami property. Sukur Narayan Bakhia spent Rs. 8 lakhs to get a Congress M.L.A. ticket for Haribhai Tande. In this connection I had asked an unstarred question No. 7627. Haribhai Tande and Sukur Narayan Bakhia were seated on the dais from where the Prime Minister addressed the said meeting. The release of Sukur Narayan Bakhia from the High Court is not on technical grounds. There is no need to give so many causes for the detention if there is no proof for them. I would request the Finance Minister to make a statement today in this regard after going through the High Court judgment and other connected papers carefully.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): According to a press report the production in the Durgapur Steel Plant is likely to come to a stand still due to scarcity of ferro-alloy which will result in loss of crores of rupees. This ferro-alloy is received from some factories in South India but it has become difficult, rather impossible, to get ferro-alloy from South India due to power shortage there. The officers of Durgapur Steel Plant are running to foreign countries to get ferro-alloy. I would like the hon. Minister to make a statement in this regard particularly when there was apprehension of non-receipt of ferro-alloy from South Indian factories due to power cut and why precautionary steps have not been taken well in time.

I would also like the hon. Minister to make a statement in regard to reported burning of 30—100 Harijans to death in Ghazipur district.

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि देश में विद्युत की कमी पर चर्चा के लिए कुछ समय निर्धारित किया जाये । यह बहुत बड़ा प्रश्न है । बहुत से स्थानों पर तालाबन्दी हो रही है और लोग बेकार होते जा रहे हैं । समूचे देश में स्थिति गम्भीर है ।

श्री के० रघुरामैया : मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचार सम्बन्धित मंत्रियों को पहुंचा दूंगा और यदि वे मामले को अविलम्बनीय महत्व का समझें तो और यदि समय हुआ तो वे वक्तव्य देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह उनकी ओर से उत्तर नहीं दे सकते । वह सम्बन्धित मंत्रियों को कहेंगे और वे उसका उत्तर देंगे ।

वित्त विधेयक--जारी

FINANCE BILL—Contd.

Shri Chandra Shailani (Hathras): Urgent steps should be taken to remove economic disparity in the country, widening gap between the rich and the poor, small and big and owner and the worker should be narrowed. After the attainment of Independence our leaders have set the goal of socialism before us and our Prime Minister is trying her best to take the country to that goal. But we can reach that goal only if we put our economy on a sound footing. Unfortunately, economic disparities are growing and the gap between the rich and the poor is widening. This gap should be bridged before it is too late.

When the banks were nationalised the purpose was to free them from the control of the big capitalists so that poor people, small industrialists and traders are benefitted. But what we find today is that these people have not at all been benefitted. The poor are not able to get loans and there is growing corruption in the grant of loans. The hon. Finance Minister should see that the loan policy is revised so that the poor can get the benefit.

As regards taxation, there is no doubt that taxes have to be levied for the development of the country and this is why the Finance Minister imposed some new taxes every year. But before levying a new tax the Finance Minister should consider how much tax arrears have accumulated and something should be done to realise these arrears also.

At present there is wide disparity in the pay-scales at various levels. The pay scales range from Rs. 5 to Rs. 10,000,which is surely a very wide gap. In a country aiming at bringing about socialism, such a wide disparity should not be there. This gap should not be more than in the ratio of 1:10.

The present agitation led by Shri Jayaprakash Narayan has greatly upset the country's economy because there has been large scale destruction of national property. Since Shri Narayan is receiving large contributions from the capitalists, he should be made to compensate for the losses.

After independence most of the towns have made progress and have turned into big cities. But in the case of Hathras it has been just the reverse. Before Independenece it was quite an important town of Uttar Pradesn but now all the industries there have closed down. If some big industry is set up there it will greatly help the people of this area.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : इस सरकार द्वारा दिये गये वचनों और इसके द्वारा किये गये कार्य में बहुत बड़ा अन्तर है । हमने कुछ आधारभूत संवैधानिक संशोधन किए हैं जो वास्तव में प्रगतिशील हैं और कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सम्पत्ति के संकेन्द्रीकरण को समाप्त करने के लिए बनाये गए हैं लेकिन उन पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई । इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए ।

हमारे यहां समाजवाद, एकाधिकार के उन्मूलन आदि की बातें की जाती हैं । लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । उड़ीसा में कला हांडी जिले में नवापाड़ा उपखण्ड के सभी 6 ब्लाकों में पानी की अत्यन्त कमी है ।

लोगों ने अपना जीवन बचाने के लिए एक समय के भोजन के लिए अपने बच्चों को बेचना शुरु कर दिया है। सरकार को अब इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार ने यह उत्तर दिया है कि यह प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचराधीन है। इसका क्या अर्थ है? भार्गव आयोग द्वारा राष्ट्रीयकरण की सिफ़ारिश किये जाने के बाद सरकार ने क्या किया है? लोगों द्वारा और निर्दयता सहन नहीं की जायेगी। सरकार को इस बारे में ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार मुद्रा स्फ़ीती को रोकने में सफ़ल हो गई है और खाद्य स्थिति भी अच्छी हो गई है। केन्द्र को अब इतना उदासीन नहीं होना चाहिए। श्री शिन्दे ने यहां घोषणा की है कि अनाज का आयात अब शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आयेगी। हमें कम से कम 50 लाख टन अनाज का आयात करना पड़ेगा।

उड़ीसा में सूखे के कारण 20 लाख टन अनाज की कमी है। वहां केन्द्रीय पूल से पर्याप्त मात्रा में चावल और गेहूं सप्लाई करने की आवयश्कता है ताकि वहां सूखे की स्थिति से निपटा जा सके। राज्य के मुख्य मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि चावल का मूल्य 2.50 रुपए से बढ़कर 3.50 रुपए प्रतिकिलो हो गया है। 'रागी' जो वहां का मुख्य आहार है, गंजम में 3 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अत: इस प्रकार की उपेक्षा दूर होनी चाहिए।

समाजिक-आर्थिक समस्या के बारे में बार-बार कहा गया है कि भूमि सुधार कानून लागू किए जानें हैं। लेकिन क्या किया गया है? भूमि सुधार आयोग द्वारा 36 लाख एकड़ भूमि फ़ालतू बताये जाने के बाद भी सरकार ने केवल 2,16,244 एकड़ भूमि फ़ालतू बतायी है और उसमें से केवल 19,557 एकड़ भूमि वास्तव में वितरित की गई है। उड़ीसा में अभी तक एक इंच भूमि वितरित नहीं की गई है। अत: भूमि सुधार कानून लागू करने की बहुत आवश्यकता है। यदि सरकार ने यह कानून क्रियान्वित नहीं किया तो किसानों को स्वयं ही कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। किसान अपनी शक्ति और एकता के बल पर स्वयं वह भूमि वितरित करेंगे और अधिकतम सीमा निर्धारण कानून क्रियान्वित करेंगे।

1974 में औद्योगिक विकास का लक्ष्य 8.8 प्रतिशत निर्धारित किया गया था लेकिन यह 3.8 प्रतिशत तक भी नहीं हुआ है। अब स्थिति आधोमुखी हो गई है और हम पीछे जा रहे हैं। एकाधिकार गृहों को छूट दी जा रही है।

औद्योगिक नीति संकल्प में स्पष्ट कहा गया है कि भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को महत्व दिया जाना चाहिए और उसे अपना विस्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल के महासंघ की बैठक में सरकार की नीति की सराहाना की गई क्यों कि यह नीति तथाकथित मिश्रित अर्थव्यवस्था की कल्पना से दूर हट रही है।

हम औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत संयुक्त क्षेत्र को जानते हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय क्षेत्र क्या है? यह धोखा मात्र है। इस फ़ार्मूले के अन्तर्गत सरकार ऋण करों की बकाया

[श्री० डी० के० पंडा]

राशि आदि के संदर्भ में गैर-सरकारी क्षेत्र के सामने आत्म-समर्पण कर रही है । वह उन्हें अधिकाधिक छूट दे रही है । यह औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन है ।

इस संदर्भ में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि सरकार कर-अपवंचकों को और आर्थिक अपराधियों से कैसे निपट रही है । जब गत वर्ष तस्करी विरोधी अभियान चलाया गया था तो हम सब ने इसका स्वागत किया था । लेकिन अब क्या हो गया है मूलभूत त्रुटियों के कारण अब तस्करों को रिहा किया जा रहा है । कुछ को तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही रिहा कर दिया है । वित्त मंत्री बतायें कि वित्त आयोग के 74वें प्रतिवेदन की सिफ़ारिशों जिसमें यह कहा है कि तस्करों, जमाखोरों, चोर बाजारियों और विदेशी मुद्रा की लूट करने वालों को गिरफ्तार करने उनकी सम्पत्ति जब्त करने तथा इन अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए संवैधानिक संशोधन किया जाना चाहिए के बारे में क्या करने जा रहे हैं । हम जमाखोरी और चोर बाजारी को तभी समाप्त कर सकते हैं जबकि विशेष न्यायालय स्थापित किए जायें । लेकिन सरकार इस बारे में ढुलमुल नीति अपना रही है । उत्पादन के संबंध में कहा गया है कि बिजली की कमी के कारण हमारा उत्पादन घटा है । सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए । उड़ीसा में तालचेर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इन्द्रावती अपर कोलांब और भीम कूण्ड तीन परियोजनायें हैं । केन्द्र को इन सभी परियोजनाओं को आरम्भ करना चाहिए ।

सेझियान (कुम्बकोणम) : वित्त मंत्री ने अपनी बजट भाषण में कहा है कि उन्होंने समाज के दुर्बल वर्ग को करों के भार से बचाने का भरसक प्रयत्न किया है। परन्तु तथ्य यह है कि जिस ढंग से कर लगाये गए हैं, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए किसी ऐसी आशा को बनाये रखना, औचित्यपूर्ण नहीं लगता । 289 करोड़ रुपए के तो अतिरिक्त कर लगाये गए हैं, उनमें से 98 प्रतिशत कर अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं तथा अन्ततः उनका प्रभाव देश के उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा । अप्रत्यक्ष कर इस ढंग से लगाये गये हैं कि उनसे लोगों की स्थिति और भी खराब हो जायेगी । मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कृषि, सिंचाई तथा बिजली के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की घोषणा भी की है । अगर ऐसा वास्तव में किया गया तो यह निश्चय ही एक प्रशंसनीय कदम होगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

बजट में यदि केन्द्रीय योजना प्रावधान पर दृष्टिपात किया जाये तो ज्ञात होगा कि वर्ष 1974–75 के लिए उसमें 2,055 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है परन्तु वर्ष 1975–76 के लिए यह प्रावधान बढ़ाकर 2,558 करोड़ रुपए कर दिया गया है । अतः इससे स्पष्ट होता है कि कुल परिव्यय की प्रतिशतता में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कृषि तथा सिंचाई पर किए जा रहे व्यय में भी उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है परन्तु फ़िर भी कुल परिव्यय की प्रतिशतता के सन्दर्भ में केन्द्रीय योजना प्रावधानों में कमी हुई है ।

संयोगवश मैं यह उल्लेख भी कर रहा हूं कि मद्रास की तरफ़ अनेक नगर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य सरकार स्वयं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए 100 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता है। इसप्रकार की योजनायें जब केन्द्र को भेजी जाती हैं तो इन्हें स्वीकृति देने में अवांछनीय विलम्ब किया जाता है।

वित्त मंत्री महोदय द्वारा 33 करोड़ रुपए के मूल्य की छूट देने की घोषणा की गई है। हम यह जनाना चाहते हैं कि इन छूटों का अधिकांश लाभ समाज के दुर्बल वर्गों के लोगों को होगा या इस का लाभ जे० के० सिन्थेटिक्स मोदीथान या विमल आदि प्रमुख तथा अमीर फ़र्मों को ही होगा। हम इन छूटों का विस्तृत ब्यौरा जानना चाहते हैं।

वित्त मंत्री द्वारा यह घोषणा भी की गई है कि तस्करी विरोधी अभियान भी पूरी मुस्तैदी के साथ चलाया जायगा। मुझ तो इस में संदेह है। पिछले ही महीने न्यायालय द्वारा बहुत से ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया है जिन्हें बड़े-बड़े तस्करों के नाम से गिरफ्तार किया गया था। यदि सरकार द्वारा इन तस्करों की रिहाई के लिए गुप्त सहयोग दिया जा रहा है तो यह निश्चय ही बहुत चिंताजनक बात है। समाचार पत्रों में इस आशाय के अनेक समाचार छाप चुके हैं जिनमें यह स्पष्ट है कि सरकार ने तस्करों को हिरासत में लेने सम्बन्धी जो कानून बनाये है, वह पूर्णतया संतोषजनक नहीं है उनमें कही न कहीं कोई दोष रह ही गया है। मैं सरकार से इस के साथ पूर्णतया सहमत हूं कि तस्करों तथा समाजविरोधी तत्वों को समान्य कानून के अन्तर्गत कभी गिरफ्तार अवश्य कर लिया जायगा। परन्तु तथ्य यह है कि सरकार के तर्क न्यायालय में एक बार ही नहीं कई बार विफल हुए हैं। श्री चावला के निर्णय के बाद सरकार कुछ कदम उठाना चाहती थो। सरकार ने जब यह विचार किया कि कदाचारों या बुरी प्रथाओं से चुनावों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो सरकार ने अन्य मामलों में संरक्षण प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही अध्यादेश जारी कर, अपेक्षित कदम शीघ्र उठा लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार ने तुरन्त कदम क्यों नहीं उठाये है। सर्वोच्च न्यायालय का सत्र 5 मई को समाप्त होने वाला है तथा तब तक यदि शीघ्र इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो यह तस्कर इसी प्रकार मुक्त ही रहेंगे।

केन्द्रीय सीमा शुल्क अधिनियम की अभियोग धारा 3 के अन्तर्गत सामान्य वस्तुओं पर एक प्रतिशत कर नहीं लगाया जा सकता। जब तक धारा 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार मदों को विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता तब तक इसे अनुसूची में नहीं रखा जा सकता। केन्द्रीय सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगी धारा एक विशिष्ट धारा है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह सदन कर लगाने की सक्षम है। यदि सरकार उत्पादन कर या धन कर जैसा कोई अलग कदम उठाती है तो इन सभी बातों से छूटकारा मिल जाता। सरकार द्वारा 24 करोड़ रुपए के आंकड़ों का अनुमान किस आधार पर लगाया गया है?

एक प्रतिशत सामान्य वस्तु कर के बारे में बड़ी भ्रान्ति है। वित्त मन्त्री ने कहा है कि बिक्री कर योग्य सभी वस्तुओं तथा अन्य वाणिज्यिक क्रय भी इसमें सम्मिलित हैं। उच्चतम न्यायालय के मामलों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्पाद-शल्क विनिर्मित वस्तुओं, या जहां बिक्री का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हीं पर लगाया जायगा। इसके उपरान्त वित्त मन्त्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह

[श्री सेझियान]

कर विशेष सामान के उत्पादों द्वारा दिये गये विवरणों पर आधारित होगा। अब प्रश्न यह है कि यदि वहां 'विशेष सामान' का उल्लेख नहीं किया गया है तो फिर सभी वस्तुओं को इसमें सम्मिलित क्यों किया जा रहा है ? कर लगाने में इस प्रकार लापरवाही बरतने तथा भ्रान्त तरीके अपनाने से कर लगाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यदि हम सभी वस्तुओं के लिए कानून बनायेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हमें एक एक करके उन्हें करों से मुक्त करना पड़ेगा।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का जमशेदपुर सन्यन्त्र इस कम्पनी द्वारा हो जाने वाली चादरों से लौह ट्यूबों का उत्पादन करता है। परन्तु यह लौह ट्यब स्कैल्प या हाट-रोल्ड शीटों से भी बनाई जा सकती हैं। पहले इन दोनों मदों पर लगने वाले करों की दरों में कोई विशेष अन्तर नहीं था। 1964 में हाट-रोल्ड की अपेक्षा स्कैल्प की दर में वृद्धि कर दी गई थी 'टिसको' ने अपने विवरणों में हौटरोल्ड स्ट्रिपों का उत्पादन किया बता कर, कर वृद्धि की चोरी कर ली। दूसरी ओर इण्डियन ट्यूब्स से स्कैल्प पर लागू बढ़ी हुई दरें वसूल कीं लेकिन इण्डियन ट्यूब्स ने इसे उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया। 1964 में आबकारी विभाग को जब इसका पता चला तो उसने स्कैल्प पर बढ़ी हुई दरें वसूल करने का प्रयास किया। परन्तु 1964 में 'टिसको' ने दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया। सरकार ने 1964 से 1975 तक स्थगन आदेशों को रद्द करने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब टिसको पर 12 करोड़ रुपये की राशि बकाया हो गया है। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि टिसको पर कुल कितनी धनराशि बकाया है, क्या इस धनराशि पर ब्याज भी लिया जायेगा ? इस बकाया धनराशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जहां तक उपदान खण्ड का सम्बन्ध है, इसके बारे में मुझे यही कहना है कि इसके अन्तर्गत श्रमिकों को कोई विशेष संरक्षण नहीं दिया गया है। कुछ बेईमान लोग सामान्य भविष्य निधि और सेवा निवृत्ति निधि न बना कर कर से छूट प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए नये खण्ड 6 की व्यवस्था की जा रही है। इसे 1 अप्रैल, 1976 तक स्थगित कर, इसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिये। यदि कोई कम्पनी 1976 से पहले परिसमापन की स्थिति में आ गई तो उसके कर्मचारी बेकार होकर सड़कों पर घूमने लगेंगे।

एस० आर० पी० प्रतिवेदन नवम्बर, 1973 में दिया गया था परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसका क्या कारण है ? इसी प्रकार हम यह भी जानना चाहते हैं कि 33 करोड़ रुपये के जो छूट दी गई है, उसका विस्तृत ब्यौरा भी दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप पहले भी कह चुके हैं।

श्री सेझियान : वित्त मन्त्री जब कर लगाते हैं तो गरीबों पर ध्यान देते हैं और जब रियायतें देनी होती हैं तो अमीरों पर ध्यान देते हैं।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I welcome the Bill as well as tax reliefs provided in the Finance Bill. Views expressed by the Members during General Budget discussion are almost same as expressed during Presidential Address. Therefore, to avoid the repitition and the expenditure incurred on the Government, I would request the Government to evolve some new procedure in regard to Budget.

Budget speech is divided into two parts i.e., A and B. 'A' part includes General Survey and 'B' part includes budget proposals. I want that 'A' part

should be circulated three months before so that the hon. Members may tell as to which commodities should be taxed and that the Government should take such and such steps.

Members have no contribution towards the working of democracy. The reins of democracy are in hands of bureaucrats. I am loosing faith on democracy. We have become 'yesmen' of the Government. I want the hon. Minister and the Prime Minister to give serious thought over this.

The Price Commission has fixed the procurement price at the rate of Rs. 105 per quintal. The officers of the Commission are not representatives of farmer class and they do not keep in mind the cost of production while fixing the procurement price and instead they fix price on ad hoc basis and Government accept their proposal. We sit as silent spectators and cannot say anything because we belong to Congress party.

Our Government have not formulated any scheme for the benefit of youngmen. Our education is not job oriented. Government should think about the future of young people.

Thirdly, in the Eastern U.P. and Bihar, farmers are not getting money for the sugar-cane supplied by them to the mill owners. Government should negotiate with the mill owners in this regard and try to know the reasons for non-payment of dues by the mill owners.

Jute Industry is on the last legs in Bengal. Bihar, Orissa and Assam. This should engage the attention of the Government. 130 crores of rupees have been spent on Gandak Project and it feeds any two lakh acres of land. Still the project is incomplete. It should be completed by the Government.

Per capita income in Bihar is the lowest. While making budget, Government should provide sufficient grant for backward states. In Bihar, irrigation work is held up due to power shortage. When we approach the State Government they say that they have no funds. So I request the Government not to discriminate while giving grants to states.

Disparity in income is growing day by day in India. Government should take steps to raise the standard of living of poor people. Government should try to alleviate the difficulties of weaker section of society. All the Members should be taken into confidence in the matter of budget proposal and take steps for the welfare of the country.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : यह एक व्यवहारिक बजट है और इसको पेश करने के लिए वित्त मन्त्री एवं वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री बधाई के पात्र हैं। निर्धन वर्ग के लिए जिन राहतों की घोषणा की गई, उनका स्वागत है।

ईमानदार कर-दाताओं को परेशान करने के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मेरे विचार में सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करके ईमानदार करदाताओं एवं नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करेगी।

सबसे पहले मैं राजस्थान के कुछ भागों में पड़े अकाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। समाजवाद का इतना ढोल पीटने पर आप सब जानते होंगे कि एक ग्रामीण गांव के पास ही अकाल राहत का

[डा० कर्णी सिंह]

लाभ चाहता है, जो उसे गांव से 10 मील की दूरी के अन्दर अन्दर मिल जाना चाहिए। ऐसा पिछले 30 साल से होता चला आ रहा है। अब यदि आप गांव में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीणों को किसी जगह भी राहत नहीं मिल रही। सभी को 300 मील दूर राजस्थान नहर पर इकट्ठा होने को कहा गया। मैं श्रमिकों को राजस्थान नहर पर ले जाने के विरुद्ध नहीं हूं, बशर्ते कि वहां उनके लिए आवास आदि की व्यवस्था हो। गत जनवरी में मुझे इनमें से कुछ कैम्पों में जाने का अवसर मिला। लोगों को कड़कड़ाती शीत में खुले में रहने को कहा गया तथा उन्हें छोटी सी झोंपड़ी बनाने के लिए सिरकी तक नहीं दी गई।

अकाल संहिता के अनुसार प्रत्येक गांव के 10 मील के घेरे में अकाल राहत शिविर होना चाहिए। समाजवाद के नाम पर मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह राज्य सरकार से इस दिशा में कदम उठाने को कहे।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान नहर के, जो संसार की वृहत्तम नहरों में से है, दो अंग हैं एक मुख्य नहर और दूसरा लिफ्ट चैनल। मुख्य नहर पर काम करने वाले मजदूरों को लिफ्ट चैनल पर काम करने वाले मजदूरों से 25 पैसे अधिक दिए जाते हैं। यह बहुत ही अनुचित है और मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराता हूं।

अगली बात रेगिस्तान में पाइप लाइन बिछाने से सम्बन्धित है। इजराइल तथा संसार के अन्य बहुत से भागों में जहां पीने के पानी की समस्या है गांवों को लम्बी लम्बी पाइप लाइनों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान नहर विश्व के ऐसे भाग से होकर निकलती है जहां स्थानीय साधनों से पीने का पानी उपलब्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि वह खारा है और पीने के योग्य नहीं। नहर से 50 मील दूर तक के गांव को जोड़ा जा सकता है और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार रेगिस्तान का कोई भी भाग पीने के पानी के बिना नहीं रहेगा।

चूरू जिले में पीने के पानी की समस्या बहुत ही कठिन है, वहां लिफ्ट चैनल से पानी प्राप्त करने का कोई तरीका निकाला जाना चाहिए।

लंकरनसर के क्षेत्र में जहां से चैनल निकल रही है, को अरण ग्राम पंचायत में सरकार ने तोपखाने के लिए चांदमारी क्षेत्र बनाने का निर्णय किया है। हम रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को अस्वीकार नहीं करते। यह चांदमारी क्षेत्र राजस्थान नहर की लिफ्ट चैनल द्वारा सिंचित क्षेत्र के ठीक बीच में है। उन्होंने वहां से गांव वालों को छोड़ कर चले जाने को कहा है। 12 गांवों को पूरी तरह तथा 20 गांवों को आंशिक रूप में हटा दिया गया है। इन 20 गांव के लोगों का कहना है कि यदि हटाया जाना आवश्यक ही है तो हमें पूरी तरह हटा कर नहर के क्षेत्र में बसा दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग उचित है। मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान दें।

वित्त विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर बोलते हुए मैं कई बार करदाताओं को तंग, किए जाने के बारे में कह चुका हूं परन्तु इस समय मैं केवल उन्हीं बातों के बारे में कहूंगा जिन परेशानियों से कर-दाता को बचाया जा सकता है। यह बात मैं ईमानदार नागरिक के हित में ही कह रहा हूं। बेईमान नागरिक के लिए कुछ नहीं। प्रत्येक सभ्य नागरिक कर का भुगतान करेगा क्योंकि यह देखना उसका कर्तव्य है कि विकास के लिए धन उपलब्ध हो। परन्तु भारतीय कराधान प्रणाली इतनी जटिल है कि

माननीय मन्त्री महोदय भी किसी प्रश्न का तुरन्त उत्तर नहीं दे सकते तथा प्रत्येक वकील कानून का अपना अलग अर्थ लगाता है। करदाता को कुछ नहीं सूझता कि वह क्या करे।

भारत में विद्यमान जटिल कराधान प्रणाली की दृष्टि से जिसको सरकारी अधिकारी भी एक दर्जन पुस्तकों को पढ़े बिना नहीं समझ पाते, मेरा सुझाव है कि सरकार आय कर विभाग में एक ऐसा विशेष अनुभाग बनाए जहां करदाता कर सम्बन्धी कानूनों के सम्बन्ध में मुफ्त सलाह ले सकें। इस अनुभाग द्वारा लिखित में दी गई कोई भी सलाह कर विभाग पर बाध्य होगी। मैं समझता हूं कि एक समाजवादी देश की सरकार को इस बात का ध्यान रखना हो चाहिए कि उसके नागरिक वकीलों के पास जा कर ही अपना सारा समय नष्ट न कर दें प्रत्युत् उसका उपयोग अधिक उत्पादन करने में किया जाना चाहिए।

सम्पत्ति के समान वितरण के बारे में दो राय नहीं हो सकतीं। मैंने इसी सदन में 12 वर्ष या इससे भी अधिक समय पहले कहा था कि समान वितरण के लिए पूंजी पर लेवी लगाओ तथा नागरिक की सम्पत्ति पर एक सीमा लगाओ और शेष को अपने अधिकार में ले लो। परन्तु मेरे विचार से किसी आदमी को उसकी आय से अधिक प्रत्यक्ष कर के रूप में देने को कहना अनुचित है क्योंकि इससे वह बेईमानी करने को बाध्य हो जाता है। करदाता करोड़ों रुपया कर के रूप में देते हैं। परन्तु सबसे दुख की बात यह है गांव के लोगों को तथा रेगिस्तान के लोगों को, जिनके बारे में, अधिक विश्वास के साथ कह सकता हूं कुएं खोदने और अथवा स्कूलों के निर्माण करने जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए कर देने को कहा जाता है। फिर हम लोग किस लिए कर दे रहे हैं? यदि हम कर दें तो कम से कम सरकार जनता के लिए स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का निर्माण कर सकती है। सभी कार्यों के लिए लोगों का योगदान मांगना अत्यन्त अनुचित है।

मैं मन्त्री महोदय से उन परेशानियों पर विचार करने का सुझाव देता हूं, जिनसे बचा जा सकता है। प्रत्यक्ष कर नियमों के अन्तर्गत भारत में सम्पत्ति तथा दान करके निर्धारण के लिए कोई समय सीमा नहीं है अधिकतर मामलों में निर्धारण 10 वर्ष से विचाराधीन है। विवरण देते समय करदाता के पास कर देने के लिए साधन हो सकता है परन्तु 10 या उससे अधिक वर्षों के बाद निर्धारण किए जाने पर और वह भी अधिक दर पर हो सकता है वह कर का भुगतान करेने कि स्थिति में ही न हो। मैं यह तथ्य माननीय मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम की जानकारी में लाचका हूं और फिर एक बार कहता हूं कि निर्धारण पूर्ण होना चाहिए। आयकर निर्धारण को 10 वर्ष तक विचाराधीन नहीं रख सकते।

अब मैं, आयकर अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे अधिकतर आय कर अधिकारी ईमानदार हैं परन्तु सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए दिए गये लालच के कारण भले ही वह लिखित रूप में न दिया गया हो, वे परेशानियां पैदा करते हैं। आयकर अधिकारी की पदोन्नति जनता से अधिक से अधिक रुपया बटोरने पर आधारित है और यह जानते हुए भी कि अपीलीय अधिकारी सब ठीक कर देंगे वह अनुचित मांगें प्रस्तुत करता है। प्रत्यक्ष कर नियमों में अपील पर निर्णय दिए जाने की कोई समय सीमा नहीं है तथा करदाता को उस समय तक ब्याज देना होता है जब तक कि अपील का निर्णय होता है। अपील पर निर्णय करने में विभागीय देरी के कारण कर दाता को ब्याज देने का दण्ड क्यों दिया जाय। कोई लिखित नियम न होने पर भी आयकर अधिकारियों की पदोन्नति उनके द्वारा इकट्ठा की गई कर राशि पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में सम्भवत: मन्त्री महोदय अधिक जानते होंगे। इसके पीछे निश्चय ही जनता को तंग करने की बात नहीं है परन्तु लोगों को तंग किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

1236 LS—13.

[डा० कर्णी सिंह]

मेरा तीसरा सुझाव वापिस की जाने वाली राशि के भुगतान में देरी की जाने के सम्बन्ध में है । कराधान नियमों के अनुसार एक ईमानदार नागरिक को करों की अदायगी में देरी करने पर ब्याज और जुर्माना देना होता है परन्तु उसे वापिस होने वाली राशि के भुगतान के लिए कोई उपचार नहीं है क्योंकि कर विभाग जितना समय चाहे ले सकता है, पहले तो राशि का हिसाब किताब लगाने में और दूसरे उसके भुगतान में अधिकतर मामलों में आयकर अधिकारियों द्वारा किए गये गलत निर्धारण पर उनको वापिस की जाने वाली राशि का हिसाब लगाने में तंग किया जाता है ।

नए दाण्डिक नियमों के अनुसार सरकार ने सम्पत्ति आभूषणों आदि के मूल्यांकन के लिए सरकारी मान्यताप्राप्त मूल्यांकन कर्ता उपलब्ध किए हैं तथा उनके मूल्यांकन को मान्य माना जाता है । एसा प्रवन्ध हाने पर विभाग को मूल्यांकन कर्त्ता द्वारा किए गये मूल्यांकन को स्वीकार करना चाहिए परन्तु अधिकतर मामलों में कर विभाग उस मूल्यांकन को यह कह कर बढ़ा देता है कि मूल्यांकन कम किया गया है । सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन कर्ता द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद एक नागरिक बढ़ाए गये मूल्यांकन पर अधिक कर क्यों दे । यदि मूल्यांकन कर्ता द्वारा किया गया मूल्यांकन गलत है तो विभाग को उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और करदाता को अधिक कर देने को कह कर तंग नहीं किया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद विश्वास पात्र और सही मूल्यांकन करने वालों को लाइसेंस दिए जाए ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि देश में ऐसी कराधान प्रणाली लागू होनी चाहिए कि कर दाता कर विभाग में जाए और एक कागज लेकर उसमें अपना विवरण दें, और चेक नत्थी कर दे तथा शेष पूरे वर्ष देश का कार्य कर सके । आजकल हमारे देश में करदाता मकड़ी के जाले में फंसी मक्खी के समान हैं जिसमें से वह कभी नहीं निकल पाता । मुझे विश्वास है कि व्यवहारिक व्यक्ति होने के नाते वे स्थिति को समझेंगे और आशा है कि वे कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे करदाता चाहे वह छोटा हो या बड़ा देश के हित में अपने समय का सदुपयोग कर सकेगा ।

अब मैं करोड़ों टेलीफोन बिलों के कारण होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । इस सम्बन्ध में मेरा स्वयं का अनुभव है और मेरे मित्र भी इस सम्बन्ध में कुछ बताएगें । हमारे यहां आपके साथ एसा हुआ हो अथवा नहीं,--चार पांच वर्ष तक बिल आते रहते हैं और हमें इसका पता नहीं कि हम क्या करें ? मेरा संचार मंत्री को यह सुझाव है कि टेलीफोन विभाग में एक वर्ष से अधिक समय तक कोई बिल भुगतान के लिए नहीं रहना चाहिए और यदि कोई रह जाए तो उसे बट्टे खाते डाल दिया जाए ।

दूसरे, किसी भी टेलीफोन प्रयोक्ता को सरकार अथवा सम्बन्धित विभाग में जाकर यह कहने का अधिकार होना चाहिए कि कृपया लिखित रूप में यह दे दिया जाए कि इस बिल का भुगतान करने के बाद मेरी ओर किसी अन्य बिल का भुगतान बकाया नहीं है । पर मैं आपको बताता हू कि विभाग से ऐसा लिख कर मिलने के बाद मुझे एक बिल मिला । यदि ऐसा एक संसद सदस्य के साथ होता है तो उन हजारों लाखों लोगों के साथ क्या होता हागा जो कि संसद सदस्य नहीं है ? अत सरकार इस समस्या के सम्बन्ध में कुछ करे ।

अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं । बम्बई में मेरा एक टेलीफोन है जिसके सम्बन्ध में मुझे 4000 रुपये का बिल एक दूसरा मिला । इस सम्बन्ध में मैंने सरकार और मंत्री महोदय को लिखा ।

उन्होंने कहा नहीं, बिल सही है । अन्त में उन्हें पता चला कि उन्होंने 4000 रुपये दोबार वसूल किए हैं परन्तु उन्होंने इसके भुगतान का आग्रह किया और मैंने उसका भुगतान कर दिया फिर मुझे पता चला कि मेरे दिल्ली के संसद से मिले टेलीफोन पर 3000 रुपये दो बार ले लिए गये हैं। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। संसद सदस्य इनको मंत्री महोदय की जानकारी में लाते हैं श्री विभूति मिश्र के इस कथन से सहमत हूं कि संसद सदस्य भी अब एक तरह से बेकार हो गये हैं उनकी भी कोई नहीं सुनता। और जब हम लोग गांवों और कस्बों में जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि हमने आपको वोट दिया आपने हमारे लिए क्या किया आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार को जनता की आवश्यकताओं को जानना चाहिए। फिर हम यहां क्या कर रहे हैं ? निश्चय ही हम यहां 50 रुपये लेने नहीं आते। हम प्रभुसत्ता प्राप्त संसद के प्रतिनिधि हैं। हमारा काम लोगों की आवश्यकता संसद को बताना है और मैं समझता हू कि इस बात को कह कर श्री विभूति मिश्र ने देश की बड़ी सेवा की है। व एक वरिष्ठ सदस्य हैं अतः सरकार को इस समस्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

आखिर में मैं खेल कूद के बारे में कहना चाहूंगा। सौभाग्य की बात है कि हमने हाकी प्रतियोगिता जीती। मुझे भी कई बार अपने देश की ओर से खेलों में भाग लेने और उसका मान बढ़ाने का अवसर मिला है तथा मुझे अपने हाकी खिलाड़ियों और खेलों पर गर्व है । पर मैं आपको यह बता दूं कि क्वालाम्पुर में हाकी प्रतियोगिता जीतना मोन्ट्रियल में हाकी का खिताब जीतना नहीं है । चीन आदि अन्य देश हमें पछाड़ने के लिप प्रयत्नशील हैं। वे काले लोगों के देश का हाकी का स्वर्ण पदक पाना स्वीकार करने को तैयार नहीं है । परन्तु हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हाकी में ही नहीं हम निशानेबाजी, कुश्ती और अन्य खेलों में भी जीत सकते हैं। इसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए ।

मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हू। यह निशानेबाजी के बारे में है जिसके बारे में मैं भी कुछ जानता हूं। म्यूनिख ओलम्पिक के लिए दल का चुनाव किया गया। म्यूनिख ओलम्पिक तीन वर्ष हो चुके हैं डेढ़ वर्ष पहले मैं शिक्षा मंत्री से मिलने गया और उनके सामने निशानेबाजी के दल की आवश्यकताओं को रखा। परन्तु कुछ नहीं हुआ तथा म्यूनिख के लिए मांगी गई गोलियां ओलम्पिक समाप्त होने के एक साल बाद आई। गत वर्ष तेहरान निशाने बाजी के दल में भाग लेने के लिए हमने गोलियों की मांग की । ये गोलियां अब तक नहीं मिली हैं जब कि तेहरान खेलों को हुए नौ मास हो चुके हैं । यदि आप चाहते हैं कि एशियाई खेलों अथवा विश्व प्रतियोगिताओं में भारतीय दल अच्छा प्रदर्शन करें तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए : एशिया में चीन जैसे देश हैं जो अपने खिलाड़ियों को अभी से कठोर प्रशिक्षण दे रहे हैं और वह भारत को जीतने नहीं दे और इससे हमारे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस लगेगी। अतः खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की योजना लगभग 2 वर्ष पहले बनाई जानी चाहिए ।

Shri Genda Singh (Padrauna): I am grateful to the Finance Minister for giving concessions to Khandsari units. This will benefit the sugar-cane growing farmers in future.

In regard to the Bhargave Committee Report, most of the members in the House have expressed their opinion in favour of nationalisation of sugar industry which has been recommended by half the members of the Committee. After 1951, about 100 sugar factories have been established in various parts of the

[Shri Genda Singh]

country in the cooperative sector. But big capatalist of the country have set up sugar factories in U.P. and Bihar. They have done so in the back parts of the States where there is nobody to look after the farmers. They have amassed huge wealth during the last 30 years through exploitation. Serious attention is required to be paid to these backward areas.

The condition of cotton growers is very pitiable as they do not get remunerative price for their produce. The Government should take over the entire textile industry under their control and initiate steps to help the cotton growers of the country. The 105 textile mills taken over by the Government should manufacture controlled cloth.

The policy of credit control pursued by the Reserve Bank is all right, but nothing is done to see that the arrears due to the poor sugar-cane growers, cotton growers and jute growers are paid to them by the mill owners. Reserve Bank should follow the credit policy in such a manner that agriculturists are not put to any loss.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : वित्त मंत्री ने करों में 35 करोड़ रुपए की रियायतें दी हैं। यह सही है कि गत सात महीनों में मूल्य सात प्रतिशत गिरे हैं और इससे अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। परन्तु यह भी सही है कि सरकार अर्थ-व्यवस्था के लिये आवश्यक मांगों तथा ऋणों में कटौतियां करती है। सरकार अभी भी भ्रष्ट राजनीति के समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। यदि सरकार वास्तव में अर्थ-व्यवस्था को मुद्रा स्फीति से बचाना चाहती है तो उसे समानान्तर अर्थ-व्यवस्था के काले धन को कम करना चाहिए तथा ऋण और अन्य सुविधाए उदारतापूर्वक देनी चाहिए।

हमारा राष्ट्र इस समय अन्धकार की स्थिति में है। देश की अर्थ-व्यवस्था संकट में है। वित्त विधेयक में सरकार ने बिगड़ती हुई अर्थ-व्यवस्था के सुधार के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया है। वित्त मंत्री को चुनाव पूर्व वर्ष की अर्थ-व्यवस्था को पुनः जीवित करने के लिये कुछ वित्तीय उपाय करने का पर्याप्त अवसर था, परन्तु वह अवसर चूक गये।

देश में वर्तमान राजनीतिक असंतोष का कारण यह है कि लम्बे समय से चल रही आर्थिक निष्क्रियता, बढ़ते हुए अभाव, मुद्रा स्फीति तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी से समाज के निचले वर्ष और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के बीच अन्तर बढ़ गया है तथा आम जनता भार से दब रही है।

यदि मूल्यों की स्थिरता में स्थायित्व लाना है और प्रगति की गति को बढ़ाना है तो कर के ढांचे को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता। वर्ष प्रतिवर्ष करों की दर बढ़ते चले जाने से अब और अधिक कर लगाने की गुंजाइश नहीं रह गयी है तथा उत्पादन ह्रास नियम लागू हो गया है और काला धन बढ़ रहा है। यदि इस नीति को तुरन्त बदला नहीं जाता तो कोई भी राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है।

इस समय ऐसी नीति का परिपालन किया जाना चाहिए जिससे मुद्रा स्फीति न हो। इसके लिए मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना होगा। सरकार की वर्तमान नीति से मूल्यों में तो अस्थाई रूप से स्थिरता आई है किन्तु विकास पर जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

स्थिति का सामना करने के लिये विकास की दर में वृद्धि होना बहुत आवश्यक है । परन्तु मूल बात यह है कि अत्यधिक कराधान के कारण बचत और आय करने के लिये बहुत कम उत्साह रह जाता है । कम बचत के कारण पूंजी निवेश भी कम हो रहा है । महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी निवश को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए उपयुक्त कदम उठाना बहुत आवश्यक है । जब तक पूंजी निवश के अवसरों को नहीं बढ़ाया जाता तब तक विकास की बात करना निरर्थक है । वित्त मंत्री को साहस बटोर कर कराधान की सीमा 2 लाख रु तक 50 प्रतिशत कर देनी चाहिए, तथा 2 और 3 लाख रुपये के बीच 50 से 60 प्रतिशत और 3 लाख से ऊपर 70 प्रतिशत कर देनी चाहिए ।

कराधान का सुव्यवस्थित करने की योजना का अनिवार्य बचत और निवेश के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए । उद्योगों के विकास का ही नहीं, वरन् देश में विश्वास का वातावरण तैयार करने का यही एकमात्र उपाय है ।

रुपये का मूल्य गिर रहा है तथा न्यूनतम आय वाले वर्ग को दो समय का निर्वाह करना भी कठिन हो रहा है । ऐसी स्थिति में कर से छूट की सीमा को बढा कर 10,000 रुपये करना आवश्यक है ।

वित्त मंत्री अपने मंत्रालय में एक ऐसा विभाग बनाये जो उन्हें कर सम्बन्धी उपायों, सरकार को कितना राजस्व मिला, क्या जनता वास्तव में कर देने में समर्थ है और यदि उसने भुगतान किया तो सरकार को कितना मिला तथा इसी प्रकार की बातों के बारे में उन्हें परामर्श दे । इस समय मंत्रालय में मंत्री को परामर्श देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

जब तक हम कृषि और औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ाते हम आगे नहीं बढ़ सकते । हमें प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री मजदूर संघों के साथ समान महंगाई भत्ते का फार्मूला निकालने तथा मंजूरी का ढ़ांचा बनाने के लिये बातचीत कर रह हैं । यदि हम वास्तव में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि श्रमिकों और मजदूर संघों को सरकारी कार्य में सहयोग देने का का अवसर दिया जाऐ ।

कर्मचारियों के लिये चाहे वे सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी हों एक राष्ट्रीय नीति बनायी जाये तथा गन्ना, चावल, गेंहूं, जूट और कपास के सम्बन्ध में एक तथ्यपूर्ण नीति अपनाई जाये।

खण्डसारी पर मिश्रित लैवी लगाने के लिये वित्त मंत्री बधायी के पात्र हैं । उन्होंने एक लघु उद्योग को समाप्त होने से बचाया है । किन्तु प्रति क्विटल 25 रुपये की लैवी बहुत अधिक है । इसे 20 प्रतिशत करने की आवश्यकता है ।

शक्ति चालित करघों पर शुल्क कम करने में वित्त मंत्री ने उदारता बरती है । किन्तु चार शक्तिचालित करघे वाले छोट-मोटे उद्योगों के लिए वह अब भी बहुत अधिक है और इसे कम किया जाना जरूरी है ।

वित्त मंत्री ने बीड़ी उद्योग के लिये कुछ नहीं किया है । यह एक बड़ा उद्योग है । इसमें बड़ी संख्या में लोग लगे हैं । सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों ने सिफारिश की है कि सरकार को बीड़ी पर कर नहीं लगाना चाहिये ।

[श्री वीरेंद्र अग्रवाल]

केन्द्र का बजट 10763 करोड़ रुपये है जो कि पिछले बजट से 2000 करोड़ अर्थात् 20 प्रतिशत अधिक है। बजट के साथ-साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि हमारे बजट का एक बड़ा भाग गैर-विकास वाले और अनियोजित कार्यों पर व्यय हो जाता है। इस वर्ष उपभोग व्यय में 17.3 प्रतिशत तथा पूंजी निर्माण में केवल 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि हम राष्ट्र की पूंजी का किस प्रकार अच्छा उपयोग कर सकते हैं।

हमारा लक्ष्य है कि स्थायी विकास की स्थिति पैदा करना। परन्तु आज तो यही दिखायी देता है कि देश में अर्थ-व्यवस्था और राष्ट्र के स्थायित्व की किसी को चिन्ता नहीं। एसी स्थिति में हमारी अर्थ-व्यवस्था नहीं सुधर सकती।

Shri Shrikrishna Agarwal (Mahesanund): The state of Madhya Pradesh, especially the Chhatisgarh area is in the grip of severe drought. The problem of drinking water in that area is very acute. Although the State Government is doing its best, unless the centre comes forward to help the people there would die without water.

The problem of cattle is also acute. Cattle are the precious wealth of the agriculturists, and if they are wiped out, it would have serious effect on agricultural production. Therefore, the centre must immediately do something. It should take steps to dig as many tubewells as possible in the Chattisgarh area and it must see that necessary drilling machines are sent to that area in large number from all parts of the country.

The State Government is doing its best to provide relief to the drought-striken people, but that is not enough. The present rate of wages being paid to those engaged on relief works is extremly low. It must be increased.

According to the scheme drawn by the State Government Chhatisgarh area was selected to be the first place in the immediate return scheme. It is a place where any investment made will give immediate return. But that scheme, involving an investment of Rs. 100 crores could not be taken up for want of funds. The Government should implement that scheme as early as possible.

Madhya Pradesh is lagging behind in communication and transport facilities. A large number of villages are still not connected with main roads. This should also be looked into.

Madhya Pradesh has large mineral deposits. Bailadilla has the largest iron ore deposits. In future, if any iron and steel plant is set up, it should be in Bailadilla.

The State has enormous coal deposits also. There is a proposal to set up a coal-based fertiliser factory in Korba, but for unknown reasons, it has been given up. It should be taken up immediately. Coal-based power houses should also be set up in the State.

A levy of one rupee per thousand has been imposed on bidis. Bidi industry is one of the biggest industry which employs a large number of people, and this levy would adversely affect them. Instead of levying a duty on bidis, the tax on tabacco can be raised. This would not entail any additional expenditure

nor would it have an adverse effect on the people connected with the bidi industry.

There should be uniform rates at which essential commodities such as wheat, rice and coarse cloth should be made available to the people throughout the country.

The levy on small industries should be withdrawn. These industries are already suffering for want of raw material and the levy would increase their problems.

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): The concessions announced by the Finance Minister would only help the big business houses. The total concessions of Rs. 32-33 crores are very meagre for a population of about 60 crores of people.

We were expecting a cut in Government expenditure. Lakhs of rupees are spent on each tour by the Prime Minister.

On going through the Explanatory Memorandum, I was stunned to note the figures of Government borrowings, both from the public of the country and from foreign countries. Borrowed money is invested on pomp and show like setting up fountains in big cities, but lands of the poor farmers are left unirrigated. Wasteful expenditure has been fast increasing.

For the last three or four years there has been much talk going on about the six door car imported for Rashtrapati Bhavan. The car has got airconditioning arrangement. Provision has been made in Budget for that luxury car. There is also talk about the small car which has not yet been manufactured and has become a symbol of corruption. If the son of the Finance Minister gets a licence, it is evident that there is something seriously wrong. If this kind of corruption goes on unchecked it will have a chain reaction in the country. It is high time Government should think seriously about ending the quota-permit-licence system in which there is collusion between the Government and the business community.

Recently when a labour agitation was in the offing in the HINDALCO owned by the Birlas, some of its officers came to Delhi and contacted the Prime Minister's secretariat and after a deal was struck they informed **Shri S. S.** Kothari, President of HINDALCO that they had paid a sum of rupees five lakhs to the P.S. to the Prime Minister and the later had promised that he would use all his influence to see that no trade union activity was allowed in HINDALCO. This is a glaring example of the collusion of Government with business community.

As regards agriculture, the prices of fertilisers are going up. A bag of 50 Kilo which used to cost Rs. 53 six months back, today it costs Rs. 105. At this rate the price of 100 Kilo of fertilisers will come to Rs. 210 whereas the procurement price of wheat has been fixed by the Government at Rs. 105 per quintal. Is this not grave injustice with the farmers? We have no objection to this price if the prices of inputs like fertilizers, power, etc. are also reduced accordingly. But this is something which Government will not do because they get election funds from the factory owners.

[Shri Janeshwar Misra]

Besides, Government must put an end to extravagance. It is really regrettable that the children of farmers, who produce foodgrains for the country, have to go to primary schools where they do not get even a jute matting to sit. On the other hand there are the public schools of Dehradun and Ooty for the sons of the big people where all kinds of facilities are being provided. What is the harm if such schools are abolished and all children receive education in the same type of schools? But the misfortune is that whenever we make such a suggestion, a hue and cry is raised that parliamentary democracy is in danger and these issues are sidetracked.

There is a task force in the name of law and order. A cell has been created there to make defections in the opposition parties. Government money is being spent on it and it is under the direct control of the Prime Minister. In my views it is a dangerous thing to spend government money in such a manner in the name of law and order.

Since this Government is corrupt and dishonest, handing over the hard earned money of our people to it by passing the Finance Bill will be like providing a poisnous tooth in the snake's mouth. So the House should reject the Finance Bill.

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur): The policy which this Government has adopted is neither capitalist nor socialist; they have adopted a mid way which is not likely to lead them to success. They should adopt the Russian way and nationalise all property. This is the only way our problems can be solved and the country can prosper.

The present system of justice needs radical changes because under it the poor do not get justice. All the district courts should be done away with and the Gram Panchayats and Zila Parishads should be vested with judicial powers. Similarly, the High Courts and the Supreme Court should also be done away with and their powers should be transferred to the State Assembilies and the Lok Sabha respectively.

At present the elections are very expensive. This system should be so changed that the expenditure is reduced and only capable persons are elected.

The President, the Governors, the Collectors and district officers should be directly elected by the people and the offices of the Prime Minister, Chief Ministers and the Chairman of Zila Parishads should be abolished. In this way the administrative expenditure will be considerably reduced.

The property accumulated in the names of different religions should be confiscated. The land with them should be taken over and used for producing foodgrains.

The incidents of atrocities on Harijans are increasing. The Home Minister should look into these cases himself and concrete steps should be taken to prevent their recurrence.

Gandhiji wanted a Harijan girl to be made President. Why has it not been done so far? Collectors and S.P's should be from Harijans.

The Government has honoured the sportsmen and players but a student of my college who stood first in the metaphysics and science among a lakh competitors coming from all over the world has not been honoured in any way. The Government should consider this matter.

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1975

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

(धारा 46 का संशोधन)

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Advocates Act, 1961.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Dr. Laxminarain Pandeya: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(नये अनुच्छेद 326क का अन्तःस्थापन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अष्टम अनुसूची का संशोधन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अण्णा साहिब गोट खिन्डे) (सांगली) : मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं। साहित्य अकादमी द्वारा कोंकणी भाषा को मान्यता देने के लिये किये गये विवादास्पद निर्णय से गोआ और महाराष्ट्र राज्यों में तीव्र प्रतिक्रिया और विरोध हुआ है। इन असाधारण परिस्थितियों में विधेयक का उद्देश्य "..... विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट करने के लिये ......" तभी पूरा हो सकता है यदि इस विधेयक को गोआ तथा महाराष्ट्र राज्यों के विधान मंडलों का मत जानने के लिये सर्वप्रथम वहां भेजा जाये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्री गोटखिण्ड ने संवैधानिक तर्कों के आधार पर विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध नहीं किया है। अतः मुझे इसे पुरःस्थापित न किये जाने का कोई कारण मालूम नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री गोटखिण्डे को परामर्श दूंगा कि यदि वह चाहते हैं कि इस पर राज्य विधान मंडलों में चर्चा हो तो वह विधेयक पर विचार करते समय अपना संशोधन रख सकते हैं।

प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं।

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक-(जारी)

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL—contd.

धारा 13 और 15 का सशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री मधु लिमये द्वारा रख गये हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे ।

Shri N. K. P. Salve (Betul): The spirit behind the Bill presented by Shri Madhu Limaye is indeed laudable.

(श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए)

(Shri Dinesh Chander Goswami *in the Chair***)**

There is no doubt that under the Hindu Marriage Act a lot of time is taken in getting an unsatisfactory marriage dissolved and in solemnising a new marriage and as such the persons concerned have to undergo a great deal of mental strain. Shri Limaye has proposed to reduce the time limit for certain acts under the various provisions of the Hindu Marriage Act. This is surely a humanitarian approach and there is no question of privileges involved in it. It is therefore hoped that hon. Minister would accept the suggestions given by the mover of the Bill.

Shri Vasant Sathe (Akola): I wholeheartedly support this Bill moved by Shri Limaye. Certainly the time limit for certain acts under the various provisions of the Hindu Marriage Act is on the high side. It should be reduced. After the decree of divorce or judicial seperation has been granted there is no need for the parties concerned to wait for two years. This period should be reduced to 6 months as proposed by Shri Limaye. Still marriages take place in our country without the consent of the would be husbands and wives and many children especialy girls are married at the age of 11, 12, 13, 14 in spite of the Sharda Act. If a husband is not satisfied with his wife he can look elsewhere but the women have no such freedom.

In this international year for women we should grant this much rights to them.

The Government should accept the spirit behind the Bill and if they themselves want to bring a comprehensive Bill to amend the Hindu Marriage Act then Shri Madhu Limaye could be persuaded to accept that assurance. But if there is no such possibility then Shri Limaye's Bill should be accepted.

Shri Shashi Bhushan (Delhi-South): There can be no two opinions on this Bill of Shri Madhu Limaye. Persons who are over fifty have supported this Bill. I fear that persons who are over 50 are interested in divorce and second marriage.

The divorce cases linger on in courts for very long time. Steps should be taken to expedite disposal of these cases. There should be seperate courts to deal with divorce cases. These courts should have powers for summary disposal of cases.

[Shri Shashi Bhushan]

The proposals made in the Bill are good. The Government should appoint a committee to study this matter in detail and then bring a comprehensive Bill.

Shri M. C. Daga (Pali): Marriage does not only involve bodily relationship but also spiritual relationship.

I have proposed an amendment to the Bill that judicial representation be given at the time of issue of decree. Once there is ill feeling among the hearts it is very difficult to improve relationship.

Our society has changed. Now even the girls have realized their duties. In the changed society it is not proper to have judicial representation for two years. There should be no time limit for judicial seperation.

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh): The period of two years has been provided with a view to explain the possibilities of agreement between the husband and wife. Radical changes should be made in the existing marriage laws. The rule of limiting the marriages between the castes should be done away with. Even this period of 2 years of separation should rather be extended to 5 years, so that they may not go to court so easily.

Shri N. K. P. Salve: The amendment proposed does not aim at divorces immediately after marriage it only aims at fixing a time-limit after issue of decree of judicial separation.

Shri T. Sohan Lal: The provision for two years is that parties may get time for re-thinking. Statistics would reveal that in most of the cases men go in for divorce.

Shri N. K. P. Salve: Absolutely wrong. Shri Madhu Limaye has got the figures.

Shri T. Sohan Lal: In case the period of two years is reduced, the number of divorce cases would go up.

I, therefore oppose this Bill.

Shri Vasant Sathe: The provision of 6 months is after the issue of a dacree by the court. The couple at dispute can decide whether they can live together or not during the period the case is pending in a court.

Shri T. Sohan Lal: There have been instances where there was compromise even after divorce only these persons are interested in divorce who have already settled some where else. With these words I oppose this Bill and want the period to be two years.

Shri R. V. Bade (Khargene): I support this Bill. It is not known why the period of six months has been provided in the Bill because the wife does not have the right for maintenance for a period of two years after the decree of divorce is granted. Therefore, it would be better if a comprehensive Bill is brought fourth providing for some maintenance allowance even during that period of six months. There should be provisions for maintenance to the wife during the period after the decree of divorce has been granted.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): There is no need for allowing time after the grant of decree. The Government should give serious thought to this matter connected with divorce and bring forward a comprehensive legislation incorporating Shri Limaye's amendment.

Shrimati Savitri Shyam (Amole): This proposal of Shri Madhu Limaye is very progressive. It is true that women suffer due to old customs, traditions and bindings arising out of the secrament of marriage. Therefore, it is very unfair for them not to take such progressive steps. Women are still subjected to exploitation due to existing social order. The Minister of Social Welfare should bring forth a bill to reduce the period of two years. One has to wait for two years even after judicial seperation. It is not at all necessary to impose the condition of two years after the decree of divorce has been obtained. Efforts should be made to implement the recommendations of the Committee on the Status of women.

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi): The Bill brought forward and the speeches of law. Members indicate that our country is alert on the issue. Some people do consider it proper to make changes in personal law that provide for marriage, divorce on adoption because it is well-created in tradition for centuries, whereas other progressive ideas advocated amendment in it. However, it could be said that it is necessary to introduce change in the existing law.

Shri Madhu Limaye has brought forth an amending Bill to remove the period of two years after the court's decision for judicial separation.

श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए

Shri Vasant Sathe in the Chair

Marriage is secrament under the Hindu Law and the idea of codification of marriage was still optional under the existing law.

Every state has a right to make laws for making registration compulsory. Hon. Members should think why the State Governments have not made registration compulsory? The centre can do it in respect of Union territories only.

A mention has been made about the social, economic and political disabilities of women, but we all have to think how these disabilities can be removed. These are well created in tradition which could not be abolished in one day. Many more grounds can be added to these that have been provided for reaching a divorce.

The Law Commission had suggested in their 59th Report that the period of two years could be reduced to one year. They have also recommended that it is not necessary to easy down any period as such before entering into remarriage after divorce.

Shri Madhu Limaye: Why is law commission involved even in social matters?

Shri N. K. P. Salve: The commission agrees that the period of two years is excessive. Law Commission is of the view that it is not necessary to allow any period after divorce why does the Government want to linger on in the matter?

Mr. Chairmans The Hon. Minister has not yet finished her speech.

Dr. Sarojini Mahishi: This matter was referred to Law Commission and it has given it's report after studying the matter. Government has to consider the opinion of Hon. Members as well. We are making an endveavour to bring forth a Bill as early as possible after thorough study of Law Commission Report.

Shri M. C. Daga: Does the Government agree that the period of two years needs to be reduced.

Mr. Chairman: Can the Hon. Member define the term as early as possible.

Dr. Sarojini Mahishi: It is very difficult to give a definite date.

The Government are making consultations and the Bill emerging out of it would be placed before the House as soon as possible. I, therfeore, request the mover to withdrew the amending Bill.

Shri Madhu Limaye: An amendment has been suggested by Shri Chatterji to section 14 saying that there should be one year instead of three years. I have not touched that provision because it is an absolute limit and effort should be made to solve the dispute within that period. I have rather suggested that the period of two years after the judical seperation be reduced to six months. If it is reduced within the existing limit of 3 years after marriage it would cause no harm.

The condition of "lapse of one year from the date of decree of divorce" is most abnoxious and poses various difficulties. In one case they got the marriage declared null and void *ab initio.* Then it created a question of alimony. The Gujarat and Allahabad High Courts have held that the section of alimony applies even in the case of nullity. The Madras High Court has given a decision in this regard which is contrary to it. If this provision of one year is totally abolished, it will avoid various problems. The Minister has said that a Bill would be brought very soon, but he has declined to define 'very soon'. If the hon. Minister can give an assurance that this Bill will be passed in the monsoon session of Lok Sabha. Then I am ready to withdraw the present Bill.

Dr. Sarojini Mahishi: We will try to bring this Bill and pass it with your cooperation as soon as possible.

Shri Madhu Limaye: Allright, I agree.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि श्री मधु लिमये को हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri Madhu Limaye: I withdraw the Bill.

दिल्ली किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक

DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL

Shri Shashi Bhushan (Delhi-South): Mr. Chairman, I move that the Bill further to amend te Delhi Rent Control Act, 1958 be taken into consideration.

Delhi Rent Control Act was passed in 1958. At that time Delhi's population was very less. Today its population is about 60 lakhs out of which 75 per cent people are tenants and the rest are landlords. In a number of cases landlords charge higher rent and give receipts to tenants for lesser amount. There is no law which has control over rents in Delhi. The Government suffer loss in their revenue and the tenants have to pay higher rent.

Whenever a tenant dies landlord start legal proceedings for eviction against the serviving members of the family of the deceased tenant, who are living with the tenant at the time of his death. The existing law does not safeguard their interests. It is, therefore, necessary to amend the principal Act. In 1968-69 the Housing Ministry appointed a high level committee but it made no recommendations.

The Delhi Administration brought this bill in Metropolitan Council in 1972. It is still lying pending there. The Bill has not yet been brought before Parliament although assurance has been given by the Government that this Bill will be passed soon. It appears that the Bill is being delayed due to pressure from certain quarters.

There are high Government officials who own big bunglows in Delhi and have given them on rent. They themselves are living in government houses. No Government employee or a Minister or a Member of Parliament, who owns a house in Delhi should be allowed to live in a government house. A law should be passed to this effect soon, because, there is shortage of government accommodation and a large number of government servants are without government accommodation. I want to know whether Government have information relating to government employees, M.P.s' and Ministers who have their own houses, but are living in government accommodation.

Mr. Chairman: Whether the Minister has got the information about what the hon. Member has asked.

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): I am not in a position to give such information readily.

Mr. Chairman: Whether you have collected such information.

Shri Dalbir Singh: Such information is available in the office.

Mr. Chairman: You should give this information during the cource of your reply.

Shri Shashi Bhushan: M.Ps., Ministers and government employees, who own houses but are living in government accommodation, must vacate them immediately. We talk of socialism; we talk of ceiling on urban property but how

can we do all this under these circumstances: By what time Government propose to bring forward a Bill on ceiling on urban property? The hon. Minister should give an assurance that the Bill protecting the interests of tenants will be passed during the current session and if this is not possible an ordinance will be issued. The Bill proposed to be brought forward should be effective with retrospective effect. Also the Minister should tell us when he will give a list of government employees, Ministers, and M.Ps. who own houses in Delhi but are living in government accommodation.

Shri R. V. Bade (Khargone): I support the Bill. It will provide safeguards for dependents of a tenant, who are usually evicted after the death of the tenant. They should accept this Bill and get it passed. The Minister should tell the number of cases pending in courts for ejectment of dependants of tenants who have died.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): It is an essential Bill. The objects and reasons of this Bill are very clear to the effect that if a tenant, in whose name allotment order is there, dies, the family of the deceased should be treated as allottee of that house. Eviction proceedings are in progress in many such cases in Delhi, I support this Bill whole heartedly. The object of the Bill is very laudable.

Crores of rupees are being spent on a scheme being run by the Housing Ministry throughout the country for prividing houses to low income group people. The government should enact a legislation for imposing ceiling on urban property. In that legislation a provision should be made that in cities with a population of 5 lakhs or more, tenants in old houses which come within the purview of Rent Control Act, 1954 should be made owners of these houses after payment of compensation to the present owners of these houses provided these tenants do not have houses of their own. Such legislation will ease the housing problem in the country. If government accepts this Bill it will give relief to tenants in Delhi. A comprehensive Bill on Rent Control should be brought forward. It should be made applicable to Municipal Boards with a population of at least 5 lakhs.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। किरायेदारी विशेषकर बड़े शहरों में घोटाले का केन्द्र बन गई है। सम्पत्ति अधिग्रहण कानून के अन्तर्गत अभी तक एक भी सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया है। ऐसा अधिकांशतः नौकरशाही के कार्यकरण के कारण है।

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है क्योंकि वर्तमान मकान मालिक मृत किरायेदारों की विधवा, बच्चों अथवा आश्रितों को मकान से बेदखल करना चाहते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार के शोषण को समाप्त करना है। यदि हम सचमुच समाजवादी राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो हमें शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी होगी।

एक नौकरशाह किस प्रकार अपना मकान बनाकर 10,000 रुपये प्रति मास किराया ले सकता है ? मैं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई राशि का उसे पूरा प्रतिफल मिले। मैं उनमें नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि लोगों को सम्पत्ति जब्त की जाये और उन्हें कोई मुआवजा न दिया जाये।

एक अधिकारी किस प्रकार अपना मकान बना कर 10000 रुपये मासिक किराया लेकर स्वयं 200–300 रुपये के किराये के मकान में वर्षों रहता है। ऐसे संसद् सदस्यों एवं मंत्रियों के नाम यहां पर बताये जायें। यदि आपके पास आलीशान मकान है तो उसके लिये कोई उच्चतम सीमा नहीं है परन्तु यदि आपके पास 7500 वर्ग फुट जमीन है चाहे मूल्य कुछ भी हो, आप उसे रख नहीं सकते। बम्बई में जमीन 500–1000 रुपये प्रति फुट बिकती है। इस प्रकार जितनी जमीन बम्बई में 70 लाख की है उतनी जमीन नागपुर में 3500 रुपये की है। 70 लाख की सम्पत्ति वाला बच जायेगा जबकि 3500 की सम्पत्ति वाला कानून की गिरफ्त में आ जायेगा। अचल सम्पत्ति के बारे में इस प्रकार के नियमों से निहित स्वार्थ वाले लोगों को लाभ मिल रहा है।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): I request that the term 'landlord' be abolished. The people such as nurses, journalists, doctors who are engaged in public services and press workers who do not have any provident fund etc. be provided some social security. On humanitarian grounds these people should be provided with accommodation etc., so that in old age they might not feel any difficulty. Journalists and others where monthly salaries are less than Rs. 500/- at the time of retirement should not be evicted from their houses.

The principle of ownership of houses by the tenants be accepted as it is in fence in some countries.

Shri M. C. Daga (Pali): This is a laudable Bill. If a man dies, landlords could seek eviction of his sons, wife etc. from the house on the pretext that they were not their tenants and were trespassers. Thousands of such cases are pending in the courts and genuine tenants are being harassed.

As this Bill would protect the interests of tenants it should be supported.

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): There are persons with progressive ideas and they are all the time engaged in them. The mover of this Bill, Shri Shashi Bhusan is one of them.

I am fully aware of the difficulties of the tenants and have all sympathics for their cause. Certain members have stated certain things which are not covered by this Bill. I am in agreement with the fundamentals and the principles of this bill and the views expressed by Shri Shashi Bhushan and others.

It has been expressed that perhaps the government is not bringing the bill under pressure of it's officers. If the Government acts in this manner it cannot function. The problem is of proper scrutiny of the Bill. We do not want to take action in haste.

The members have expressed that if there is some delay in bringing a comprehensive legislation, a small bill for protection of interests of the tenants should be brought here.

Shri M. C. Daga: The Government can issue certain notification or ordinance. The real problem is that the children and wives of a deceased tenant are treated as trespassers.

The problem of houses is for the poor people. It is the intention of the Government to bring comprehensive legislation soon. The view expressed by

[Shri M. C. Daga]

the hon. Members would be kept in view while preparing the proposed comprehensive bill.

Shri Shashi Bhushan: I have asked about the persons in possession of two houses.

Shri Dalbir Singh: Shri Shashi Bhushan has always been against possession of more than one house by a person.

Even Hon. Members of Jan Sangh talk of progressivism. Shri Bade has talked about tenants which was not in their party programme. These days nobody can escape from these progressive measures. This is due to the present atmosphere.

With these words I request Shri Shashi Bhushan to withdraw the bill as it is the intention of the government to bring such Bill soon.

Shri Shashi Bhushan: I have full faith in the assurance of the Hon. Minister.

I had mentioned about the Ministers, Members of Parliament and Government officers who have built their own houses but live in Government accommodation. These people should live in their own houses. I requested that a list of such persons be laid on the table.

I may be permitted to withdraw the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री शशि भूषण को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री शशि भूषण : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 80 का संशोधन तथा चतुर्थ अनुसूची का लोप)

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरे विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 80 का संशोधन तथा चतुर्थ अनुसूची का लोप करना है।

अनुच्छेद 80 राज्य सभा के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित है। राज्य सभा के स्थानों का आवंटन अनुच्छेद 80 के उपखंड (2) के अनुसार किया जाता है जिसमें कहा गया है कि आवंटन चतुर्थ अनुसूची में की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

इस समय राज्य सभा के 231 सदस्य हैं। चतुर्थ अनुसूची को देखने से हमें पता चलता है कि 10 राज्यों का प्रतिनिधित्व 40 है। 4 केन्द्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 5 होता है। अर्थात् शेष राज्यों का प्रतिनिधित्व 186 है।

इस विधेयक का उद्देश्य सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना है मैंने विधेयक में यही कहा है कि राज्य सभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर का होना चाहिए।

संविधान के अनुसार सभी राज्यों का दर्जा बराबर है अतः राज्य सभा में भी उनका प्रतिनिधित्व बराबर का होना चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali): Does he want that States with population of 9 crores would be treated at par with States having population of 1 crores in respect of representation in Rajya Sabha?

श्री दिशने चन्द्र गोस्वामी : जितनी अधिक जनसंख्या होगी लोक सभा में उतना अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। परन्तु राज्य सभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

55वां प्रतिवेदन

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 55वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा की बैठक कल तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा 5 मई, 1975/15 वैशाख, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 5, 1975/Vaisakha 15, 1897 (Saka).

GMGIPND—L—1236 LS—15-9-75—200

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].